

दूसरा अध्याय

निष्पादन लेखापरीक्षाएं

- 2.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का कार्यान्वयन
- 2.2 मध्य प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन

दूसरा अध्याय

निष्पादन लेखापरीक्षाएं

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

2.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का कार्यान्वयन

कार्यकारी सारांश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक केन्द्र प्रायोजित फसल विकास योजना है जिसका उद्देश्य खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन करना एवं मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत उत्पादन एवं सुरक्षा तकनीक का प्रदर्शन, बीज वितरण पोषक तत्व प्रबंधन फार्म स्थापना एवं प्रशिक्षण, मुख्य घटक के रूप में प्रावधानित थे। यह योजना विभिन्न राज्यों के चयनित जिलों में पांच घटकों (धान, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज और वाणिज्यिक फसलों) में कार्यान्वित है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-13 से 2016-17) के लिए, इस योजना के अंतर्गत धान के एक करोड़ टन, गेहूं 80 लाख टन, दलहन 40 लाख टन और 30 लाख टन मोटा अनाज के अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया था।

मध्य प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत आठ जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-धान, 17 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं और सभी 51 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन कार्यान्वित किया जा रहा था। वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटा अनाज और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-वाणिज्यिक फसलों, क्रमशः 16 जिलों और आठ जिलों में कार्यान्वित किया गया। राज्य द्वारा भारत सरकार से इस योजना की गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि में प्राप्त सहायता अनुदान राशि ₹ 1051.41 करोड़ में से राशि ₹ 945.18 करोड़ का व्यय किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन अवधि 2012-13 से 2015-16 तक निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित का पता चला:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में खाद्यान्न के उत्पादन पर योजना का प्रभाव-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में खाद्यान्न की 2.5 करोड़ टन की अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना था। हालांकि, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों को कोई लक्ष्य सूचित नहीं किया था। नतीजतन, 2012-13 से 2015-16 के दौरान अतिरिक्त उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों की प्रगति का आंकलन नहीं किया जा सका।

राज्य के कुल कृषकों के दो प्रतिशत को ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत लाभांवित किया गया था, अतः राज्य के समग्र खाद्यान्न उत्पादन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का योगदान सीमित था।

योजना से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-धान जिलों में धान के बुवाई रकबा में केवल मामूली पांच प्रतिशत वृद्धि हासिल की जा सकी। यह वृद्धि राज्य स्तर पर वर्ष 2012-15 के दौरान धान की बुवाई रकबा की औसत वृद्धि 26 प्रतिशत की तुलना में काफी कम थी। वर्ष 2012-13 में किसी भी आठ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-धान जिले, वर्ष 2013-14 में छह जिले और वर्ष 2014-15 में पांच जिले, राज्य के धान की

औसत उत्पादकता को भी प्राप्त नहीं कर सके। वर्ष 2015-16 के लिए फसलों की जिलेवार उत्पादन आँकड़े दिसम्बर 2016 के स्थिति में भी अपेक्षित थे।

योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ जिलों में निरंतर विकास को बनाए रखने में असमर्थ रही क्योंकि 17 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूँ जिलों में से आठ जिलों में गेहूँ के बुवाई रकबा में वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में कम था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में गेहूँ की औसत यील्ड वर्ष 2014-15 के दौरान 2,872 किग्रा/हेक्टेयर था, जो राज्य की औसत उत्पादकता 3,079 किलोग्राम/हेक्टेयर की तुलना में कम था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूँ जिले राज्य के औसत उत्पादकता के स्तर को किसी भी वर्ष में प्राप्त नहीं कर सके।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन के पहले वर्ष 2012-13 के दौरान दालों का उच्चतम उत्पादन (50.43 लाख मीट्रिक टन) था, जो कम होकर वर्ष 2013-14 में 39.18 लाख मीट्रिक टन और वर्ष 2014-15 में 43.50 लाख मीट्रिक टन रही। हालांकि वर्ष 2015-16 के अस्थायी आंकड़े दालों के उत्पादन में वृद्धि के संकेत देते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन के बाद के वर्षों के दौरान दालों के उत्पादन पर प्रभाव स्पष्ट नहीं था।

(कंडिका 2.1.6)

आयोजना

जिला वार्षिक कार्य योजनाएं ब्लॉक कार्यालयों से जानकारी प्राप्त करने के बाद तैयार नहीं किये गये थे। नतीजतन, कृषकों से मांग के बिना भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के विभिन्न घटकों में मद शामिल किये गये।

राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए संचालनालय ने परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की थी। आधारभूत सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन भी आयोजित नहीं किये गये, जिसके कारण फसल उत्पादन की स्थिति, इसकी क्षमता और मांग का आंकलन नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.1.7)

योजना के घटकों का निष्पादन

बीजों का वितरण: 2012-13 से 2015-16 के दौरान धान, गेहूँ, दाल और मोटा अनाज के बीज वितरण के लिए प्राप्त बजट आवंटन राशि ₹ 177.14 करोड़ में से विभाग केवल ₹ 39.26 करोड़ (22 प्रतिशत) व्यय कर सका। गुणवत्ता बीज वितरण के भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि में धान के उच्च उत्पादकता किस्म में 79 फीसदी, गेहूँ बीज में 57 फीसदी, दलहन बीज में 63 फीसदी और मोटा अनाज बीज में 94 फीसदी की कमी थी। राज्य में दलहन बीज वितरण वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि में घटता रहा, जो घटकर वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में क्रमशः केवल 17 और 10 फीसदी रहा। भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी, बीजों की अपर्याप्त उपलब्धता की वजह से रही।

जिला कार्यालय, कृषकों को वितरित बीज की गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं कर सके, जिससे कृषकों का आय सृजन और उत्पादन का जोखिम बढाना पड़ा। नमूना जांच किये गये 17 जिलों में बीज गुणवत्ता परीक्षण के लिए 3,126 नमूने लिए गए, जिसमें से 582 नमूने बुवाई अवधि के बाद एकत्र किए गए थे। गुणवत्ता परीक्षण उपरांत प्राप्त 3,110 प्रतिवेदनों में से 1,218 प्रतिवेदन के बुवाई अवधि के बाद प्राप्त हुए थे। इसके अलावा, प्रमाणित बीज के 369 नमूने अवमानक पाए गए।

(कंडिका 2.1.8)

फील्ड प्रदर्शन : उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पर वर्ष 2012-16 के दौरान विभाग ने राशि ₹ 153.37 करोड़ व्यय किये। हालांकि, प्रदर्शन का उद्देश्य, संवर्धित प्रथाओं (सुधार प्रथाओं के लिए) और परंपरागत कृषकों की प्रथाओं के तुलनात्मक प्रदर्शन परिणामों को बनाने में विफलता और वैज्ञानिकों की भागीदारी में कमी के कारण काफी हद तक अधूरी रही। जिला कार्यालय फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों के संचालन के दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहा, जिससे कृषक, खेत स्तर अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए किस फसल पैटर्न को अपनाया जा सकता है, की जागरूकता से वंचित रहे।

(कंडिका 2.1.9)

कृषि यंत्रीकरण : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन. परिचालन दिशा निर्देशों के तहत किये परिकल्पना के अनुसार एजेंसियों और कृषि औजारों की दरों का निर्धारण विभाग, द्वारा नहीं किया गया। अननुमोदित एजेंसियों एवं अननुमोदित दर पर कृषि यंत्रों की खरीद पर कृषकों को सहायता दिए जाने से व्यय राशि ₹ 261.81 करोड़ अनियमित रही।

14 जिलों में विभाग ने "स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए पाइप" एवं "स्प्रिंकलर सेट" पर सब्सिडी मानदंडों का पालन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप 8,337 कृषकों को राशि ₹ 5.11 करोड़ का अनियमित अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई।

(कंडिका 2.1.11)

निधि प्रबंधन :

राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि में उपलब्ध राशि ₹ 1,062.92 करोड़ में से, विभाग ने राशि ₹ 945.18 करोड़ (88 प्रतिशत) का उपयोग किया। हालांकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन निधि के उपयोग की प्रवृत्ति घटती रही, जो कि वर्ष 2012-13 के 95 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 64 प्रतिशत रही। संचालनालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं के कार्यान्वयन के लिए आठ नमूना जाँच किये गये जिलों को वर्ष 2012-13 और 2013-14 में राशि ₹ 26.63 करोड़ जारी की, लेकिन ये जिले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं के लिए समाहित नहीं किए गए थे।

(कंडिका 2.1.15)

योजना की निगरानी :

यह योजना संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं इनके जिला कार्यालयों के माध्यम से राज्य में लागू किया गया था। हालांकि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के परिचालन दिशा निर्देशों के अनुसार जिला स्तर पर 'कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी' (एटीएमए) का उपयोग किया जाना था। इस विचलन के वजह से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के घटकों के जिलों की कार्यनितिक अनुसंधान और विस्तार योजना के साथ तालमेल नहीं किया जा सका।

जिला स्तरीय परियोजना प्रबंधन दल, जिन्हें योजना की कार्यान्वयन और निगरानी में मदद की जिम्मेदारी थी, अधिकांश मामलों में कार्यात्मक नहीं थे। इसके अलावा, मिशन की गतिविधियों को राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति द्वारा समीक्षा नहीं की गई।

(कंडिका 2.1.16)


2.1.1 परिचय

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक फसल विकास योजना है, जिसे खाद्यान्न के अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने एवं मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ (अक्टूबर 2007) किया था। इस योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-13 से 2016-17) में 2.5 करोड़ टन खाद्यान्न के अतिरिक्त उत्पादन जिसमें एक करोड़ टन धान, 80 लाख टन गेहूं, 40 लाख टन दलहन एवं 30 लाख टन मोटा अनाज, के नए लक्ष्य, के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्राप्त करने के उद्देश्य जारी रखा गया। यह योजना देश के विभिन्न राज्यों के चिन्हित जिलों में पांच घटकों में अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-धान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटा अनाज और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-वाणिज्यिक फसलों हेतु लागू किया गया था।

मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-धान आठ जिलों में, 17 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन के तहत सभी 51 जिलों लागू किया गया। वर्ष 2014-15 के बाद से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटा अनाज और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-कामर्शियल फसलें क्रमशः 16 जिलों¹ और आठ जिलों² में संचालित है। 2012-13 से 2015-16 के दौरान राज्य ने इस योजना के तहत भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता राशि ₹ 1,051.41 करोड़ में से राशि ₹ 945.18 करोड़, योजना की गतिविधियों के लिए व्यय किये।

2.1.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक संरचना निम्न चार्ट में दिखाया गया है :



¹ अलीराजपुर, बडवानी, बेतूल, छिन्दवाडा, धार, डिन्डोरी, खरगोन, झाबुआ, मण्डला, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, और सिंगरोली

² बडवानी, बेतूल, बुरहानपुर, ग्वालियर, हरदा, होंशंगाबाद, खरगौन, और नरसिंहपुर

2.1.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी:

- चिन्हित जिलों में उत्पादकता बढ़ाने, मृदा उर्वरता बहाली और व्यक्तिगत स्तर पर कृषि उत्पादकता के योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया।
- योजना के परिचालन दिशा निर्देशों के अनुसार घटकों को एवं क्रियान्वयन कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया गया और अपेक्षित अभिलेख आंकड़े विभिन्न स्तरों पर संधारित किये गए।
- योजना के प्रावधानों के अनुपालन में निधियों को जारी किया गया, उपयोग किया गया और लेखांकन किया गया, उचित रूप से योजनाबद्ध किया गया।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में परिकल्पिता अनुसार निगरानी और मूल्यांकन किया गया था।

2.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार थे:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दिशा निर्देशों (12वीं पंचवर्षीय योजना)
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वाणिज्यिक फसल परिचालन दिशानिर्देश (12वीं पंचवर्षीय योजना)
- सामान्य वित्तीय नियम का प्रावधान
- समय-समय पर शासन के आदेश के माध्यम से जारी किए गये अनुदेश
- योजना की प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट

2.1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं प्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा में अवधि 2012-16 के दौरान राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन की समीक्षा जनवरी 2016 से जुलाई 2016 के मध्य की गई। नमूना जांच के लिए राज्य के 51 जिलों में से 17 जिलों³ का चयन यादृच्छिक नमूना विधि पर किया गया। इन चयनित जिलों में पांच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-धान जिले, सात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं जिले, 17 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन जिले, पांच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटा अनाज जिले और तीन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-वाणिज्यिक फसल जिले शामिल थे (**परिशिष्ट 2.1**)। चयनित जिलों में उप संचालक, कृषि कार्यालयों के अभिलेखों का परीक्षण निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान किया। इसके अलावा योजना से संबंधित जानकारी संचालनालय, कृषक कल्याण तथा कृषि विकास से भी प्राप्त की गई थी। एक हितग्राही सर्वेक्षण भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के विभिन्न घटकों के हितग्राहियों के संतुष्टि का आंकलन करने के लिए किया गया था।

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, मानदंड और कार्यप्रणाली पर प्रमुख सचिव कृषक कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के साथ 24 फरवरी 2016 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन में चर्चा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रमुख सचिव के साथ चर्चा 10 नवंबर 2016 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में की गई थी। प्रारूप प्रतिवेदन पर शासन का जबाब दिसम्बर 2016 में प्राप्त हुआ। निर्गम सम्मेलन के दौरान व्यक्त दृष्टिकोण एवं शासन के उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया हो।

³ भिण्ड, छतरपुर, दमोह, धार, डिन्डोरी, गुना, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, खरगौन, मण्डला, पन्ना, शाजापुर, सीधी, सिवनी, उज्जैन, और विदिशा

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.6 खाद्यान्न के उत्पादन

मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार⁴ 2012-13 और 2014-15 उच्चतम खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्राप्त हुआ है, और राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार 2013-14 उच्चतम गेहूं उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है। वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान, राज्य में धान, गेहूं और दालो के बुवाई क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता, उनके आधार वर्ष (12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन के लिए 2011-12) के तुलना में तालिका 2.1.1 के अनुसार रहे।

तालिका 2.1.1: मध्यप्रदेश के वर्षवार धान, गेहूं और दलहन की बुवाई क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता की स्थिति

वर्ष	बुवाई क्षेत्र (000' हेक्टेयर)			उत्पादन (000' मीट्रिक टन में)			उत्पादकता (किलोग्राम/हेक्टेयर में)		
	धान	गेहूं	दलहन	धान	गेहूं	दलहन	धान	गेहूं	दलहन
2011-12 (आधार वर्ष)	1,703	5,261	4,763	2,280	14,544	3,718	1,339	2,764	781
2012-13	1,801	5,613	5,329	3,113	16,518	5,043	1,728	2,943	946
2013-14	1,930	5,976	4,832	5,361	17,478	3,918	2,778	2,925	810
2014-15	2,153	6,002	4,911	5,438	18,480	4,350	2,526	3,079	885
2015-16 (अंतिम)	2,024	5,911	5,267	5,614	18,510	5,125	2,774	3,131	973

(स्रोत: संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा प्रदान की गई, राज्य भूमि अभिलेख आंकड़े)

तालिका 2.1.1 इंगित करता है कि खाद्यान्न के उत्पादन में आधार वर्ष के स्तर की तुलना में वृद्धि हुई। वृद्धि प्रतिशत धान में 146 फीसदी, गेहूं में 27 फीसदी और दालों में 38 फीसदी रही। उत्पादन में वृद्धि बुवाई क्षेत्र में वृद्धि एवं संबंधित फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि, अंतर वर्ष बदलाव के साथ हो सकता था। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 में धान की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता घटकर नौ प्रतिशत से घटी एवं दलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार वर्ष 2012-13 के तुलना में वर्ष 2013-14 में 14 प्रतिशत से कम हुई।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि वर्ष 2013-14 में गेहूं और दालो की उत्पादकता, कम वर्षा और ओला की वजह से प्रभावित हुई। शासन ने यह भी बताया कि वर्ष 2014-15 में धान की उत्पादकता मानसून पूर्व बारिश और बरसात के मौसम में कम वर्षा की वजह से प्रभावित हुई।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज और वाणिज्यिक फसलों का क्रियान्वयन राज्य में वर्ष 2014-15 से शुरू किया गया था। मोटा अनाज और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के समग्र स्थिति आधार वर्ष 2013-14 की तुलना में तालिका 2.1.2 के अनुसार रही।

⁴ एक वार्षिक पुरस्कार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत देश के खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य को प्रदाय किये जाते हैं।

तालिका 2.1.2: मोटा अनाज और वाणिज्यिक फसलों (गन्ना, कपास) की बुवाई क्षेत्र उत्पादन और उत्पादकता की स्थिति

वर्ष	बुवाई क्षेत्र ('000 हेक्टेयर में)			उत्पादन ('000 मीट्रिक टन में)			उत्पादकता (किलोग्राम/हेक्टेयर में)		
	मोटा अनाज	वाणिज्यिक फसले		मोटा अनाज	वाणिज्यिक फसले		मोटा अनाज	वाणिज्यिक फसले	
		गन्ना	कपास		गन्ना	कपास		गन्ना	कपास
वर्ष-2013-14 (आधार वर्ष)	1,535	73	514	2,934	3,623	1,090	1,911	49,630	2,120
2014-15	1,711	111	636	3,428	4,567	1,243	2,004	41,144	1,955
2015-16 (अनंतिम)	1,700	103	547	4,295	7,750	1,070	2,526	75,243	1,955

(स्रोत: संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा प्रदान की गई, राज्य भूमि अभिलेख आंकड़े)

जैसा कि तालिका 2.1.2 में दर्शाया गया है, मोटा अनाज और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में आधार वर्ष (2013-14) के तुलना में क्रमशः 46 प्रतिशत और 114 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, वर्ष 2014-15 के दौरान गन्ने की प्रति हेक्टेयर यील्ड में 17 प्रतिशत की कमी थी, जबकि 2015-16 के अनंतिम आंकड़ों में इसकी उत्पादकता में 52 फीसदी की वृद्धि इंगित हुई। कपास का उत्पादन वर्ष 2013-14 में 1090 टन से घटकर वर्ष 2015-16 में 1070 टन रहा और वर्ष 2013-14 की तुलना में इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भी आठ प्रतिशत की गिरावट वर्ष 2014-15 और 2015-16 में आई।

संचालनालय ने बताया (फरवरी 2017) कि कपास के उत्पादन में कमी का कारण कपास के देशी बीजों की अनुपलब्धता एवं कपास क्षेत्र का दाल क्षेत्र में परिवर्तन था।

2.1.6.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में खाद्यान्न का उत्पादन


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों को अतिरिक्त उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य सूचित नहीं किये गये

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न की 2.5 करोड़ टन के अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना था। हालांकि, संचालनालय कृषक कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया (जनवरी 2017) कि भारत सरकार से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कोई उत्पादन लक्ष्य सूचित नहीं किए गए और राज्य शासन ने भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया था। उत्पादन लक्ष्य के अभाव में, योजना के उद्देश्य, विभिन्न खाद्यान्नों के अतिरिक्त उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों की प्रगति लेखा परीक्षा में पता नहीं चल सकी।

राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में वर्ष 2011-12 (आधार वर्ष) से वर्ष 2014-15 के दौरान तीन घटकों (धान, गेहूँ और दालों) का बुवाई क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता का स्थिति चार्ट 2.1.1, 2.1.2 और 2.1.3 में दिखाई गई है। विभाग वर्ष 2015-16 के जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं करा सका (दिसम्बर 2016), जिसकी वजह से वर्ष 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (धान और गेहूँ) में जिलों के प्रदर्शन, एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (मोटा अनाज और वाणिज्यिक फसलों) के समग्र प्रदर्शन उपलब्ध नहीं थे।

• धान जिलों में योजना का प्रभाव

चार्ट 2.1.1 : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन धान जिलों में बुवाई क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता



योजना से धान का बोया रकबा में केवल मामूली वृद्धि प्राप्त की गई

मध्य प्रदेश के आठ⁵ जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-धान लागू किया गया था। चार्ट 2.1.1 में दर्शाए अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में वर्ष 2014-15 के दौरान धान का बुवाई क्षेत्र में वर्ष 2011-12 की तुलना में पांच प्रतिशत की मामूली वृद्धि थी। हालांकि, यह वृद्धि राज्य स्तर पर धान की बुवाई क्षेत्र के औसत विकास 26 प्रतिशत की तुलना में काफी कम थी। इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में धान की औसत उत्पादकता 2014-15 में 2,180 किलोग्राम/हेक्टेयर थी, जो राज्य स्तर पर 2,526 किलोग्राम/हेक्टेयर की औसत उत्पादकता से कम थी। 2012-13 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-धान के आठ जिले, 2013-14 में छह जिले और 2014-15 में पांच जिले राज्य की औसत उत्पादकता हासिल नहीं कर सका। जैसा कि परिशिष्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

धान की उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि थी जो वर्ष 2012-13 के 1,195 किलोग्राम/हेक्टेयर से बढ़कर 2,530 किलोग्राम /हेक्टेयर वर्ष 2013-14 के दौरान रही, संचालनालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कृषकों द्वारा संकर और अधिक उत्पादकता देने वाली किस्म के बीज का उपयोग, धान की एस.आर.आई. (सिस्टम आफ राइस इन्टेन्सिव) पद्धति का प्रयोग किये जाने से अत्यधिक वृद्धि हुई। धान की पैदावार में अचानक वृद्धि के लिये बताये गये कारण संदिग्ध थे, क्योंकि संकर और उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज का वास्तविक वितरण वर्ष 2013-14 (2,948 क्विंटल) जो वर्ष 2012-13 (8,264 क्विंटल) की तुलना में काफी कम थी, जैसे की अनुवर्ती कंडिका 2.1.8.1 में चर्चा की गई है। इसके अलावा तीन जिलों (कटनी, मंडला और सीधी) में वर्ष 2013-14 में उत्पादकता की तीव्र (अत्यधिक) वृद्धि दर्शायी गई है, जिनमें वर्ष 2014-15 में अचानक गिरावट तालिका 2.1.3 में दर्शाए अनुसार हुई, जिससे वर्ष 2013-14 के दौरान धान जिलों की उत्पादकता और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों की समीक्षा, विभाग को करना वांछित है।

तालिका 2.1.3: तीन जिलों में धान की उत्पादकता का विवरण

जिला	2012-15 के दौरान किलोग्राम/हेक्टेयर में धान की उत्पादकता		
	2012-13	2013-14	2014-15
कटनी	1,226	3,729	2,182
मंडला	672	2,634	1,515
सीधी	1,398	2,464	1,232


⁵ अनूपपुर, दमोह, डिंडोरी, कटनी, मंडला, पन्ना, रीवा और सीधी

शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में उत्पादन में विकास प्रतिशत, राज्य स्तर पर उत्पादन की औसत विकास दर के लगभग बराबर था। आगे यह भी कहा गया कि वर्ष 2014-15 में धान का कम उत्पादन मानसून के कारण प्रभावित हुआ। हालांकि, उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषकों को आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग करने की सलाह देकर प्रयास किए गए थे।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि, इन जिलों में योजनांतर्गत धान के बुवाई क्षेत्र में केवल मामूली वृद्धि हासिल की जा सकी, जो पूरे राज्य की औसत वृद्धि की तुलना में काफी कम थी। इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिले वर्ष 2012-15 के दौरान राज्य स्तर पर धान की औसत उत्पादकता भी प्राप्त नहीं कर सके थे।

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- गेहूं जिलों में योजना का प्रभाव

चार्ट 2.1.2 : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में गेहूं का बुवाई क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता



रा.खा.सु.मि. जिलों में गेहूं की औसत उत्पादकता राज्य औसत से कम रही।

राज्य के 17 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं⁶ लागू किया गया था। चार्ट 2.1.2 में दर्शाए अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि वर्ष 2011-12 के 55.32 लाख मि. टन से वर्ष 2014-15 में 74.03 लाख मि. टन हुई है। हालांकि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में गेहूं की औसत उत्पादकता वर्ष 2014-15 में 2,872 किलो/हेक्टेयर थी, जो राज्य औसत 3079 किलोग्राम/हेक्टेयर से काफी कम थी। 17 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं जिलों में से वर्ष 2012-13, में केवल पांच जिले⁷ वर्ष 2013-14, में पांच जिले⁸ वर्ष 2014-15 में, सात जिले⁹ परिशिष्ट 2.3 में दर्शाए अनुसार राज्य के औसत से अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सके।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2016) कि, कम उत्पादकता वाले जिलों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं के कार्यान्वयन के लिए चिन्हित किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में उत्पादन का विकास प्रतिशत, राज्य स्तर पर उत्पादन की औसत वृद्धि की तुलना में अधिक था।

⁶ अशोकनगर, छतरपुर, गुना, कटनी, खंडवा, खरगोन, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रीवा, सागर, सतना, शिवपुरी, सीधी, सिवनी, टीकमगढ़ और विदिशा

⁷ गुना, खण्डवा, रायसेन, सतना, और शिवपुरी


⁸ गुना, रायसेन, सतना, शिवपुरी और सिवनी

⁹ गुना, खण्डवा, खरगोन, रायसेन, राजगढ़, रीवा और सतना

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिले वर्ष 2012-16 के दौरान राज्य स्तर पर गेहूं की औसत उपज भी प्राप्त नहीं कर सके थे। इसके अलावा योजना से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में गेहूं उत्पादन में निरंतर वृद्धि प्रदान नहीं कर सके एवं आठ जिले (अशोकनगर, छतरपुर, कटनी, पन्ना, राजगढ़, सागर, शिवपुरी और टीकमगढ़) में वर्ष 2014-15 के दौरान बुवाई क्षेत्र में, पिछले साल की तुलना में कमी थी।

• **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन जिलों में योजना का प्रभाव**

चार्ट-2.1.3 : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में दलहन के बुवाई क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता



वर्ष 2012-13 के दलहन के उत्पादन स्तर को बाद के वर्षों में प्राप्त नहीं किया जा

11वीं पंचवर्षीय योजना के 20 जिलों के मुकाबले, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, राज्य के सभी 51 जिले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन के तहत चयनित किए गए थे। चार्ट 2.1.3 में दर्शाए अनुसार वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य में दालों की बुवाई रकवे में तीन फीसदी की मामूली वृद्धि हुई थी। दालों का उत्पादन वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन के क्रियान्वयन की प्रथम वर्ष में सबसे अधिक थी, जो बाद के वर्षों के दौरान काफी हद तक कम हुई। हालांकि वर्ष 2015-16 के अस्थायी आंकड़े, दालों के उत्पादन में वृद्धि के संकेत देते थे। इस प्रकार, दालों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रभाव स्पष्ट नहीं था।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि वर्ष 2013-14 और 2014-15 में प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण दालों का उत्पादन प्रभावित हुआ था।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिले, धान और गेहूं में राज्य की औसत उपज हासिल नहीं कर सके। राज्य में दालों की औसत उत्पादकता में कमी थी। इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों को उत्पादन लक्ष्य प्रदान नहीं किये जाने से, इन जिलों की उपलब्धि मापी नहीं जा सकती थी। इसके अतिरिक्त राज्य में कुल कृषकों के केवल दो प्रतिशत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत लाभान्वित हुए थे, अतः राज्य के समग्र खाद्यान्न उत्पादन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का योगदान सीमित रहा।

2.1.7 आयोजना

2.1.7.1 वार्षिक कार्य आयोजनाओं की तैयारी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दिशा-निर्देशों की कंडिका-8.1 के अनुसार जिला स्तर पर एजेंसी (डीएफएसएमईसी) अपनी वरीयता और क्षमता को ध्यान में रखते हुए जिले की वार्षिक कार्य आयोजना (ए.ए.पी.) तैयार कर राज्य स्तरीय एजेंसी को प्रस्तुत करेगी।

जिला वार्षिक कार्य आयोजना बनाने के पूर्व जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं/ब्लॉक कार्यालयों से जानकारी प्राप्त नहीं की गई।

विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि तकनीकी प्रबंधन समिति एवं किसानों के स्व-सहायता समूह की भागीदारी डी.एल.एस.एम.ई.सी. में रहेगी। वार्षिक कार्य आयोजना तैयार करने के पूर्व जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) से जानकारी प्राप्त किया जाना था। राज्य स्तरीय एजेंसी जिले से प्राप्त वार्षिक कार्य आयोजना के आधार पर राज्य ए.ए.पी. तैयार करेंगे, जिसे एसएफएसएमईसी द्वारा जांचने के उपरांत भारत सरकार कृषि मंत्रालय, के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि नमूना जांच किये गए जिलों में, जिले की वार्षिक कार्यआयोजनाएं जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति (डीएफएसएमईसी) के स्थान पर संबंधित उप संचालकों कृषि दवारा तैयार की गई थी। जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं/ब्लॉक कार्यालयों से जानकारी प्राप्त किये बगैर ही वार्षिक कार्यआयोजना तैयार की गई थी। इस प्रकार, जिले की वार्षिक कार्यआयोजना हितधारकों से आवश्यक विचार विमर्श के बाद तैयार नहीं थे।

दो उप संचालकों खरगोन और सीधी ने सूचित किया कि वार्षिक कार्यआयोजना को गत वर्ष की प्रगति में 10 प्रतिशत जोड़कर तैयार किया गया था। उप संचालक शाजापुर ने सूचित किया कि उन्होंने संचालनालय से प्राप्त लक्ष्यों का कार्यान्वयन किया गया। ग्यारह¹⁰ उप संचालकों ने सूचित किया कि वार्षिक कार्यआयोजना, ब्लॉक कार्यालयों के साथ साप्ताहिक बैठकों में विचार विमर्श के उपरांत तैयार की गई। परन्तु इन 11 उप संचालकों के द्वारा ने ब्लॉक कार्यालयों के साथ हुए बैठक के कार्यवाही विवरण उपलब्ध नहीं करा सके। इसके अलावा, तीन उप संचालकों (भिंड, पन्ना और हरदा) से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि वार्षिक कार्यआयोजनाएं स्थाई समिति¹¹ के साथ विचार विमर्श के बाद जिला स्तर पर तैयार की गई थी। सभी जिला कार्यालयों को ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उप संचालकों कृषि द्वारा वार्षिक कार्यआयोजना तैयार करने के लिए इस प्रक्रिया का अपनाए जाने के बावत सूचित नहीं किया था। ब्लॉक कार्यालयों/पंचायती राज संस्थाओं से जानकारी नहीं लेने के कारण, विभिन्न घटकों में ऐसे सुझावों जिनमें कृषकों की मांग नहीं थी को भी शामिल होना पाया गया, जैसे कि कंडिका 2.1.8, 2.1.11 और 2.1.13.1 में चर्चा की गई है।

2.1.7.2 संदर्शी योजना की तैयारी एवं आधारभूत अध्ययन का संचालन

दिशा निर्देशों के पैरा 4.2.4 के अनुसार राज्य स्तर एजेंसी, मिशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के करीबी समन्वय से एक संदर्शी आयोजना तैयार करेगी। राज्य स्तरीय एजेंसी प्रचालन क्षेत्र (जिला, उपजिला या जिलों का समूह) में मूल सर्वेक्षण और आधारभूत अध्ययन भी आयोजित करेगी, जिससे फसल उत्पादन की स्थिति, इसकी संभावना और मांग का निर्धारण किया जा सके।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि संचालनालय द्वारा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए राज्य स्तरीय एजेंसी था, संदर्शी योजना तैयार नहीं की गई थी। मूल सर्वेक्षण और आधारभूत अध्ययन भी आयोजित नहीं किये गए, जिसके कारण फसलों की उत्पादकता की स्थिति एवं इसकी क्षमता का निर्धारण नहीं किया जा सका था।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि जिलों से प्राप्त वार्षिक कार्यआयोजना, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से प्राप्त सुझावों और भारत सरकार से प्राप्त अस्थायी परिव्यय/कार्यक्रम,

फसलों की उत्पादकता की स्थिति एवं इसकी क्षमता के निर्धारण के लिये संदर्शी योजना और आधारभूत सर्वेक्षण नहीं किया गया।

¹⁰ छतरपुर, दमोह, धार, डिण्डोरी, होशंगाबाद, इंदौर, मण्डला, सिवनी, उज्जैन और विदिशा

¹¹ कृषि स्थाई समिति – त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के तहत स्थापित एक समिति

को ध्यान में रखकर राज्य की वार्षिक कार्यआयोजना तैयार की गयी है। आधारभूत सर्वेक्षण के संचालन के संबंध में शासन ने बताया कि राज्य भूमि रिकार्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर इसे किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राज्य स्तरीय एजेंसी ने संदर्शी आयोजना तैयार नहीं की, यद्यपि योजना के तहत यह जरूरी था। इसके अलावा प्रचालन क्षेत्रों में फसल की क्षमता और मांग के डेटाबेस, राज्य भूमि अभिलेख आंकड़ों में शामिल नहीं थे, जिसका मूल्यांकन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत, मूल सर्वेक्षण और आधारभूत अध्ययन में किया जाना था।

2.1.8 घटकों का क्रियान्वयन

कृषि कार्य में कृषकों की दक्षता बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के लिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दिशा निर्देशों में निम्नलिखित घटक उपलब्ध थे:

- त्वरित फसल उत्पादन कार्यक्रम जिसमें फसल प्रणाली आधारित उत्पादन और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शनों का आयोजन ;
- आवश्यकता आधारित आदानों, जिसके उप-घटकों में संकर/प्रमाणित बीज का वितरण, पोषक तत्व प्रबंधन/मृदासुधारकों¹², पौध संरक्षण उपाय, कृषि यंत्रीकरण और प्रशिक्षण जैसे इनके उपघटक एवं
- सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों और स्थानीय प्रयासों के लिए पुरस्कार।

प्रत्येक घटक की अन्य घटकों के साथ परस्पर संवादात्मक भूमिका थी तथा प्रत्येक फसल घटक में उनके साथ साथ क्रियान्वयन किये जाने पर ही इच्छित परिणाम प्राप्त हो सकते थे। बजट आवंटन में घटकवार योगदान तालिका 2.1.4 में दर्शाए अनुसार था।


तालिका 2.1.4: वर्ष 2012-16 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के घटकों के लिए बजट आवंटन

घटक का नाम	2012-16 के दौरान आवंटन	
	राशि ₹ लाख में	आवंटन प्रतिशत
बीज वितरण	17,714	20
प्रदर्शन	30,125	33
पोषक तत्व प्रबंधन/मृदा सुधारकों	12,511	14
कृषि यंत्रीकरण	23,907	27
प्रशिक्षण	978	1
अन्य-स्थानीय पहल,परियोजना प्रबंधन व्यय, आदि	4,885	5
योग	90,120	100

वर्षों 2012-13 से 2015-16 के दौरान उपरोक्त घटकों का अंश चार्ट 2.1.4 में दर्शाया गया है।

¹² सामग्री जो पौधों को बढ़ने के लिए मिट्टी को अधिक अनुकूल बनाती है और/या मिट्टी के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है।

चार्ट 2.1.4 : विभिन्न घटकों के अंश का विवरण



चार्ट 2.1.4 में दर्शाए अनुसार, कृषि यंत्रीकरण पर सिलसिलेवार वर्षों में बजट आवंटन में कमी आई थी, जो वर्ष 2012-13 में 40 प्रतिशत से, वर्ष 2015-16 में 17 प्रतिशत रही। बीज वितरण के तहत आवंटन की हिस्सेदारी, वर्ष 2012-13 में 9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 32 प्रतिशत हुई, लेकिन यह वर्ष 2015-16 में कम होकर 18 प्रतिशत रह गई। तालिका 2.1.3 और चार्ट 2.1.4 में दर्शाए बजट आवंटन के पैटर्न में, योजनांतर्गत कार्यान्वित उपायों में किसी भी तालमेल के संकेत नहीं थे। चयनित जिलों में संघटकवार घटकों में लक्ष्य एवं उपलब्धियों, की आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.1.8.1 बीज का वितरण

फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीज सबसे अधिक महत्वपूर्ण आदानों में से एक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन परिचालन दिशा-निर्देशों के कंडिका 14.2.1 में निर्धारित हैं कि, राज्य द्वारा अधिकृत बीज उत्पादन एजेंसियां,¹³ चयनित जिलों में कृषकों को बीज वितरित करेंगी। बीज की खरीद के लिए कृषकों को सहायता के मानदंड तालिका 2.1.5 में विवरण अनुसार थे।

चार्ट 2.1.5 : बीज की खरीद के लिए कृषकों को सहायता के मानदंड

फसल का नाम	संकर	किस्में 10 वर्ष से कम
धान	₹ 50/किलो या लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो	₹ 10/ किलो
गेहूं		₹ 10/ किलो
दलहन		₹ 25/किलो या लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो
मोटा अनाज	₹ 50/किलो	₹ 15/किलो या लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो

रा.खा.सु.मि. जिलों में धान, गेहूं, दलहन और मोटा अनाज बीजों के वितरण का लक्ष्य प्राप्त करने में कमी थी।

वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान धान, गेहूं और दलहन के बीज के वितरण के लिए प्राप्त, कुल बजट आवंटन ₹ 177.44 करोड़ के विरुद्ध, विभाग द्वारा केवल राशि ₹ 39.26 करोड़ व्यय की गई। इस घटक के तहत फसल वार भौतिक लक्ष्य और उपलब्धि की स्थिति इस प्रकार है:-

धान के बीजों का वितरण

वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान धान के बीजों वितरण के भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां तालिका 2.1.6 में दर्शाए अनुसार थी।

¹³ राष्ट्रीय बीज निगम (एन.एस.सी.)/राज्य बीज निगम (एस.एस.सी.)/राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एस.ए.यू.)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.)/निजी कंपनियां

तालिका 2.1.6: धान बीज वितरण के भौतिक लक्ष्य और उपलब्धि

(किंटल में)

वर्ष	संकर किस्में						अधिक उत्पादकता देने वाली किस्में					
	8 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-धान जिलों में			लेखा परीक्षित जिले (5 जिले)			8 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-धान जिलों में			लेखा परीक्षित जिले (5 जिले)		
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रति-शत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रति-शत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रति-शत
2012-13	500	1,464	293	175	110	63	15,000	6,800	45	6,720	2,216	33
2013-14	2,000	71	4	760	0	0	20,000	2,877	14	8,200	1,395	17
2014-15	5,900	52	1	2,170	0	0	31,000	2,002	6	11,300	288	3
2015-16	2,400	8	0	1,800	0	0	15,000	5,236	35	13,600	5,068	37
योग	10,800	1,595	14.77	4,905	110	2	81,000	16,915	21	39,820	8,967	23

(स्रोत: जिला कार्यालयों की प्रगति प्रतिवेदन)

इस प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिलों में संकर और उच्च उत्पादकता किस्म के धान बीज के वितरण वर्ष 2012-16 के दौरान संकर बीज के लक्ष्य का केवल 15 प्रतिशत एवं अधिक उत्पादकता देने वाली किस्मों के लक्ष्य का 21 प्रतिशत वितरण किया गया।

गेहूं के बीजों का वितरण

वर्ष 2012-14 के दौरान 10 साल से कम अवधि की किस्मों के प्रमाणित गेहूं के बीज की खरीद के लिए कृषकों को सहायता उपलब्ध कराई गई थी। हालांकि, वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 के दौरान अधिक उत्पादकता वाली किस्मों की खरीद के लिए सहायता प्रदान की गई थी। वर्ष 2012-16 के दौरान गेहूं के बीज के वितरण के भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियों तालिका 2.1.7 में दर्शाए अनुसार रहीं।

तालिका 2.1.7: गेहूं के बीज वितरण की भौतिक लक्ष्य और उपलब्धि

(किंटल में)

साल	17 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं जिलों में			लेखा परीक्षित जिले में (7 जिले)		
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
2012-13	1,40,000	1,07,983	77.13	25,471	16,697	65.55
2013-14	2,40,000	1,17,873.80	49.11	46,000	16,070	34.93
2014-15	2,40,000	42,040.57	17.52	84,000	20,483	24.38
2015-16	68,004	25,843	38.00	32,860	9,190	27.96
योग	6,88,004	2,93,740.37	42.69	1,88,331	62,440	33.15

(स्रोत: जिला कार्यालयों की प्रगति प्रतिवेदन)

इस प्रकार, गेहूं के बीज के वितरण के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी कमी थी। संचालनालय ने बताया (जनवरी 2017) कि वर्ष 2015-16 के लिए लक्ष्य, भारत सरकार द्वारा सूचित अस्थायी परिव्यय को देखते हुए कम रखा गया था। हालांकि, लक्ष्य कम रखने के बावजूद उपलब्धि निराशाजनक थी।

दलहन बीजों का वितरण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन सभी 51 जिलों में लागू किया गया था। वर्ष 2012-14 के दौरान, कृषकों को "10 वर्ष से कम" एवं "10 वर्ष से अधिक किस्मों" के दलहन बीज की खरीद के लिए सहायता उपलब्ध कराई गई थी। वर्ष 2014-16 के दौरान अधिक उत्पादकता वाली किस्मों की खरीद हेतु सहायता प्रदान की गई। दलहन बीज वितरण के भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियों, तालिका 2.1.8 के अनुसार रहें।

तालिका 2.1.8: दलहन के बीज वितरण की भौतिक लक्ष्य और उपलब्धि

(क्विंटल में)

वर्ष	बीज किस्म	राज्य (51 जिले)			लेखा परीक्षित जिले (17 जिले)		
		लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
2012-13	< 10 वर्ष	16,500	14,837	90	7,170	12,315	172
	>10 वर्ष	50,590	41,429	82	22,250	17,869	80
2013-14	< 10 वर्ष	32,000	26,015	81	25,797	19,065	74
	>10 वर्ष	1,53,650	1,12,650	73	74,848	70,839	95
2014-15	एचवाईव्ही	2,65,000	45,656	17	1,21,460	42,674	35
2015-16	एचवाईव्ही	1,80,080	18,116	10	75,790	10,298	14
योग		6,97,820	2,58,703	37	3,27,315	1,73,060	53

(स्रोत: जिला कार्यालयों की प्रगति प्रतिवेदन)

इस प्रकार, राज्य में दलहन बीज वितरण में प्रगति अवधि 2012-13 से 2015-16 के दौरान कम होती रही, जो वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में क्रमशः केवल 17 और 10 फीसदी रही।

मोटा अनाज बीजों का वितरण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटा अनाज वर्ष 2014-15 से राज्य में लागू किया गया था। वर्ष 2014-16 के दौरान भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि तालिका 2.1.9 में दर्शाए अनुसार रही।

तालिका 2.1.9: धान बीज वितरण के भौतिक लक्ष्य और उपलब्धि

(क्विंटल में)

वर्ष	संकर किस्मे						अधिक उत्पादकता देने वाली किस्में					
	राज्य में (16 जिले)			लेखा परीक्षित जिले (5)			राज्य में (16 जिले)			लेखा परीक्षित जिले (5)		
	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	भौतिक लक्ष्य	उप-लब्धि	प्रतिशत	भौतिक लक्ष्य	उप-लब्धि	प्रतिशत	भौतिक लक्ष्य	उप-लब्धि	प्रति-शत
2014-15	4,450	905	20.33	1,411	180	12.75	6,500	169	2.6	1,316	0	0
2015-16	9,499	0	0	1,100	0	0	9,736	835	8.57	1,050	0	0
योग	13,949	905	6.48	2,511	180	7.17	16,236	1,004	6.00	2,366	0	0

(स्रोत: जिला कार्यालयों की प्रगति प्रतिवेदन)

तालिका 2.1.9 में दर्शाए अनुसार राज्य में संकर और अधिक उत्पादकता किस्म के मोटा अनाज के बीज के वितरण में प्रगति अल्प थी, क्योंकि वर्ष 2014-16 के दौरान संकर और अधिक उत्पादकता किस्म के मोटा अनाज बीज वितरण के लक्ष्य की केवल छह फीसदी उपलब्धि प्राप्त की गई।

इस प्रकार सभी फसल घटकों में कृषकों को गुणवत्तापूर्ण बीज के वितरण में राज्य का समग्र निष्पादन अल्प था। नमूना जाँच किए गए जिलों ने सूचित किया कि बीज की अनुपलब्धता, कृषकों में मांग की कमी, आदि अल्प उपलब्धि के लिए कारण थे। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि, इस घटक के 260 में से 250 लाभार्थियों ने, लाभार्थी सर्वेक्षण में बताया कि उन्होंने विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए बीज का उपयोग करके अधिक उत्पादकता हासिल की थी। इसमें इच्छुक कृषकों को बीज वितरण व्यवस्था की समीक्षा को आवश्यक बनाया, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत लक्षित अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सके।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि धान, गेहूँ और दलहन में बीज वितरण के लक्ष्य उच्च उत्पादकता किस्मों (10 वर्ष से कम) की अपर्याप्त उपलब्धता एवं मोटा अनाज के वितरण में संकर/अधिक उत्पादकता देने वाली किस्मों की उपलब्धता में समस्या की

वजह से प्रभावित हुए थे। आने वाले सीजन के दौरान बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किये जायेंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि लाभार्थी कृषकों को वितरण के लिए गुणवत्ता बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य शासन की जिम्मेदारी थी।

2.1.8.2 जिला बीज समिति का कार्य करना

परिचालन दिशा-निर्देशों के कंडिका 12.5 निर्धारित करती है कि, जिला खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यकारी समिति (डीएफएसएमईसी) के अध्यक्ष द्वारा बीज उपलब्धता एवं कृषकों को बीज वितरण सुनिश्चित करने के लिये, एक जिला स्तरीय बीज समिति गठित की जायेगी। बीज समिति को बीजों हेतु लाभार्थियों की सूची, सत्यापित करने बीज मांग पत्र और बीज का विनरण अंतिम उपयोगकर्ताओं को सुनिश्चित वितरण करने के लिये सत्यापन करना था।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि 17 लेखा परीक्षित जिलों में से पांच जिलों¹⁴ में बीज समिति गठित नहीं की गई थी। शेष 12 जिलों में, जहां इन समितियों का गठन किया गया था, अभिलेखों से यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि, बीज समितियों द्वारा बीज के लाभार्थियों की सूची का सत्यापन एवं उसका वितरण सुनिश्चित किया गया।

शासन ने कहा (दिसम्बर 2016) कि जिला कार्यालयों को जिला बीज समितियों की स्थापना एवं नियमित रूप से बैठकें आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए थे।

2.1.8.3 बीजों की गुणवत्ता

कृषकों को वितरित बीज की गुणवत्ता, बीज अधिनियम 1966 के तहत विनियमित किया जा रहा है, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति बेचने के व्यवसाय, बिक्री के लिए रखने, बेचने की पेशकश, वस्तु विनियमय अन्यथा किसी भी अधिसूचित किस्म के बीज की आपूर्ति नहीं करेंगे, जब तक की बीज, अंकुरण और शुद्धता की न्यूनतम सीमा के अनुरूप नहीं हो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना में कृषकों को प्रमाणित बीज के वितरण की परिकल्पना की गई है।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि लेखापरीक्षित 17 जिलों को वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान, संचालनालय से 3766 बीज गुणवत्ता परीक्षण कराने का लक्ष्य प्राप्त हुई थी, जिसके विरुद्ध **परिशिष्ट 2.4** में दर्शाए अनुसार 3126 (83 प्रतिशत) नमूने लिए गए। बीज नमूने का परीक्षण, कृषकों को वितरण से पूर्व किया जाना था। हालांकि सात¹⁵ लेखा परीक्षित जिलों में 582 नमूने बुवाई की अवधि (खरीफ: जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह; रबी: अक्टूबर मध्य से नवम्बर के प्रथम सप्ताह) के बाद एकत्र किए गए थे।

गुणवत्ता परीक्षण उपरांत प्राप्त 3110 प्रतिवेदनों में से 1,218 के परिणाम बुवाई अवधि पश्चात् प्राप्त हुए। इसके अलावा प्रमाणित बीज के 369 नमूने (प्राप्त प्रतिवेदनों के 11.86 प्रतिशत) निम्नतर पाए गए। इन निम्नतर नमूनों के लाटो में से वितरित बीज की मात्रा, संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने से सत्यापित नहीं किया जा सकी।

नमूने लेने में देरी और गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन विलंब से प्राप्त होने के कारण कृषकों द्वारा निम्नतर बीज की बुवाई करनी पड़ी, जिसने फसल उत्पादन और कृषकों की आय के सृजन, को जोखिम में डाल दिया।

नमूने लेने अथवा बुवाई अवधि के पश्चात् परिणाम प्राप्त होने से विलंब के कारण बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई।

¹⁴ होशंगाबाद, मण्डला, सीधी, उज्जैन और विदिशा

¹⁵ दमोह, धार, होशंगाबाद, मण्डला, सीधी, उज्जैन और विदिशा

शासन ने कहा (दिसम्बर 2016) कि बीज के नमूनों को समय पर संग्रहित करने के निर्देश जिला कार्यालयों को जारी किए गए, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2.1.9 स्थल प्रदर्शन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत फसल प्रणाली पर एवं एकल फसल पर उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकी का स्थल प्रदर्शन, आयोजित किया जाना था। कम से कम 30 फीसदी प्रदर्शन फसल प्रणाली आधारित दृष्टिकोण पर किया जाना था। प्रदर्शन का संचालन खेतों को दो ब्लॉकों में विभाजित करते हुए एक ब्लॉक संवर्धित प्रथाओं (प्रदर्शन प्लाट) और दूसरा कृषकों की प्रथाओं (कंट्रोल प्लाट) में किया जाना था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के जिला परामर्शदाता/तकनीकी सहायकों को प्रदर्शनों के संचालन पर परीवीक्षण करना था और इनके परिणामों को निर्धारित प्रारूप में तैयार कर, जिला स्तरीय जिला प्रबंधन दल को उपलब्ध करना था।

लाभार्थियों का चयन सहयोपरक विधि से, गांव में बैठकें आयोजित करके प्रदर्शनों के उद्देश्यों को समझा कर किया जाना था। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए एकल फसल प्रदर्शन की लागत ₹ 7,500 और फसल अनुक्रम प्रदर्शन के लिए ₹ 12,500 निर्धारित था, जबकि एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए मोटा अनाज प्रदर्शन की लागत ₹ 5,000 थी।

वर्ष 2012-16 के दौरान राज्य एवं चयनित जिलों में प्रदर्शन के वर्षवार लक्ष्य और उपलब्धि परिशिष्ट 2.5 में दर्शाए गए हैं, जिसका एक सार तालिका 2.1.10 में दिया गया है।

तालिका 2.1.10: वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान प्रदर्शनों की लक्ष्य और उपलब्धि

(भौतिक संख्या में और वित्तीय ₹ करोड़ में)

घटक	राज्य				नमूना जांच किये गए जिले			
	भौतिक		वित्तीय		भौतिक		वित्तीय	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)
धान	17,948	16,308	13.46	9.42	11,445	8,914 (77.89)	8.93	5.14 (57.46)
गेहूं	71,761	73,306	69.55	52.08	30,330	29,245 (96.42)	27.26	22.11 (81.11)
दलहन	4,89,393	5,04,112	316.90	282.38	2,42,234	2,41,203 (99.57)	141.71	123.40 (87.08)
मोटा अनाज	46,580	29,434	23.29	8.52	11,800	9,200 (77.97)	5.90	2.72 (45.93)
योग	6,25,682	6,23,160	423.20	352.40	2,95,809	2,88,562 (97.55)	183.80	153.37 (83.44)

(स्रोत: राज्य और जिला कार्यालयों की प्रगति प्रतिवेदन)

इस प्रकार, मोटा अनाज और धान के तहत प्रदर्शन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी थी, जबकि गेहूं और दलहन के लक्षित प्रदर्शनों को लगभग पूरी तरह से प्राप्त किया गया।

शासन ने कहा (दिसम्बर 2016) है कि मोटा अनाज और धान के लक्षित प्रदर्शन को गुणवत्ता बीज की कमी की वजह से हासिल नहीं किया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, प्रदर्शन के साथ ही गुणवत्ता बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवम् लाभार्थी किसानों में उसका वितरण करना राज्य शासन की जिम्मेदारी थी।

प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी करने के लिए सामान्यकृत पैकेज अपनाने के कारण स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं का अभाव रहा।

2.1.9.1 प्रदर्शन प्रौद्योगिकी को अंतिम रूप दिया जाना

परिचालन दिशा निर्देशों में प्रावधान था कि प्रदर्शनों के लिए प्रदान किए जाने वाले आदानों का एक पैकेज, कार्यक्षेत्र में स्थित एस.ए.यू./के.वि.के.¹⁶ के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों के साथ परामर्श के पश्चात् पहचान की जानी थी। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि संचालनालय ने राज्य स्तर पर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श उपरांत, प्रदर्शनों के लिए आदानों की एक पैकेज को तैयार कर, जिलों को अनुपालन हेतु मुहैया कराया। जिलों द्वारा इस पैकेज को एस.ए.यू./के.वि.के. के जिला स्तर के अनुसंधान केन्द्रों से पुष्टि के बिना अपनाने के कारण, अपनाई गई तकनीक में स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं का अभाव रहा।

शासन ने कहा (दिसम्बर 2016) कि पैकेज में कृषि विज्ञान केन्द्र के जिला स्तर के कृषि विज्ञान केन्द्रों के साथ परामर्श के बाद आवश्यक बदलाव करने के निर्देश जारी किए गए थे।

2.1.9.2 फसल प्रणाली आधारित स्थल प्रदर्शन

फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शन, भूमि के एक ही प्लॉट में अनुक्रम फसल के स्थल प्रदर्शनों पर जोर देता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दिशा-निर्देशों में निर्धारित है कि प्रदर्शनों का 30 प्रतिशत फसल प्रणाली आधारित होगी।

नमूना जांच किए गए जिलों में फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों के निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया गया। नमूना जांच किए गए जिलों द्वारा वर्ष 2012-16 के दौरान आयोजित कुल 2.89 लाख प्रदर्शनों में से **परिशिष्ट 2.6** में दर्शाए अनुसार केवल 6,555 प्रदर्शन फसल प्रणाली पर आधारित थे, जो केवल 2.27 फीसदी था।

शासन ने कहा (दिसम्बर 2016) कि उचित समय पर फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों के संचालन के लिए निर्देश (नवम्बर 2016) जारी किए गए थे।

तथ्य वही रहा कि जिला कार्यालयों के दिशा-निर्देशों के परिपालन में फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों के संचालन में विफलता के कारण कृषकों को कृषि क्षेत्र स्तर की अर्थ व्यवस्था में वृद्धि करने के लिए, फसल प्रणाली को अपनाया जाने की जागरूकता से वंचित रहे।

2.1.9.3 प्रदर्शन के परिणामों के लिए अभिलेख

प्रदर्शनों के परिणामों को ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर संकलित किया जाना चाहिए। राज्य स्तर पर प्रदर्शनों के परिणामों को दस्तावेज के रूप में संकलित किया जाना चाहिए। ब्लॉक स्तर पर एक प्रदर्शन पंजी, रखना था जिसमें कृषक के चयन, मृदा परीक्षण की तारीख, उपयोग किए गए बीज किस्म का नाम, बुवाई की तारीख, इस्तेमाल किये गये सामग्री की मात्रा एवं नाम और फसल कटाई प्रयोगों के परिणामों के संबंध में सभी सूचना संधारित किया जाना था। प्रत्येक परिणाम में कृषक, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। दिशा निर्देश में यह भी बताया गया था कि परिणाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के जिला एवं तकनीकी सलाहकारों द्वारा तैयार किए जाने चाहिए।

आठ नमूना जांच किए गए जिलों (भिंड, छतरपुर, डिण्डोरी, होशंगाबाद, इंदौर, मंडला, सिवनी और विदिशा) द्वारा प्रदर्शन का रिकार्ड, सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया, यद्यपि इन जिलों में पिछले चार वर्षों के दौरान राशि ₹ 91.71 करोड़ व्यय कर 1,73,636 प्रदर्शन आयोजित किये गए थे। सात¹⁷ अन्य नमूना जांच किए गए जिलों में,

अभिलेखों का अनुचित संधारण, डिस्प्ले बोर्डों में अधूरी जानकारी प्रदर्शित किये जाने के कारण कृषकों के मध्य उन्नत प्रथाओं के बारे में जागरूकता लाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया।

¹⁶ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि विज्ञान केन्द्रों

¹⁷ दमोह, धार, गुना, हरदा, खरगोन, पन्ना और सीधी

प्रदर्शन के परिणामों में प्रदर्शन प्लॉट और कंट्रोल प्लॉट का तुलनात्मक परिणाम उपलब्ध नहीं था एवं परिणामों पर किसान, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर नहीं थे। इन जिलों में परिणाम तैयार करने में सलाहकार की भूमिका, परिणाम में उनके हस्ताक्षर नहीं होने से ज्ञात नहीं हो सकी। जिला उज्जैन द्वारा कृषक वार प्रदर्शन परिणामों के बजाय, सभी प्रदर्शनों के परिणामों का सारांश ही प्रदान किया गया।

शासन ने अपने जबाब में कहा (दिसम्बर 2016) कि जिला कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी के कारण प्रदर्शनों के परिणाम तैयार नहीं किए गए और अभिलेखों के उचित रखरखाव के लिए निर्देश जारी किए जा चुके थे (दिसम्बर 2016)।

तथ्य वही रहा है कि, आठ नमूना जाँच किए गए जिलों में आयोजित 1,73,636 प्रदर्शनों के परिणामों के अभिलेखों के अभाव में, राशि ₹ 91.71 करोड़ का व्यय निष्फल साबित हुआ। इसके अलावा कंट्रोल प्लॉट एवं प्रदर्शन प्लॉट के तुलनात्मक परिणाम का उल्लेख किए बिना प्रदर्शनों के परिणामों को बनाये जाने से, प्रदर्शित प्रौद्योगिकी के लाभ के बारे में कृषकों को जागरूक करने के उद्देश्य, विफल हुआ।

2.1.9.4 प्रदर्शन बोर्ड का उपयोग

प्रदर्शन बोर्ड, पर कृषकों की संख्या, गांव, उपयोगित बीज की किस्म, प्रदर्शन के प्रकार, उपयोगित उर्वरक, उपयोगित जैव उर्वरकों, उपयोगित सूक्ष्म पोषक तत्व, बुवाई/रोपाई की तारीख, बीज दर और अंतर, जिला सलाहकार/तकनीकी सहायक के मोबाइल नंबर, की जानकारी अंकित करते हुए, प्रदर्शन प्लॉट पर प्रदर्शित करने थे।

लेखा परीक्षा जांच में पता चला कि प्रदर्शन प्लॉट में प्रदर्शन बोर्डों पर व्यय किया गया था। हालांकि दो जिलों—छतरपुर और सिवनी में डिस्प्ले बोर्ड के संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि डिस्प्ले बोर्ड में दिशा-निर्देशों के तहत जरूरी सभी जानकारी शामिल नहीं की गई थी। इसके अलावा, उप संचालक, कृषि खरगोन ने सूचित किया कि वर्ष 2015-16 में प्रदर्शन बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किए गए थे।



ग्राम पचवारा ब्लॉक नौगांव, जिला छतरपुर में कृषक के खेत में अधूरी जानकारी प्रदर्शित करता हुआ डिस्प्ले बोर्ड

ग्राम धूमा ब्लॉक लखनादौन, जिला सिवनी में कृषक के खेत में अधूरी जानकारी प्रदर्शित करता हुआ प्रदर्शन बोर्ड

शासन ने कहा (दिसम्बर 2016) कि जिलों को प्रदर्शन बोर्ड पर पूरी जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश जारी किए गए थे।

2.1.9.5 क्षेत्र दिवस का आयोजन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन परिचालन संबंधी दिशा निर्देश निर्धारित करते हैं, कि फसल के उत्पादक चरण में, वरियत: अनाज के दाने भरने में चरण में, वैज्ञानिकों की भागीदारी

सुनिश्चित करते हुए एक क्षेत्र दिवस, आयोजित किया जाना चाहिए, जिसमें कृषकों की समस्याओं के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियों और समाधान प्रदान किया जा सके।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि क्षेत्र दिवस का आयोजन छह¹⁸ जिलों में आयोजित किया गया। हालांकि, पांच जिलों¹⁹ में इसका आयोजन नहीं किया गया, जिसके लिये, या तो वैज्ञानिकों की अनुपलब्धता या कोषालयों द्वारा लगाए गए अग्रिमों के आहरण पर प्रतिबंध को कारण बताया गया। इंदौर जिले में क्षेत्र दिवस, वैज्ञानिकों की भागीदारी के बिना आयोजित किया गया। हालांकि, अन्य पांच²⁰ जिलों में क्षेत्र दिवस के आयोजन के संबंध में स्थिति न अभिलेखों पर पाई गई और न ही जिलों द्वारा प्रदान की गई।

शासन ने अपने जबाब में कहा (दिसम्बर 2016) कि जिला कार्यालयों को क्षेत्र दिवस आयोजित करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे (दिसम्बर 2016)।

2.1.10 आवश्यकता आधारित आदान

2.1.10.1 पोषक तत्व प्रबंधन/मृदा सुधारक

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दिशा-निर्देशों की कंडिका 14.2.2 के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों/चूना/जिप्सम या अन्य सल्फरयुक्त उर्वरकों जैसे फॉस्फर-जिप्सम/बेंटोनाइट सल्फर का उपयोग एक आधारीय/पर्णीय अनुप्रयोग²¹ के रूप में, आईसीएआर/संबंध राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की सिफारिशों के आधार पर किया जाना था। डीएफएसएमईसी लाभार्थियों की सूची को ग्राम पंचायत के परामर्श से अंतिम रूप देंगे। इन आदानों की लागत का पचास प्रतिशत या तालिका 2.1.11 में दर्शाये गए अधिकतम सहायता राशि को शासन द्वारा वहन किया जाना था और शेष राशि कृषकों को स्वयं वहन करना था।

तालिका 2.1.11: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पोषकतत्व अनुसार स्वीकार्य सहायता मानदंड

पोषक तत्व का नाम	स्वीकार्य सहायता (₹ में)
सूक्ष्म पोषक तत्वों	500 प्रति हेक्टेयर
अम्लीय मिट्टी का चूना या पेपर मड	1000 प्रति हेक्टेयर
जिप्सम/ सल्फर के अन्य स्रोतों	750 प्रति हेक्टेयर
जैव उर्वरक जैसे राईजोबियम, दालों के लिए फॉस्फेट सोल्यूबिलाईजिंग बैक्टेरिया (पीएसबी)	100 प्रति हेक्टेयर

वर्ष 2012-2016 के दौरान, इस घटक के अंतर्गत, राज्य और चयनित जिलों में वर्षवार भौतिक और वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि के विवरण परिशिष्ट 2.7 से 2.9 में दिए गए थे। जिसका एक सार तालिका 2.1.12 में दिया गया है।

तालिका 2.1.12: पोषक तत्व प्रबंधन/मृदा सुधारकों के वितरण की लक्ष्य और उपलब्धि (भौतिक-हेक्टेयर में और वित्तीय ₹ करोड़ में)

घटक	राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिले					नमूना जांच किए गए जिले				
	लक्ष्य		उपलब्धि			लक्ष्य		उपलब्धि		
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय
सूक्ष्म पोषक तत्व										
धान (परिशिष्ट 2.7)	73,500	3.68	73,709	100.28	2.98	39,850	1.99	26,291	65.97	1.25
गेहूं	4,20,000	21.00	3,30,439	78.68	15.05	1,99,259	9.96	1,84,296	92.49	8.57

18 छतरपुर, गुना, खरगोन, मण्डला, शाजापुर और उज्जैन

19 दमोह, धार, पन्ना, सीधी, और विदिशा

20 भिण्ड, डिण्डोरी, हरदा, होशंगाबाद और सिवनी

21 आधारीय अनुप्रयोग, बुवाई के पूर्व अथवा बुवाई के बाद सीधे जमीन में मिलाया जाता है, और पर्णीय अनुप्रयोग खड़ी फसलों पर छिड़काव किया जाता है।

घटक	राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिले					नमूना जाँच किए गए जिले				
	लक्ष्य		उपलब्धि			लक्ष्य		उपलब्धि		
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय
(परिशिष्ट 2.8)										
दलहन (परिशिष्ट 2.9)	9,24,428	46.22	7,26,374	78.58	28.87	2,50,390	13.07	2,28,499	91.26	10.08
लाइम/ जिप्सम										
गेहूं (परिशिष्ट 2.8)	1,23,000	7.93	55,672	45.26	2.30	46,660	2.68	21,490	46.06	1.10
दलहन (परिशिष्ट 2.9)	1,64,376	12.33	1,39,620	84.94	7.74	68,630	5.38	54,851	79.92	3.19
राईजोबियम कल्चर/ फास्फेट सोल्यूबिलाईजिंग बैक्टेरिया (पीएसबी)										
दलहन (परिशिष्ट 2.9)	4,71,300	8.14	3,33,402	70.74	3.64	2,09,516	4.60	1,53,914	73.46	1.71

इस प्रकार, नमूना जाँच किए गए जिलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों लाइम/ जिप्सम और राईजोबियम कल्चर के वितरण के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गए। आगे संवीक्षा में निम्न प्रकार हुआ:-

(i) समेकित पोषण प्रबंधन (आई.एन.एम.) पैकेज के उपयोग

स्थानीय राष्ट्रीय कृषि विश्व विद्यालय/ कृषि अनुसंधान केन्द्र के अनुमोदन के बगैर सामान्यीकृत पैकेज को अपनाये जाने से आई.एन.एम. पैकेज के अंतर्गत वितरित आदानों में, स्थान विशिष्ट आवश्यकता का अभाव रहा।

संचालनालय ने राज्य स्तर पर राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से परामर्श के बाद तैयार की गई सामान्यीकृत आई.एन.एम. पैकेज, कार्यान्वयन के लिए जिलों को प्रदान की। नमूना जाँच किए गए सत्रह जिलों में से चार²² जिलों ने प्राप्त पैकेज के अनुसार आई.एन.एम. के उपयोग को सूचित किया। परिणामतः आई.एन.एम. पैकेज स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना कृषकों को वितरित किए गए।

शासन ने कहा (दिसम्बर 2016) कि सभी जिला कार्यालयों को जिला स्तर पर आदानों के पैकेज के बारे में निर्णय करने के लिए निर्देश जारी (दिसम्बर 2016) किए गए थे।

(ii) जिला स्तर पर आई.एन.एम. के वितरण के अभिलेख नहीं रखा जाना

किसी भी नमूना जाँच किए गए जिलों द्वारा आई.एन.एम. पैकेज के अंतर्गत वितरित सामग्री के वितरण सुनिश्चित करने के लिए कृषकों की पावती उपलब्ध नहीं कराई गई। उप संचालकों द्वारा सूचित किया कि पावतियां ग्राम स्तर में कार्यरत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के पास उपलब्ध थी। इस प्रकार, ब्लॉक और जिला स्तर के कार्यालयों में उपयोगकर्ताओं को वास्तविक वितरण सुनिश्चित किये बिना, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा कृषकों को वितरण के लिए प्राप्त सामग्री मूल्य ₹ 25.87 करोड़ के विरुद्ध प्रदाय पावती के आधार पर भौतिक प्रगति दर्शायी जा रही थी।

शासन ने ब्लॉक स्तर पर वितरण से संबंधित अभिलेखों के रखरखाव के लिए जिला कार्यालयों को अनुदेश (दिसम्बर 2016) जारी किए हैं।

(iii) आई.एन.एम. पैकेज वितरित नहीं होना

जिलों की प्रगति रिपोर्ट की लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि छह जिलों (सीधी, गुना, शाजापुर, खरगोन, दमोह और होशंगाबाद) में दलहन, गेहूं और धान में सूक्ष्म पोषक तत्व, नौ जिलों (विदिशा, पन्ना, दमोह, इंदौर, होशंगाबाद, सीधी, शाजापुर, गुना और छतरपुर) में दलहन और गेहूं में, लाइम/ जिप्सम एवं तीन जिलों (शाजापुर, इंदौर और होशंगाबाद) में दलहन के लिए राईजोबियम कल्चर वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान परिशिष्ट 2.10 में दर्शाए अनुसार वितरित नहीं किए गए थे।

²² छतरपुर, खरगोन, मण्डला और पन्ना

शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) है कि पैकेज के अंतर्गत आदानों को उनके स्थानीय उपलब्धता और कृषकों की मांग के अनुसार वितरित किए गए। हालांकि, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिला कार्यालयों के लिए अनुदेश पुनः से जारी किए गए।

(iv) व्यय के बिना भौतिक उपलब्धि दर्शाया जाना

17 जिलों की प्रगति प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि परिशिष्ट 2.11 में दर्शाए विवरण के अनुसार तीन²³ जिलों ने 14,372 हेक्टेयर हेतु सूक्ष्म पोषक तत्वों का वितरण, चार²⁴ जिलों ने लाइम जिप्सम 2,675 हेक्टेयर हेतु वितरण और दो²⁵ जिलों ने 14,980 हेक्टेयर हेतु राईजोबियम कल्चर/जैव उर्वरकों के वितरण की संबंध वित्तीय उपलब्धि को "शून्य" दर्शाते हुए भौतिक उपलब्धि, दर्शायी गयी थी।

शासन ने कहा (दिसम्बर 2016) कि संबंधित जिला कार्यालयों से वास्तविक स्थिति की जानकारी मांगी गयी है।

2.1.10.2 पौध संरक्षण उपाय

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दिशा-निर्देशों (2012) की कंडिका 14.2.3 के अनुसार चिन्हित जिलों में ₹ 500 प्रति हेक्टेयर या लागत की 50 प्रतिशत जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता, पौध संरक्षण (पी.पी.) रसायन, जैव कीटनाशकों और वीडोसाइडस सहित समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम), के लिए प्रदान किया जाना था। लाभार्थियों की सूची को डीएफएसएमईसी द्वारा ग्राम पंचायत के परामर्श से अंतिम रूप दिये जाने थे।

अवधि 2012-16 के दौरान, इस घटक के अंतर्गत राज्य और चयनित जिलों में वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धि परिशिष्ट— 2.7, 2.8 और 2.12 में दर्शाया गया है। जिसका एक सार तालिका 2.1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.13: पौध संरक्षण के उपायों के वितरण की लक्ष्य और उपलब्धि

(भौतिक हेक्टेयर में, और वित्तीय ₹ करोड़ में)

घटक	राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में				लेखा परीक्षित जिलों में			
	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक (प्रतिशत)	वित्तीय (प्रतिशत)	भौतिक	वित्तीय	भौतिक (प्रतिशत)	वित्तीय (प्रतिशत)
पीपी रसायन और जैव एजेंटों								
दलहन (परिशिष्ट 2.12)	7,19,261	35.96	6,14,187 (85.39)	27.04 (75.19)	2,81,512	14.49	2,70,427 (96.06)	12.67 (87.44)
धान (परिशिष्ट 2.7)	73,544	3.68	63,618 (86.50)	2.94 (79.89)	42,100	2.11	33,865 (80.44)	1.58 (74.88)
गेहूँ (परिशिष्ट 2.8)	1,63,930	8.20	1,50,895 (92.05)	6.72 (81.95)	88,675	4.43	85,254 (96.14)	4.32 (98.18)
वीडीसाइडस								
दलहन (परिशिष्ट 2.12)	85,064	4.25	49,656 (58.37)	2.00 (47.17)	42,504	2.14	22,554 (53.06)	0.82 (38.32)
धान (परिशिष्ट 2.7)	26,250	1.31	12,500 (47.62)	0.47 (35.88)	18,730	0.94	8,800 (46.98)	0.36 (38.30)
गेहूँ (परिशिष्ट 2.8)	11,000	0.55	6,639 (60.35)	0.15 (27.27)	3,710	0.18	2,060 (55.53)	0.08 (44.44)

23 दमोह, धार, और सीधी

24 छतरपुर, दमोह, धार, और सीधी

25 छतरपुर, और सीधी

घटक	राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में				लेखा परीक्षित जिलों में			
	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक (प्रतिशत)	वित्तीय (प्रतिशत)	भौतिक	वित्तीय	भौतिक (प्रतिशत)	वित्तीय (प्रतिशत)
आईपीएम पैकेज								
दलहन (परिशिष्ट 2.12)	2,00,000	15.00	2,13,715 (106.86)	15.77 (105.13)	88,671	7.00	94,303 (106.35)	7.77 (111.00)
दलहन (परिशिष्ट 2.12)	27,000	0.68	12,946 (47.95)	0.28 (41.18)	12,684	0.52	9,456 (74.55)	0.39 (75.00)

नमूना जांच किए गए जिलों की लेखा परीक्षा जांच में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

(i) गैर-अनुमोदित दर पर सहायता दिया जाना

दमोह में गेहूं (2012-13) में पौध संरक्षण रसायन और बायो एजेंटों के लिए सहायता, निर्धारित मानदंड राशि ₹ 500 प्रति हेक्टेयर के स्थान पर राशि ₹ 783 प्रति हेक्टेयर की दर से दी गई थी। उप संचालक ने कहा कि मद के वितरण पर वास्तविक व्यय (2,970 हेक्टेयर के लिए) ₹ 14.85 लाख था, जो मापदंड के अनुसार था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जिले द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन में पौध संरक्षण रसायन और बायो-एजेंटों के लिए सहायता पर व्यय ₹ 23.28 लाख को व्यय की भांति दर्शाया, जिससे कृषकों को प्रदाय की गई सहायता राशि ₹ 783 प्रति हेक्टेयर (2,970 हेक्टेयर के लिए) होती है।

शासन ने कहा (दिसम्बर 2016) कि तथ्यात्मक स्थिति संबंधित जिले से पता लगाई जा रही थी।

(ii) व्यय के बिना भौतिक उपलब्धि दर्शाया जाना

17 जिलों की प्रगति प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि दो जिलों (दमोह और सीधी) ने 1,750 हेक्टेयर के लिए बीडीसाइडस की आवश्यक मात्रा के भौतिक वितरण, जबकि दो अन्य जिलों (होशंगाबाद और सीधी) ने 7,050 हेक्टेयर के लिए पीपी रसायनों और बायो-एजेंटों की आवश्यक मात्रा के भौतिक वितरण दर्शाए हैं, किन्तु इसकी वित्तीय उपलब्धि, **परिशिष्ट 2.11** में दर्शाए अनुसार, "शून्य" दिखाई गई थी।

शासन ने कहा (दिसम्बर 2016) कि तथ्यात्मक स्थिति जिलों से मांगी गयी है और भविष्य में भी ऐसे मामलों से बचने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

(iii) आईपीएम पैकेज वितरित नहीं किये गए

जिलों की प्रगति प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि **परिशिष्ट 2.10** में दर्शाए अनुसार पांच जिलों (सीधी, गुना, शाजापुर, पन्ना और इंदौर) ने पौध संरक्षण के लिए आवश्यक आदानों सहित आईपीएम पैकेज का वितरण, वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 के दौरान नहीं किया गया था।

शासन ने कहा (दिसम्बर 2016) कि आदानों को स्थानीय उपलब्धता और कृषकों से मांग के अनुसार वितरित किया गया था। सभी जिला कार्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे लक्षित वितरण को प्राप्त करें।

2.1.11 फार्म यंत्रीकरण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दिशा-निर्देशों की कंडिका 14.2.4 के अनुसार खेत से जुड़े कार्यों को समय से पूरा करने, खेत से जुड़े कार्यों की कुशलता बढ़ाने, फसल घनत्व में वृद्धि एवं खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से, चयनित कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा प्रत्येक यंत्र के लिए अधिकतम निर्धारित राशि की आर्थिक

सहायता उपलब्ध थी। राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति (एसएफएसएमईसी) को कृषकों को कृषि उपकरणों के विक्रय के लिए एजेंसी को नामित करने का एवं उपकरणों की लागत को निर्धारित करना था। लाभार्थियों की सूची (50 प्रतिशत उन कृषकों को चयनित किया जाना है, जिनके खेत में प्रदर्शन आयोजित किया गया है) जिला कृषि अधिकारी के द्वारा जिला परिषद से विचार विमर्श करके तैयार करना था एवं डी.एफ.एस.एम.ई.सी से अनुमोदित कराया जाना था। संपूर्ण राज्य एवं नमूना जांच किए गए जिलों में, वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान इस घटक के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि तालिका 2.1.14 में दर्शायी गई है।

तालिका 2.1.14 कृषि यंत्रीकरण घटक के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि

(भौतिक संख्या में एवं वित्तीय राशि ₹ करोड़ में)

क्र. स.	कृषि यंत्र	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत राज्य की जिले				जांच किये गए जिले			
		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	कोनीवीडर	5,300	3.22	2,652	0.29	2,760	0.40	1,563	0.21
2	मैन्यूअल स्प्रेयर	45,525	2.73	26,146	1.34	14,840	0.89	9,545	0.53
3	नेपसेक स्प्रेयर	48,147	14.44	1,55,487	12.37	23,458	7.04	69,009	5.60
4	जीरो टिल सीड ड्रिल	295	0.44	80	0.10	88	0.13	7	0.009
5	मल्टीक्रॉप प्लान्टर	103	0.15	0	0.00	29	0.04	0	0
6	सीड ड्रिल	21,802	32.70	13,909	19.77	9,265	13.90	6,662	9.20
7	पांवर वीडर	57	0.08	4	0.006	23	0.03	0	0.00
8	रोटावेटर	16,914	55.32	12,312	37.54	7,169	23.16	5,056	14.66
9	विद्युत डीजल पंप	36,761	36.76	31,835	28.13	16,753	16.75	12,642	11.59
10	स्प्रिंकलर सेट	1,21,093	97.98	1,17,356	89.78	56,520	45.76	54,549	41.79
11	श्रोत से खेत तक पानी लाने हेतु पाइप क्रय हेतु सहायता	57,243	85.86	48,297	68.27	18,460	27.69	14,203	18.82
12	लीजर लैंड लेवलर	48	0.72	3	0.08	19	0.29	2	0.03
13	जीरो टिल मल्टीक्रॉप प्लान्टर	71	0.10	0	0.00	18	0.03	0	0.00
14	रिज फेरो प्लान्टर	64	0.09	2	0.003	11	0.02	0	0.00
15	रेनगन	426	0.63	488	0.42	297	0.46	92	0.06
16	चिसलर	42	0.03	0	0.00	14	0.01	0	0.00
17	ट्रेक्टर माउंटेड स्प्रेयर	60	0.06	0	0.00	15	0.02	0	0.00
18	मल्टी क्रॉप थ्रेशर	1,880	7.52	1,150	3.71	706	2.82	387	1.25
19	ड्रम सीडर	15	0.002	0	0.00	8	0.005	0	0.00
20	स्वयं चलित धान ट्रांसप्लान्टर	7	0.05	0	0.00	4	0.03	0	0.00
योग		3,55,853	338.85	4,09,721	261.81	1,50,457	139.475	1,73,717	103.749

(स्रोत: राज्य एवं जिला कार्यालयों का प्रगति प्रतिवेदन)

इस प्रकार, जैसा कि तालिका 2.1.14 से स्पष्ट है, वर्ष 2012-16 के दौरान 1.50 लाख कृषि उपकरणों का वितरण करना था, मल्टी क्रॉप प्लान्टर, जीरोटिल मल्टी क्रॉप प्लान्टर, चिसलर, ट्रेक्टर माउंटेड स्प्रेयर, ड्रम सीडर एवं स्वयं चलित धान ट्रांसप्लान्टर का वितरण शासन द्वारा नहीं किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान इस घटक के अंतर्गत 330 हितग्राहियों से प्रतिक्रिया प्राप्त की गयी थी जिसमें से 291 हितग्राहियों ने प्राप्त यंत्रों से संतुष्ट होने एवं उपकरणों के उपयोग से उन्हें अधिक उत्पादन उपज प्राप्त होने की जानकारी दी।

2.1.11.1 कृषि उपकरणों के लिए आपूर्ति एजेंसी एवं दरे निर्धारित नहीं किये जाने से अनियमित व्यय

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति ने कृषकों को प्रदाय किए जाने वाले कृषि यंत्रों के एजेंसीयों एवं दरे को निर्धारण नहीं किये जाने से राशि ₹ 261.81 करोड़ का अनियमित व्यय

विभाग ने कृषकों का विभिन्न कृषि उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए एजेंसी नामित नहीं की एवं विभिन्न कृषि उपकरणों को कृषकों को प्रदाय करने के लिए उपकरणों की लागत राशि का भी निर्धारण नहीं किया, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन परिचालन दिशा-निर्देशों में यह किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार, कृषकों को गैर-अनुमोदित एजेंसी एवं गैर-अनुमोदित दरों से 4.10 लाख कृषि उपकरणों की क्रय करने पर सहायता प्रदान किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2012-16 के दौरान राशि ₹ 261.81 करोड़ का व्यय अनियमित रहा। इसके अतिरिक्त कृषि उपकरणों के दरों पर विभाग का कोई नियंत्रण नहीं रहा, जिससे इन उपकरणों के क्रय हेतु कृषकों की क्रयक्षमता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान प्रमुख सचिव, कृषि ने अवगत कराया कि यंत्रों की आपूर्ति हेतु एजेंसी एवं दरों के निर्धारण में विभाग की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उपकरणों की आपूर्ति म.प्र.एग्रो एवं विपणन संघ द्वारा किये गए थे, जिनके पास उपकरणों के लिए एजेंसी एवं दरों के निर्धारण हेतु अपनी अलग प्रणाली है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार, राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति द्वारा कृषकों को कृषि उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए एजेंसी नामित एवं उपकरणों की लागत राशि का निर्धारण करना था। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत, म.प्र. एग्रो एवं विपणन संघ से क्रय पर कोई रियायत नहीं थी। अतः कृषकों को, गैर-अनुमोदित एजेंसी एवं दरों पर कृषि उपकरणों के क्रय पर दी गई सहायता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन परिचालन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

2.1.11.2 कृषकों के चयन हेतु निर्धारित मापदंडों सुनिश्चित नहीं किया जाना

जिला कार्यालयों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार, 50 प्रतिशत कृषक जिन्हें प्रदर्शन घटक के अंतर्गत चयनित किया गया हो, का भी चयन इस घटक में किया गया है, सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं थी।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार (दिसम्बर 2016) करते हुए सभी जिला कार्यालयों को योजना के दिशानिर्देशों को पालन करने के अनुदेश जारी किये।

2.1.11.3 उपकरणों के वितरण पर अनियमित अधिक सहायता

संचालनालय ने वर्ष 2013-14 तक स्प्रिंकलर सेट्स पर सहायता ₹ 7,500 प्रति हेक्टेयर अथवा लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, के आधार पर प्रदान की। वर्ष 2014-15 से उच्चतम दर को राशि ₹ 10,000 प्रति हेक्टेयर तक पुनरीक्षित किया गया था। नमूना जांच किये गये 17 जिलों में से दो जिलों (शाजापुर एवं उज्जैन) में पाया गया कि 470 कृषक जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि का स्वामित्व था, को अनुपातिक आधार के स्थान पर अधिकतम निर्धारित दर पर सहायता प्रदाय की गई, जिसके फलस्वरूप **परिशिष्ट 2.13** में दर्शाए अनुसार राशि ₹ 12.89 लाख की अनियमित अधिक सहायता प्रदाय किया गया।

इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन परिचालन के दिशा-निर्देश 2012 के अनुसार "स्रोत से खेत तक पानी लाने हेतु पाइप" में सहायता लागत का 50 प्रतिशत अथवा ₹ 25 प्रति मीटर अधिकतम 600 मीटर पाइप तक अथवा अधिकतम राशि ₹ 15,000 जो भी कम हो, निर्धारित थी। नमूना जांच किये गए 17 जिलों में से, 14 जिलों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ₹ 25 प्रति मीटर की निर्धारित मानदंड का पालन

स्प्रिंकलर सेट्स (₹ 12.89 लाख) एवं "स्रोत से खेत तक पानी लाने हेतु पाइप" (₹ 4.98 करोड़) में निर्धारित सहायता पर्टन का अनुपालन नहीं किये जाने से, ₹ 5.11 करोड़ की अनियमित सहायता प्रदाय की गई।

नहीं किया गया था, जिससे 7,867 कृषक जिन्होंने 600 मीटर से कम पाइप क्रय किये थे, को भी अधिकतम ₹ 15,000 के मान से सहायता दी गयी, जिससे **परिशिष्ट 2.14** में दर्शाए अनुसार राशि ₹ 4.98 करोड़ की अधिक अनियमित सहायता प्रदान की गयी।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) की इस संदर्भ में संबंधित जिला कार्यालयों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

अतः योजना के निर्देशों के कंडिका 14.2.4 के उल्लंघन से, कुशलता बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के लिए आवश्यक कृषि उपकरण सस्ते मूल्य पर उपलब्ध नहीं कराये गये थे। ऐसे उपकरणों को भी आयोजना में शामिल किया गया जिनकी कृषकों में मांग नहीं थी, फलस्वरूप उन उपकरणों की वितरण में प्रगति शून्य/न्यूनतम रही। स्प्रिंकलर सेट्स एवं पाइपलाईन वितरण में सहायता प्रदाय करने हेतु अनुदान मानकों का पालन नहीं किया गया था।

2.1.12 फसल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

उन्नत फसल उत्पादन तकनीकों की जानकारी से कृषकों को त्वरित अवगत कराने के लिए, कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाना था (कंडिका 14.2.5)। प्रत्येक प्रशिक्षण में चार शिक्षण सत्र एक-एक रबी एवं खरीफ ऋतु पूर्व एवं एक एक रबी एवं खरीफ ऋतु के दौरान आयोजित किया जाना था। प्रशिक्षण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि विज्ञान केन्द्र के कृषि/विषय वस्तु विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना था। प्रत्येक सत्र में 30 कृषक एवं चारों शिक्षण-सत्र में उन्ही कृषकों के समूह को शामिल किया जाना था। राज्य एवं चयनित जिलों में वर्ष 2012-16 के दौरान इस घटक में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि **परिशिष्ट 2.15** में दिखाई गयी हैं एवं उसका सार **तालिका 2.1.15** में दिया गया है।

तालिका 2.1.15 फसल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि

(भौतिक संख्या में एवं वित्तीय राशि ₹ करोड़ में दर्शित)

फसल	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत राज्य के जिले				जांच किये गए जिले			
	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
दलहन	4,734	6.63	3,836	5.10	1,731	2.42	1,524	1.98
गेहूं	1,865	2.61	1,689	2.13	729	1.02	719	0.83
धान	385	0.54	371	0.50	187	0.26	183	0.25
योग	6,984	9.78	5,896	7.73	2,647	3.70	2,426	3.06

(स्रोत: राज्य एवं जिला कार्यालयों के प्रगति प्रतिवेदन)

नमूना जांच किये गए जिलों के संबंधित उपसंचालकों के अनुसार पर्याप्त-संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने से लक्ष्य पूर्ति में कमी रही। उपसंचालक शाजापुर, ने सूचित किया कि ब्लॉक स्तर अधिकारी के (वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी) द्वारा प्रशिक्षण आयोजन करने से इंकार करने के कारण लक्ष्य पूर्ति नहीं की जा सकी।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) की सभी जिला कार्यालयों को लक्ष्य पूर्ति करने के अनुदेश जारी किये गए थे।

2.1.12.1 प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वैज्ञानिकों को सम्मिलित नहीं करना

लेखापरीक्षा की जांच में पता चला कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्र के कृषि विशेषज्ञ के स्थान पर विभागीय/सेवानिवृत्त अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। निर्देशों में आवश्यकता अनुसार जिला परामर्शदाताओं द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सृजित नहीं किए गए। जिससे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि विज्ञान केन्द्र/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/की विशेषज्ञता का उपयोग कृषकों को उन्नत फसल उत्पादन तकनीकों

प्रशिक्षण के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों को सम्मिलित नहीं किये जाने से प्रशिक्षण पर किया गया व्यय राशि ₹ 3.05 करोड़ का निष्फल रहा।

की जानकारी प्रदाय करने के लिए नहीं की गई यद्यपि कृषकों के प्रशिक्षण के लिए नमूना जांच किये गये जिलों द्वारा वर्ष 2012-2016 के दौरान राशि ₹ 3.05 करोड़ व्यय का किया गया।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि जिला स्तर पर कृषि वैज्ञानिक उपलब्ध नहीं होने से विभागीय/सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल पाठ्यक्रम सृजित नहीं किये जाने एवं वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने से, कृषकों को प्रदत्त प्रशिक्षण के मानक प्रभावित हुए।

2.1.13 स्थानीय पहल

स्थानीय पहल के अंतर्गत प्रारंभ किये गए घटक, जिलों की एसआरईपी के भाग नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप कृषकों से मांग के बिना मदों को सम्मिलित किया गया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दिशा-निर्देशों की कंडिका 14.8 के अनुसार राज्यों को स्थान विशिष्ट क्रियाकलापों (जो मिशन के सामान्य क्रियाकलापों के तहत समाहित नहीं किये गए) जो धान, गेहूँ, दलहन एवं मोटा अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने में सहायक होगी, का समर्थन करने के लिए जिलों को प्रत्येक घटक की लागत का 50 प्रतिशत की सहायता उपलब्ध थी। चयनित क्रियाकलाप जिला परिषद के साथ परामर्श से एवं जिले के कार्यनीति, अनुसंधान और विस्तार आयोजना (एस.आर.ई.पी.) का हिस्सा होना चाहिए।

इस घटक के अंतर्गत राज्य और चयनित जिलों में वर्ष 2012-16 के दौरान वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि परिशिष्ट 2.16 से 2.18 में दर्शाए अनुसार रही। जिसका सार तालिका 2.1.16 में दिया गया है।

तालिका 2.1.16: स्थानीय पहल घटक में प्राप्त लक्ष्य और उपलब्धि

(भौतिक संख्या में और वित्तीय ₹ करोड़ में)

गतिविधि का नाम	राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में					नमूना जांच किये गये जिले में				
	लक्ष्य		उपलब्धि			लक्ष्य		उपलब्धि		
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	प्रतिशत	वित्तीय
धान (परिशिष्ट 2.16)										
स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिये पाइप	2,400	3.60	2,432	101.33	3.39	1,256	1.88	1,309	104.22	1.88
विनोदर	6,680	1.67	1,826	27.34	0.36	4,023	1.01	1,192	29.63	0.27
गेर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदर्शन	250	0.19	0	0.00	0	56	0.04	0	0.00	0
गेहूँ (परिशिष्ट 2.17)										
स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिये पाइप	735	1.10	745	101.36	1.10	307	0.46	447	145.60	0.53
गतिविधि निर्दिष्ट नहीं		1.20	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
मल्टी क्रॉप श्रेणर	842	3.37	31	3.68	0.004	153	0.61	11	7.19	0.00
गेर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदर्शन	1,280	0.96	170	13.28	0.03	150	0.11	0	0.00	0.00
दलहन (परिशिष्ट 2.18)										
स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिये पाइप	1,290	1.94	1,290	100.00	1.94	2,890	4.34	2,943	101.83	4.59
बीज उपचार ड्रम	39,194	3.92	1,916	4.89	0.13	14,538	1.46	119	0.82	0.01
स्पाइरल ग्रेडर	39,000	7.80	3,821	9.80	0.13	14,878	2.94	560	3.76	0.05
के.वी.के. द्वारा प्रदर्शन	3,000	2.25	1,122	37.40	0.60	902	0.68	432	47.89	0.24

(स्रोत: राज्य और जिला कार्यालयों की प्रगति प्रतिवेदन)

लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि संचालनालय से प्राप्त लक्ष्यों के अनुसार इस घटक के अंतर्गत गतिविधियां प्रारंभ की थी। चूंकि जिलों को स्थानीय पहल अंतर्गत प्रदान की गई लक्ष्य, जिला कार्यनीतिक, अनुसंधान और विस्तार योजना का हिस्सा नहीं थे, इस घटक के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न गतिविधियों (स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए पाइप को छोड़कर) के भौतिक लक्ष्य अप्राप्त रहे, जो गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदर्शन घटक में न्यूनतम शून्य (परिशिष्ट 2.16 और 2.17) बीज उपचार ड्रम में 0.82 प्रतिशत, एवं स्पाइरल ग्रेडर में 3.76 प्रतिशत (परिशिष्ट 2.18) रही।

आगे जांच में यह भी प्रकट हुआ है कि "स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए पाइप", जो एन.एफ.एस.एम. के सामान्य गतिविधि "कृशल जल उपयोग उपकरण" के तहत उपलब्ध था, को भी स्थानीय पहल के तहत लिया गया था। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दिशा-निर्देशों के विपरीत था, जिसके अनुसार केवल वे गतिविधियां, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के सामान्य गतिविधियों के तहत उपलब्ध नहीं थे, को ही स्थानीय पहल के अंतर्गत लिया जाना था।

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार करते हुए आश्वासन (दिसंबर 2016) दिया कि भविष्य में वार्षिक कार्य योजना प्रावधानों, को दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार की जायेगी।

2.1.14 उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों के लिए पुरस्कार

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दिशा-निर्देशों (2012) के कंडिका 14.7 के अनुसार, प्रत्येक दो साल में ₹ 5.00 लाख का नकद पुरस्कार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के प्रत्येक चार घटकों धान, गेहूँ, दलहन और मोटा अनाज में, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को दिये जाने का प्रावधान था। राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति को, जिलों का चयन, प्रदर्शन का आंकलन के निर्धारित मानदंड के आधार पर पुरस्कार देने के लिए चयन करना था। परंतु विभाग ने पुरस्कार हेतु सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले के प्रस्ताव भारत सरकार को अभी तक प्रेषित नहीं किया गया।

शासन ने कहा (दिसंबर 2016) कि कार्यवाही प्रगति पर है। इस प्रकार, राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत बेहतर प्रदर्शन के लिए जिलों को वर्ष 2012-16 के दौरान प्रोत्साहन प्रदान करने में विफल रहा।

2.1.15 निधि प्रबंधन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के दिशा-निर्देशों की कंडिका 7 (12 वीं पंचवर्षीय योजना) में निर्धारित निधि प्रवाह के तंत्र के अनुसार, मिशन के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए निधि राज्य शासन को विमुक्त की जाएगी, जो बाद में राज्य स्तरीय एजेंसी को उपलब्ध होगी। राज्य स्तरीय एजेंसी प्राप्त निधियों को जिलों के अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार जिला स्तरीय एजेंसी को उपलब्ध करायेंगे। निधियों को किस्तों में, प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्रस्तुत करने पर जारी किया जाना था।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत वर्ष 2012-13 और 2013-14 के वर्षों के दौरान सीधे राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (एसआईईटी) जो म.प्र. में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यान्वयन हेतु नियुक्त नोडल एजेंसीयों को अनुदान सहायता सीधे जारी की। संचालनालय से मांग पत्र प्राप्त होने पर (एसआईईटी) ने संबंधित जिले के उप संचालक कृषि को उनके संबंधित बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन निधि, वितरित की। हालांकि वर्ष 2014-15 से आगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत अनुदान सहायता सीधे राज्य सरकार को जारी किया गया, जिसे संचालनालय

द्वारा जिला कार्यालयों को राज्य बजट/राज्य कोषालय प्रणाली के माध्यम से वितरित किया गया।

वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत निधि के उपलब्धता एवं उपयोग की स्थिति को वर्षवार तालिका 2.1.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.17: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत निधि का वर्षवार उपलब्धता और उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	पिछला अन्तिम शेष	प्राप्त ब्याज	वर्ष के दौरान उपलब्ध कुल निधि	वर्ष के दौरान व्यय	अंतिम शेष	उपयोग (प्रतिशत)
2012-13	247.14	6.68	2.04	255.86	241.85	14.01	95
2013-14	366.07	14.01	2.33	382.41	334.78	47.63	88
2014-15*	214.70	47.63	0	262.33	179.18	83.15	68
2015-16*	223.50	72.75	0.46	296.71	189.37	107.34	64

(स्रोत : संचालनालय द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े) *बिना लेखापरीक्षा के आंकड़े

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन निधि, का पूर्ण उपयोग राज्य द्वारा वर्ष 2012-16 के दौरान नहीं किया जा सका।

राज्य में रा.खा.सु.मि. निधि के उपयोग की प्रवृत्ति लगातार कम होना पाया गया, जो वर्ष 2012-13 के अधिकतम 95 फीसदी से वर्ष 2015-16 में 64 प्रतिशत रही। लेखापरीक्षा जांच में यह पाया गया कि धन उपलब्ध कराने के लिए बजटीय प्रणाली लागू किये जाने के वर्ष 2014-15 से नमूना जांच किये गये जिलों द्वारा वर्ष 2014-16 के दौरान प्राप्त कुल बजट आवंटन ₹ 106.35 करोड़ का 26.88 प्रतिशत का उपयोग नहीं किया जा सका, जो परिशिष्ट 2.19 में दर्शाए विवरण अनुसार, व्यपगत अथवा समर्पित कर दिया गया।

इसके अलावा वर्ष 2015-16 के प्रारम्भिक शेष (₹ 72.75 करोड़) वर्ष 2014-15 के अव्यतित शेष (₹ 83.15 करोड़) के अनुरूप नहीं था। वर्ष 2015-16 के गलत अनंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुतीकरण के कारण से अंतर थी, जिसे शासन ने अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र, भेजने से पूर्व सुधारने का आश्वासन दिया।

अव्यतित शेषों के संदर्भ में, शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि भारत सरकार द्वारा राशि मार्च के अंत में जारी किये जाने के कारण वर्ष 2012-13 और 2015-16 में उपयोग नहीं किया जा सका। यह भी कहा गया कि त्रैमासिक बजट प्रणाली लागू होने, कम वर्षा, सूखा और कोषालयों में सर्वर से संबंधित समस्याओं के चलते, वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि वर्ष 2015-16 में पूर्ण अनुदान राशि माह सितम्बर 2015 तक भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी थी एवं वर्ष 2012-13 के अनुदान सहायता ₹ 247.14 करोड़ में से केवल ₹ 3 करोड़ माह मार्च 2013 में प्राप्त हुआ था। वर्ष 2013-14 और 2014-15 में, त्रैमासिक बजट प्रणाली लागू होने एवं सर्वर से संबंधित समस्याओं को बेहतर वित्तीय नियोजन और तकनीकी सहायता के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता था। इसके अलावा तथ्य कि पूर्ववर्ती कंडिकाओं में की गई चर्चा अनुसार, विभिन्न घटकों में वर्ष 2012-16 के दौरान लक्ष्यों की उपलब्धियों में कमी रही, जिससे मार्च 2016 की स्थिति में अनुपयोगित शेष ₹ 107.34 करोड़ का संचय हुआ।

2.1.15.1 लेखाओं का रखरखाव

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन परिचालन दिशा-निर्देशों की कंडिका 4.2.3 के अनुसार योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित लेखा संहिता के

अनुसार राज्य और जिला स्तरीय एजेंसियों द्वारा पृथक लेखे अनुरक्षित किये जाने थे। वार्षिक लेखे प्रति वर्ष सनदी लेखापाल से विधिवत लेखा परीक्षित कराया जाना था।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन द्वारा निर्धारित लेखा सहिता, नमूना जांच किये गये जिला कार्यालयों में उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा वर्तमान तक (दिसम्बर 2016) नहीं कराया गया। खातों के लेखाओं के प्रमाणिकरण के अभाव में प्राप्तियों की नियमितता और निधियों के उचित उपयोग के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त नहीं हो सका। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा वर्ष 2014-15 और 2015-16 के अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के इलेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने में बिलंब के कारण से, प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

शासन ने सूचित किया (दिसम्बर 2016) कि अलग लेखा कोड भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई थी। हालांकि शासन ने वर्ष 2014-15 और 2015-16 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलंब के कारणों को सूचित नहीं किया।

2.1.15.2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बैंक खातों का संचालन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जिलों के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों के समुचित उपयोग एवं निगरानी सुनिश्चित करने के लिए संचालनालय, कृषक कल्याण एवं कृषि विकास, मध्य प्रदेश शासन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु एक अलग बैंक खाता खोलने हेतु सभी जिला कार्यालयों को अनुदेश जारी किये थे (सितम्बर 2011)। वर्ष 2014-15 से जिला कार्यालयों के बैंक खाते में निधि अंतरण की प्रणाली बंद की गई और तिमाही आधार पर कोषालय के माध्यम से जारी किया जाने लगा। योजना के वित्त पोषण प्रणाली में किये गये इस परिवर्तन के फलस्वरूप, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत खोले गए बैंक खाते प्रचालित नहीं किये जाने थे एवं इसलिए अब इसे जारी रखना वांछित नहीं था। अभिलेखों की लेखापरीक्षा में, तथापि पाया गया कि संचालनालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन बैंक खातों को बंद करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया।

इसके अतिरिक्त जांच में यह भी प्रकट हुआ कि नमूना जांच किये गये 17 उप संचालकों कृषि में से 12 उप संचालकों²⁶ कृषि ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन बैंक खातों को बंद नहीं किये एवं उक्त खातों में राशि ₹ 8.68 करोड़ (परिशिष्ट 2.20) शेष थी। उप संचालकों कृषि द्वारा इन खातों का अन्य योजनाओं²⁷ की अप्रयुक्त निधियों को जमा करने के लिए किया जा रहा था, जो अनियमित था। इस प्रकार अनुपयोगित राशियों को संचालनालय को वापस करने के किसी आदेश के अभाव में ये राशियां जिला कार्यालयों द्वारा रखे गए एनएफएसएम खातों में निरंतर बनी रही।

किसी आदेश के बिना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन बैंक खाते को जारी रखे जाने से इन बैंक खातों के दुरुपयोग के जोखिम में थे। अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि उप संचालक कृषि, विदिशा ने राशि ₹ 1.66 लाख का आहरण गैर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गति विधियों (कार्यालय व्यय आदि) के व्यय हेतु किया। इस आहरण में राशि ₹ 0.79 लाख की नगद निकासी (जिनमें से ₹ 0.50 लाख एक ट्रेवल एजेंसी को नगद भुगतान किया गया) शामिल थे और शेष राशि ₹ 0.29 लाख के उपयोग के प्रमाणक अभिलेखों में प्राप्त नहीं हुए। उप संचालक ने सूचित किया (फरवरी

अवधि 2014-15 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन बैंक खातों की आवश्यकता नहीं होने के बावजूद संचालनालय, ने जिला कार्यालयों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन बैंक खाते बंद करने के निर्देश नहीं दिये। 12 नमूना जांच किये गये जिला कार्यालयों में इन खातों में राशि ₹ 8.68 करोड़ अनुपयोगित पड़ी थी।

²⁶ भिण्ड, छतरपुर, धार, डिण्डोरी, गुना, होशंगाबाद, मण्डला, पन्ना, सिवनी, शाजापुर, सीधी और विदिशा

²⁷ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बीज ग्राम, कृषि विज्ञान केन्द्र, सूखा राहत, मृदा स्वास्थ्य

2016) कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बैंक खातों से राशि अति आवश्यक कार्यालयीन व्यय, जिसके लिए उनके पास बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं थे, हेतु आहरित किया गया।

लेखापरीक्षा जांच में यह भी पाया गया कि, किसी भी जिला कार्यालयों द्वारा मासिक आधार पर बैंक खातों एवं रोकड़ बही लेनदेन के साथ, बैंक समाधान पत्रक संचालित नहीं किये जा रहे थे, जो कि वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत बैंक खातों का संचालन कर रहे हैं, को जारी निर्देश (जुलाई 2014)²⁸ के विपरीत था। इसके अलावा, 17 नमूना जांच किये गये जिलों में से 12 जिलों में रोकड़ बही और पास बुक में दर्शाए गए शेष राशि के आंकड़ों में ₹ 6.38 करोड़ का अंतर **परिशिष्ट 2.20** में दर्शाए अनुसार था। यद्यपि बैंक समाधान पत्रको के अभाव में, अंतर के कारणों का पता नहीं चल सका।

शासन ने बताया (दिसंबर 2016) कि शेष बैंक खातों को ऑफ बजट राशि के उपयोग के तुरंत बाद बंद कर दिया जाएगा। शासन ने यह भी कहा है कि, जिला कार्यालयों को बैंक समाधान पत्रक तैयार करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वर्ष 2014-15 के बाद से योजना के वित्त पोषण प्रणाली में किये गए परिवर्तन की वजह से, अप्रयुक्त ऑफ बजट निधि को बजट/राज्य कोषालय प्रणाली के माध्यम से सरणीकरण किया जाना आवश्यक था।

2.1.15.3 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- गेहूं के लिये चिन्हित नहीं किये गये जिलों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन निधि प्रदाय किये जाने से निधियों का व्यपवर्तन

अवधि 2012-14 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गेहूं के लिये चिन्हित नहीं किये गये 8 जिलों को योजना के अंतर्गत धन उपलब्ध कराया गया; जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन धान हेतु चिन्हित एक जिला एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज हेतु चिन्हित 5 जिलों को धन उपलब्ध नहीं कराया गये थे।

लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि आठ जिलों में जहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गेहूं लागू नहीं किया जाना था, योजना निधि ₹ 26.63 करोड़ प्रदान किया गया, जिसके विरुद्ध इन जिलों द्वारा राशि ₹ 27.21 करोड़ व्यय किये गये। इसके अलावा, एक चिन्हित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन धान जिला एवं पांच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, मोटा अनाज हेतु चिन्हित जिलों को वर्ष 2012-14 के दौरान निधि प्रदान नहीं की गई। विवरण **परिशिष्ट 2.21** में दर्शाया गया है।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि यद्यपि 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012-13 से प्रारंभ थी, भारत सरकार से दिशा निर्देश अप्रैल 2014 में प्राप्त हुए थे, जिसकी वजह से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में चिन्हित जिलों के आधार पर जिलों को लक्ष्य प्रदान किये गये थे।

तथ्य वही रहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन निधि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यान्वयन हेतु चिन्हित नहीं किये गये जिलों को प्रदाय किये जाने से निधि का व्यपवर्तन था, जिसके लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जाना था। इसके अलावा निधि उपलब्ध कराने में विफलता के कारण अन्य छह चिन्हित जिलों के कृषकों को योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ा।

2.1.16 योजना का परिवीक्षण

2.1.16.1 राज्य और जिला स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों में संगठनात्मक असमानता

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य शासन को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक उपयुक्त

²⁸ पत्र संख्या 2014/3499 दिनांक 16.07.2014

योजना के कार्यान्वयन के लिए स्थापित स्वायत्तशासी एजेंसी को केवल मिशन का धन संरक्षक घोषित किया गया। जिला स्तर पर उपलब्ध एटीएमए का संगठनात्मक संरचना का उपयोग योजना कार्यान्वयन के लिये नहीं किया गया।

स्वायत्तशासी एजेंसी का सृजन अथवा नामित करना आवश्यक था। ऐसी एजेंसी राज्य स्तर पर राज्य कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (एस.ए.एम.ई.टी.आई.) और जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए/आत्मा) हो सकता है।

ए.टी.एम.ए. जिला स्तर पर प्रमुख हितधारकों की एक पंजीकृत सोसाइटी है। जो सतत कृषि विकास के लिए कार्ययोजना और विभिन्न कृषि गतिविधियों के कार्यान्वयन में संलग्न हैं। इसमें कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के सभी लाइन विभागों के जिला स्तरीय प्रतिनिधियों, अनुसंधान संस्थानों, कृषक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को सम्मिलित थे। योजना के कार्यान्वयन हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना में जारी परिचालन दिशा निर्देशों में इन्ही नामित एजेंसियों को 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान भी बने रहना परिकल्पित था।

लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि राज्य शासन ने दिसम्बर 2007 में एक स्वायत्त निकाय, राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान का गठन किया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन के लिये निधि वर्ष 2012-14 के दौरान सीधे राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान को योजना के कार्यान्वयन एजेंसी मानते हुए, जारी किया था। हालांकि एक संक्षिप्त अवधि मार्च 2014 से जनवरी 2015 को छोड़कर, राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य नहीं कर रहा था।

राज्य सरकार ने राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान को मिशन का धन संरक्षक घोषित (अक्टूबर 2011) किया और योजना का कार्यान्वयन संचालनालय, कृषक कल्याण तथा कृषि विकास के अधीन किया गया। इसी तरह जिला स्तर पर यह योजना एटीएमए के बजाय, कार्यान्वयन संचालनालय, कृषक कल्याण तथा कृषि विकास के उप संचालक द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी।

अभिलेखों से इस संगठनात्मक बेमेल के कारणों का पता नहीं चल सका। शासन ने कहा (दिसंबर 2016) यद्यपि एक स्वायत्तशासी एजेंसी बनाई गई, एजेंसी में स्टाफ की कमी और विस्तार अधिकारियों की अनुपलब्धता की वजह से विभाग द्वारा ही मिशन का कार्यान्वयन किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कार्यान्वयन संचालनालय, कृषक कल्याण तथा कृषि विकास और एटीएमए की संस्थागत व्यवस्था का उपयोग में विफलता, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के परिचालन दिशा-निर्देशों से विचलन में था। इन एजेंसियों को पर्याप्त मजबूत बनाने के लिये जिम्मेदारी भी राज्य शासन की थी। इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के गतिविधियों को जिलों के सामरिक अनुसंधान और विस्तार योजना²⁹ के साथ तालमेल नहीं किया जा सका और अन्य योजनाओं से समन्वयन करने में असफल रहे, जो ए.टी.एम.ए. संरचना के माध्यम से किया जा सकता था।

2.1.16.2 राज्य और जिला स्तर पर परियोजना प्रबंधन दल

परिचालन दिशा-निर्देशों की कंडिका 4.4.2 में अपेक्षित था कि राज्य और जिला स्तर पर एक परियोजना प्रबंधन टीम (पीएमटी) की स्थापना की जाएगी जिसमें अनुबंध के आधार पर नियुक्त परामर्शदाता और तकनीकी सहायकों को सदस्यों के रूप में सम्मिलित करना था। राज्य/जिला स्तरीय पीएमटी की जिम्मेदारी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि एवं सम्बद्ध विभागों के बीच सहयोग सुनिश्चित करने की थी, संगठनात्मक और तकनीकी मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करने, मिशन के विभिन्न उपायों की कार्यान्वयन और परिवीक्षण में भी मदद करनी थी। इसके अलावा, पीएमटी को

²⁹ एटीएमए मॉडल के तहत, सामरिक अनुसंधान और विस्तार योजना एक बुनियादी दस्तावेज है जिसके आधार पर वार्षिक ब्लॉक कार्य योजना, जिला कार्य योजना और राज्य के विस्तार कार्य योजना सालाना बनाये जाते हैं।

ब्लॉक, जिला में एवं राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सहायता करने के लिये; प्रत्येक प्रदर्शन के कार्यान्वयन की निगरानी, फसल कटाई प्रयोगों के माध्यम से फसल की पैदावार आंकड़े, प्रत्येक प्रदर्शन के परिणामों के अभिलेख संकलन का एक पुस्तिका के रूप में, जिला/राज्य एजेंसियों की समवर्ती मुल्यांकन हेतु सहायता, दस्तावेजीकरण और सफलता की कहानियों का प्रसार, और मिशन की गतिविधियों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिये प्रचार/सूचना अभियान का कार्य भी करना था।

राज्य सरकार ने राज्य और जिला स्तर पर पीएमटी का गठन नवंबर 2007 में किया। अभिलेखों की जांच में पता चला कि पीएमटी के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त सलाहकार और तकनीकी सहायकों को नियमित कार्यालयीन कार्य में उपयोग किया जा रहा था। नमूना जांच किए गए 17 उपसंचालक कृषि कल्याण में से केवल पांच³⁰ जिले में पीएमटी गठित की गयी थी वह भी जिला कंसल्टेंट्स और तकनीकी सहायकों को सदस्यों के रूप में शामिल किए बिना। इसके अलावा खरगोन जिले ने पीएमटी का गठन नहीं किया और शेष 11 जिलों में पीएमटी के गठन को संबंधित अभिलेखों के अभाव में लेखा परीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, अधिकांश मामलों में जिला पीएमटी क्रियाशील नहीं थे। परिणामतः, संचालनालय, फसल उत्पादन के आंकड़ों के लिए राजस्व विभाग पर निर्भर रहे। हालांकि, राजस्व विभाग से आंकड़ों की उपलब्धता में समय अंतराल था। वर्ष 2015-16 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों के उत्पादन आंकड़े दिसम्बर 2016 की स्थिति में विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। चूंकि ये आंकड़े, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के घटकों की आयोजना, कार्यान्वयन और परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण थे, संचालनालय को विलंबित उपलब्धता ने योजना को कार्यान्वयन प्रभावित किया। इसके अलावा योजना ए.टी.एम.ए. के माध्यम से जिला स्तर पर लागू नहीं करने एवं पी.एम.टी. कार्यात्मक नहीं रहने से, विभिन्न विभागों के साथ अपेक्षित तालमेल सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसके अलावा दिशा-निर्देशों में आवश्यकतानुसार प्रत्येक प्रदर्शन के परिणामों को राज्य स्तर पर एक पुस्तिका के रूप में संकलित नहीं किया गया।

शासन ने सूचित किया (दिसंबर 2016) कि पीएमटी कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदात्मक प्रकृति ने इन कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के लिये बाध्य किया, जिसके कारण वहाँ रिक्तियाँ थी। पीएमटी के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जा रही थी। सभी जिला कार्यालयों को फिर से पीएमटी की स्थापना के लिये निर्देश दिये जा रहे थे। सरकार ने यह भी कहा कि फसल कटाई प्रयोग राजस्व विभाग द्वारा किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में पीएमटी के माध्यम से फसल कटाई आंकड़े तैयार किया जाना था। इसके अलावा, राज्य/जिला स्तरीय पी.एम.टी के लिये पर्याप्त मानव शक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार जिम्मेदार थी।

2.1.16.3 राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति (एसएफएसएमईसी) के कार्यकलाप

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के परिचालन दिशा-निर्देशों की कंडिका 4.2.1 में निर्धारित था कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एवं विभिन्न शासकीय विभागों³¹ के सचिवों को सदस्यों के रूप में लेकर एसएफएसएमईसी का गठन किया जायेगा। राज्य सरकार ने एसएफएसएमईसी का गठन (अक्टूबर 2007) कर, उन्हें मिशन की गतिविधियों की निगरानी, एवं केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित परिचालन दिशा-निर्देशों में यदि

³⁰ छतरपुर, धार, इंदौर, पन्ना और शाजापुर

³¹ कृषि, सिंचाई, बिजली, पंचायतीराज, आदिवासी मामलों और समाज कल्याण विभागों

राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति का क्रिया कलाप अवधि 2012-16 के दौरान आयोजित बैठकों के कार्यवाही विवरण उपलब्ध नहीं होने से सुनिश्चित नहीं किया जा सका। राज्य वार्षिक कार्य योजना भी भारत सरकार को राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति के अनुमोदन के बिना भेजी गई।

राज्य-विशिष्ट परिवर्तन आवश्यक हो तो सुझाव देने एवं भारत सरकार के अनुमोदन के बाद राज्य वार्षिक कार्य आयोजना, भारत सरकार को भेजने हेतु जिम्मेदार बनाया।

वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान एसएफएसएमईसी का अस्तित्व लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकी क्योंकि, संचालनालय ने इस समिति की बैठकों के कार्यवृत्त प्रस्तुत नहीं किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य कार्य आयोजना एसएफएसएमईसी के अनुमोदन के बिना भारत सरकार को भेजी गयी थी।

शासन ने कहा (दिसंबर 2016) कि एसएफएसएमईसी का गठन किया गया है। हालांकि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की समीक्षा, मुख्यमंत्री द्वारा विभागीय समीक्षा बैठकों में और प्रमुख सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित अन्य समीक्षा बैठकों में भी की गई थी। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि एसएफएसएमईसी की बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी।

तथ्य वही रहा कि मिशन की गतिविधि की एसएफएसएमईसी द्वारा वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 के दौरान समीक्षा नहीं की गई थी।

2.1.16.4 जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति

परिचालन दिशा-निर्देशों की कंडिका 4.3.2 में जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी समिति³² (डीएफएसएमईसी) का गठन, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन और योजना के घटकों की कृषि विभाग के माध्यम से निगरानी करने के लिए परिकल्पित था।

सभी नमूना जांच किए गए जिलों में डीएफएसएमईसी गठित होना सूचित किया। हालांकि, केवल चार जिलों³³ ने डीएफएसएमईसी की कार्यप्रणाली के समर्थन में बैठक के कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किये। इसलिये 13 जिलों में डीएफएसएमईसी की कार्यप्रणाली, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों से स्पष्ट नहीं थी।

शासन ने कहा (दिसम्बर 2016) कि जिला कार्यालयों को डीएफएसएमईसी की बैठकें समय पर आयोजित करने के निर्देश दिए जाएंगे। शासन ने यह भी कहा की योजना की गतिविधियों का मूल्यांकन डीएफएसएमईसी के माध्यम से करने के लिए जिला कार्यालयों को निर्देश दिए जायेंगे।

2.1.17 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन

11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के पूरा होने के बाद एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संचालित किया गया। राज्य के छह जिलों³⁴ को भी अध्ययन में सम्मिलित किया गया। राज्य के संदर्भ में रिपोर्ट की कुछ सिफारिशों और उनके कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार थे:

- प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन में उल्लेख था कि 11वीं योजना की पूरी अवधि के दौरान एसएफएसएमईसी के केवल आठ बैठकें राज्य में आयोजित की गईं, जो औसत 1.6 बैठक प्रतिवर्ष रही। यह सिफारिश थी कि एसएफएसएमईसी बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित किये जाए, ताकि राज्य में मिशन की गतिविधियों की निगरानी अधिक बारीकी से हो सके। हालांकि, लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि एसएफएसएमईसी बैठक, कंडिका 2.1.16.3 में चर्चा के अनुसार, 12वें योजना के दौरान आयोजित नहीं की गई।

- प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार, जिला स्तर पर मिशन के तहत नियुक्त जिला परामर्शदाता और तकनीकी सहायकों का उपयोग अधिकतर, कार्यालय के नियमित

³² डीएफएसएमईसी में लाईन विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे।

³³ धार, खरगोन, सीधी, और उज्जैन

³⁴ शहडोल, राजगढ़, देवास, सतना, डिण्डोरी और टिकमगढ़

प्रकृति के काम के लिये किया गया, एवं उनका उपयोग अपेक्षित, तकनीकी सेवा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के घटक की निगरानी के लिये नहीं किया गया। इसी तरह की प्रवृत्ति, निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान भी जारी रही जैसे कि कंडिका 2.1.6.2 में चर्चा की गई है।

- प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन में आगे उल्लेख था कि डीएफएसएमईसी की बैठकों के आयोजन कम थे, और अधिकांश मामलों में डीएफएसएमईसी बैठक कृषि विभाग के अन्य समीक्षा बैठकों के साथ जोड़ दिए गए परिणामस्वरूप, फोकस और विवेचना में गहराई की कमी थी। बैठकों के अभिलेखों का संधारण भी ठीक से नहीं किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा के कंडिका 2.1.16.4 में चर्चा किये अनुसार, डीएफएसएमईसी बैठक के कार्यवाही विवरण 17 में से केवल चार जिलों में उपलब्ध थे।

- प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार अध्ययन हेतु अध्ययन किये गए जिलों में से आधे में अलग बीज समिति गठित नहीं की गई थी, और सभी जिलों को सुझाव दिये गए थे कि वे बीज समितियों का गठन करें ताकि फसलों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिये बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें। निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि पांच नमूना जांच किये गये जिलों में बीज समितियों का कंडिका 2.1.8.2 में चर्चा के अनुसार गठन नहीं किया गया। इस प्रकार, प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी हेतु प्रदाय की गई सुझावों में सुधारात्मक कारवाई नहीं की गई।

2.1.18 निष्कर्ष

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों को खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य नियत नहीं किये गए थे। परिणामस्वरूप अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने के योजना उद्देश्य में उनकी प्रगति का पता नहीं लगाया जा सका। परिणामस्वरूप, वर्ष 2012–16 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत राज्य में ₹ 945.18 करोड़ व्यय करने पर भी कुल कृषकों के दो प्रतिशत कृषकों को लाभ मिल सका।

राज्य स्तर पर धान की बुवाई क्षेत्र में 26 फीसदी औसत वृद्धि दर के विरुद्ध, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिलों में पांच प्रतिशत वृद्धि हो सकी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं जिले भी निरंतर वृद्धि हासिल नहीं कर सके, क्योंकि बुवाई क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014–15 में कमी हुई थी। दालों का उत्पादन पहले वर्ष 2012–13 की तुलना में वर्ष 2013–14 में 22 प्रतिशत एवं वर्ष 2014–15 में 14 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी थी। इस प्रकार, दालों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रभाव स्पष्ट नहीं था। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के अंतर्गत विभाग द्वारा निधियों का उपयोग 2012–13 में 95 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015–16 में 64 प्रतिशत रहा।

शासन द्वारा समय पर पर्याप्त बीज प्रदान नहीं किये गए। परिणामस्वरूप, गुणवत्ता वाले बीज सब्सिडी दरों पर वितरण किए जाने का योजना का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। हालांकि लेखापरीक्षा द्वारा किए गए एक हितग्राही सर्वेक्षण में पाया कि 260 में से 250 किसानों द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा उच्च उपज वाले बीज उपलब्ध कराने के कारण अधिक उपज प्राप्त हुई।

जिला कार्यालय कृषकों को वितरित बीज की गुणवत्ता इसकी बुवाई से पहले सुनिश्चित नहीं कर सके, जिसने उत्पादन एवं कृषकों की आय सृजनता को जोखिम में डाल दिया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन परिचालन के दिशा-निर्देशों में चाहे अनुसार विभाग ने एजेंसियों और कृषि उपकरणों की दरों का निर्धारण नहीं किया। कृषकों को कृषि उपकरणों की खरीद पर सहायता दिए जाने से राशि ₹ 261.81 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

विभाग द्वारा कृषि उपकरणों जैसे पाईप और स्प्रिंकलर सेट पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए मानदंडों का पालन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप 14 जिलों में 8337 कृषकों को राशि ₹ 5.11 करोड़ की अनियमित सब्सिडी प्रदान की गई।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए संदर्शी योजना तैयार नहीं की गई थी मूल सर्वेक्षण तथा आधारभूत अध्ययन भी आयोजित नहीं किए जिसके कारण फसलों की उत्पादकता की स्थिति एवं इसकी क्षमता का निर्धारण नहीं किया जा सका। जिला वार्षिक कार्य योजना बनाने के लिए ब्लाक कार्यालयों से आदान प्राप्त नहीं किए गए थे।

फसल प्रणाली प्रदर्शनों के संचालित करने में कमियों, वैज्ञानिकों के भागीदारी के अभाव तथा प्रदर्शन परिणामों के तैयार करने में कमियों के कारण, उन्नत रितियों की जानकारी प्रसारित करने के प्रदर्शन के उद्देश्य बहुतायत में पूर्ण नहीं हुए थे। आठ नमूना जांच किये गये जिलों में आयोजित 1.74 लाख प्रदर्शनों के परिणामों के अभिलेखों के अभाव में, राशि ₹ 91.71 करोड़ का व्यय निष्फल साबित हुआ।

राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत व्यवस्था में अपर्याप्त समन्वय के साथ साथ परियोजना प्रबंधन टीमों के समुचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता ने आयोजना, क्रियान्वयन एवं परिवेक्षण को प्रभावित किया।

2.1.19 अनुशंसाएं

राज्य द्वारा जिलों को उत्पादन लक्ष्य प्रदान करना चाहिए तथा सभी फसल घटकों में बुवाई क्षेत्रों, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए इसकी प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। राज्य को योजना के अंतर्गत कृषकों के कवरेज बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक कृषकों को योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

विभाग को एक तंत्र विकसित करना चाहिए ताकि एक वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त राशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार ने इस अनुशंसा को स्वीकार किया।

बीज वितरण एवं बीज गुणवत्ता परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, ताकि सभी इच्छुक कृषकों को प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

राज्य को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदर्शन परिणाम इस प्रकार बनाये गये हैं, कि कृषकों को प्रदर्शित प्रौद्योगिकी के उपयोग से होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त प्रदर्शनों में वैज्ञानिकों की भागीदारी हो।

सरकार ने इस अनुशंसा को स्वीकार किया।

राज्य को राज्य एवं जिला स्तर पर, एनएफएसएम के कार्यान्वयन एवं परिवेक्षण के लिए निर्धारित विभिन्न संस्थानों के उचित कार्यकलापों को सुनिश्चित करना चाहिए। आधारभूत सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन कृषकों के संसाधनों, फसल उत्पादन की स्थिति, इसकी क्षमता और मांग का आंकलन के लिए कराया जाना चाहिए।

सरकार ने इस अनुशंसा को स्वीकार किया।

जल संसाधन विभाग

2.2 मध्य प्रदेश वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन

कार्यपालन सारांश

जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू.आर.डी.), मध्य प्रदेश शासन (म.प्र. शासन) द्वारा विश्व बैंक की सहायता से मध्य प्रदेश वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट (एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी.) को लिया गया। इसमें पांच नदी कछारों (चंबल, बेतवा, केन, सिंध एवं टोंस) में 654 सिंचाई योजनाओं के आधुनिकीकरण का लक्ष्य था। परियोजना कार्यान्वयन आयोजना (पी.आई.पी.) में लाईन विभागों, जैसे किसान कल्याण एवं कृषि विकास तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के प्रभावी सहयोग के माध्यम से कृषि सघनीकरण एवं विविधीकरण करना परिकल्पित था।

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के लिए योजना आयोग द्वारा 2011-12 के मूल्य स्तर पर ₹ 1,919 करोड़ की निवेश अनापत्ति प्रदान की गई। परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति ₹ 1,919 करोड़ (अगस्त 2004) से ₹ 2,498 करोड़ (अप्रैल 2015) पुनरीक्षित की गई थी। एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी., पांच समय वृद्धियों के पश्चात ₹ 2,497.52 करोड़ के कुल व्यय से समाप्त हुआ था (जून 2015)।

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कार्यान्वयन पर 2010-11 से 2015-16 के दौरान एक निष्पादन लेखापरीक्षा में परियोजना के विलंबित कार्यान्वयन, लाईन विभागों के कमजोर एकीकरण अपर्याप्त ठेका प्रबंधन एवं मानिट्रिंग के अभाव प्रकट हुए। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन इस प्रकार थे:

परिसंपत्ति आधुनिकीकरण के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन

परियोजना इन पांच नदी कछारों में 6.18 लाख हेक्टेयर के कुल कृषि योग्य कमान क्षेत्र की 654 विद्यमान सिंचाई योजनाओं का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण करने का लक्ष्य था। परियोजना के धीमे निष्पादन के परिणामस्वरूप, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कार्यक्षेत्र को जून 2012 में पुनर्गठित किया गया एवं इसके कार्यक्षेत्र से 362 सिंचाई योजनाओं को छोड़ दिया गया। जल संसाधन विभाग शेष 292 योजनाओं में से परियोजना के अंत तक मात्र 228 सिंचाई योजनाओं का पुनरुद्धार कर पाया।

(कंडिका 2.2.7.1)

वर्ष 2012 में विभाग ने सिंध कछार को छोड़कर, जहां चंबल नहर प्रणाली पर उल्लेखनीय रूप से अधिक राशि निर्धारण के कारण आवंटन को 488.93 प्रतिशत बढ़ाया था, सभी कछारों में राशि के आवंटन को 51.43 प्रतिशत से 78.68 प्रतिशत कम किया।

(कंडिका 2.2.8.2)

2012-14 के दौरान, विभाग ने एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत कुल व्यय का 24 प्रतिशत चंबल नहर प्रणाली के क्रियान्वयन पर व्यय किया। अत्यधिक बल दिए जाने के परिणामस्वरूप सिंचाई योजनाओं में कछार वार असंतुलन हुआ एवं इसके साथ आधुनिकीकरण आयोजना के कार्यान्वयन में विलंब के कारण परियोजना से 362 लघु योजनाओं का अपवर्जन हुआ। सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग, जो कि क्रियान्वयन के लिए आसान थी, 2012-14 के दौरान चंबल नहर प्रणाली पर होने वाले व्यय का 94 प्रतिशत भाग थी। इस कारण, छोड़ी गई योजनाओं के परिकल्पित हितग्राहियों के खेत स्तरीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा।

(कंडिका 2.2.7.1)

कृषि सघनीकरण एवं विविधीकरण

परियोजना कार्यान्वयन योजना (पी.आई.पी.) में लाईन विभागों के लिए ₹ 144.61 करोड़ के प्राक्कलित प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 115.04 करोड़ था, जो एम. पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत कुल व्यय का 4.61 प्रतिशत था। लाईन विभागों के साथ कमजोर एकीकरण, कृषकों को सतत जल आपूर्ति का अभाव एवं जल उपभोक्ता संस्थाओं (डब्ल्यू.यू.ए.) को प्रशिक्षण के अभाव ने फसल विविधता को प्रभावित किया।

हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान, 334 में से 133 (40 प्रतिशत) कृषकों ने किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं लेना प्रतिवेदित किया। इस प्रकार, फसल विविधीकरण के लाभों के बारे में कृषकों के मध्य जागरूकता पैदा करने के लिए संस्थागत स्तर पर प्रयासों का अभाव था।

कृषि सघनीकरण एवं विविधीकरण, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र की उपलब्धि में वृद्धि के अनुरूप नहीं था। पी.आई.पी. में कृषि सघनीकरण के लिए चना, अरहर एवं सरसों के बुआई क्षेत्र के प्रभाव को एक संकेतक के रूप में लिया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में 2011-12 की तुलना में 2014-15 में चने एवं अरहर के बुआई क्षेत्र में क्रमशः 20 एवं 35 प्रतिशत की कमी प्रकट हुई थी। आगे, 2012-13 की तुलना में 2014-15 में सरसों का बुआई क्षेत्र 19 प्रतिशत कम हुआ था। पी.आई.पी. में परिकल्पित सिंचित क्षेत्रफल के 21 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध फलों, सब्जियों एवं मसालों के पौधरोपण का क्षेत्रफल, 2.90 प्रतिशत से 7.31 प्रतिशत तक कम रहा एवं यह राज्य औसत के नौ प्रतिशत से भी कम था।

(कड़िका 2.2.7.4)

ढेका प्रबंधन एवं क्रियान्वयन

विभाग ने योजना आधुनिकीकरण आयोजनाओं (एस.एम.पी.) के कार्यक्षेत्र के परे एस.एम.पी. से विचलनों के औचित्य को सिद्ध करने वाली आवश्यकता के किसी आंकलन के बिना सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग पर ₹ 263.85 करोड़ व्यय किया।

(कड़िका 2.2.8.3)

मुख्य अभियंता द्वारा एन.सी.बी. के संलग्न विशिष्टियों के प्रावधान तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय अनदेखे किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी कार्य की ट्रिनिंग एवं नहरों की सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग के कार्यों में ₹ 65.18 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ, इसके अतिरिक्त, कार्यों का गुणवत्ता नियंत्रण अपर्याप्त था।

(कड़िकाएं 2.2.9.2, 2.2.9.4, 2.2.9.6 एवं 2.2.10.3)

कार्यपालन यंत्रियों द्वारा अनुबंधों के प्रावधानों का अनुसरण सुनिश्चित नहीं किया गया इसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त अतिरिक्त सुरक्षा जमा, क्षतिपूर्ति वसूलियों, रायल्टी प्रभारों एवं कार्यों के बीमा कवरेज पर ठेकेदारों को ₹ 68.74 करोड़ के अदेय वित्तीय लाभ हुए थे।

(कड़िकाएं 2.2.9.9, 2.2.9.10, 2.2.9.11 एवं 2.2.9.12)

दरों की अनुसूची के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था तथा गिट्टी की त्रुटिपूर्ण लीड, मिट्टी भराई की त्रुटिपूर्ण दर एवं ब्लास्टिंग की अस्वीकार्य मद को सम्मिलित किया जाना तथा श्रींकेज एलाउन्स के कारण अधिक भुगतान के ₹ 24.02 करोड़ की अतिरिक्त लागत के दृष्टांत अवलोकित किए गए थे।

(कड़िकाएं 2.2.9.3, 2.2.9.5, 2.2.9.7 एवं 2.2.9.14)

गुणवत्ता नियंत्रण एवं परिवीक्षण


गुणवत्ता नियंत्रण एवं परिवीक्षण अपर्याप्त था जैसा कि कार्यों के कोर परीक्षण सुनिश्चित नहीं किए गए थे, जिससे ठेकेदारों को ₹ 20.47 करोड़ की अदेय वित्तीय सहायता हुई, सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग के निम्न विशिष्टि कार्य क्रियान्वित किए गए थे तथा ठेकेदारों को अदेय लाभ प्रदान किए गए थे।

(कड़िका 2.2.10.3)

2.2.1 प्रस्तावना

जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू.आर.डी.), मध्य प्रदेश शासन (म.प्र. शासन), राज्य में 10 नदी कछारों³⁵ में सिंचाई परिसंपत्तियों के सृजन द्वारा सिंचाई प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। पांच नदी कछारों (चंबल, बेतवा, केन, सिंध एवं टोंस) में जल संसाधन प्रबंधन एवं सेवा प्रदान करने में सुधार करने के लिए मध्य प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना (एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी.) भी की गई थी। इन नदी कछारों को उनके सह-सानिध्य, जीर्ण सिंचाई योजनाओं को उपस्थिति एवं गरीबी के अधिकता के कारण चयनित किया गया था।

कृषि, उद्यानिकी, पशु प्रबंधन एवं मत्स्य के लिए उचित विस्तार के प्रावधान के साथ इन पांच नदी कछारों की 6.18 लाख हेक्टेयर के कुल कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सी.सी.ए.) की 654 विद्यमान सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण करना परियोजना में लक्षित था। बाद में, जल संसाधन विभाग ने परियोजना हेतु एक और यथा 43,136 हेक्टेयर सी.सी.ए. का वैनगंगा कछार जोड़ा (मार्च 2008)।



म.प्र. शासन ने एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के लिए ₹ 1,919 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (अगस्त 2004)। परियोजना को विश्व बैंक से सहायता से लिया गया एवं भारत सरकार (जी.ओ.आई.) एवं इण्टरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्सट्रक्शन एण्ड डेवलेपमेण्ट³⁶ (आई.बी.आर.डी.) के साथ एक ऋण अनुबंध 30 नवम्बर 2004 को निष्पादित किया गया था। प्रारंभ में एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. 31 मार्च 2011 तक पूर्ण करने हेतु नियत था जो कि पांच समय वृद्धियों के पश्चात जून 2015 में पूर्ण हुआ।


2.2.2 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, विभाग के शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं। परियोजना कार्यान्वयन एवं समन्वय इकाई (पाइकू) परियोजना के समग्र कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी थी। मुख्य अभियंता (सी.ई.), अधीक्षण अभियंता (एस.ई.), एवं जल संसाधन विभाग के संबद्ध संभागों के कार्यपालन यंत्री (ई.ई.) ने परियोजना के कार्यान्वयन में परियोजना निदेशक, पाइकू को सहायता प्रदान की। एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.

³⁵ बेतवा, चंबल, केन, माही, नर्मदा, सिंध, सोन, ताप्ती, टोंस एवं वैनगंगा

³⁶ आई.बी.आर.डी. विश्व बैंक का एक संस्थान है जो मध्यम आय वाले विकासशील देशों को ऋण देता है।

पी. की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सर्वोच्च स्तर पर मार्च 2005 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक साधिकार समिति गठित की गई थी। संगठनात्मक संरचना का ढांचा नीचे आर्गेनोग्राम में दिया गया है:



2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा उद्देश्य यह परीक्षण करने के लिए थे कि क्या:

- एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के समस्त घटक, जैसा कि परिकल्पित था, पूर्ण हुए थे एवं परियोजना ने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त किया,
- निधियां समय पर उपलब्ध थीं एवं दक्षतापूर्वक तथा मितव्ययिता से उपयोग की गईं,
- सिंचाई कार्यों के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण के कार्य का क्रियान्वयन जैसा आयोजनाबद्ध था एवं विशिष्टियों एवं ठेके के नियम तथा शर्तों के अनुसार दक्षता पूर्वक एवं मितव्ययी रूप से किया गया तथा
- गुणवत्ता नियंत्रण एवं परिवीक्षण तंत्र विद्यमान था एवं गुणवत्ता मानकों का पालन किया गया।

2.2.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा आपत्तियां निम्नलिखित से लिए गए मानदण्डों पर आधारित थीं:

- विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश,
- भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए भारतीय मानक (आई.एस.) कोड,
- मध्य प्रदेश कार्य विभाग (एम.पी.डब्ल्यू.डी.) नियमावली के प्रावधान, सिंचाई कार्यों के लिए विशिष्टियां एवं कार्यों के लिए दरों की एकीकृत अनुसूची (यू.एस.आर.),
- विभाग द्वारा जारी तकनीकी परिपत्र एवं अन्य आदेश,
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं आयोजना दस्तावेज तथा
- कार्यों के क्रियान्वयन के लिए ठेके के नियम एवं शर्तें।

2.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

विभाग ने एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत 2010-11 एवं 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 1,797.80 करोड़ व्यय किए। एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत कार्य छह नियंत्रण कार्यालयों (मुख्य अभियंताओं) के अधीन छह नदी कछारों में जल संसाधन विभाग के 43 संभागों के माध्यम से क्रियान्वित किए जा रहे थे।

2010-11 से 2015-16 के दौरान एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. का कार्यान्वयन लेखापरीक्षा में आच्छादित (कवर) किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक चयन पद्धति का उपयोग करते हुए 13 संभागों³⁷ का चयन इस प्रकार किया गया कि प्रत्येक कछार से न्यूनतम एक सम्भाग प्राप्त हो। जनवरी 2016 से जून 2016 के दौरान निष्पादन लेखापरीक्षा में 13 चयनित संभागों एवं परियोजना निदेशक पाइकू के अभिलेखों का नमूना जांच किया गया। चयनित किए गए 13 संभागों में, पूर्ण कार्यों के ₹ 1,424.35 करोड़ लागत के 105 अनुबंधों का विश्लेषण किया गया जिनमें से ₹ 968.13 करोड़ मूल्य के 94 अनुबंध 2010-16 की अवधि के दौरान निष्पादित किए गए थे।

लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदण्ड, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली को अवगत कराने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के साथ प्रवेश सम्मेलन 02 फरवरी 2016 को आयोजित किया गया था। प्रारूप प्रतिवेदन शासन को अगस्त 2016 में जारी किया गया था। लेखापरीक्षा आपत्तियों की चर्चा प्रमुख सचिव के साथ 03 अक्टूबर 2016 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में भी की गई थी। लेखापरीक्षा अवलोकनों पर शासन के प्रत्युत्तर निष्पादन लेखापरीक्षा में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किए गए हैं।

परियोजना के बारे में छह नदी कछारों के मुख्य अभियंताओं एवं किसान कल्याण एवं कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास एवं पशुपालन जैसे लाइन विभागों तथा जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जे.एन.के. वी.वी.) से भी जानकारी एकत्रित की गई थी। इसके अतिरिक्त, हितग्राही सर्वेक्षण एवं लाइन विभागों के भागीदारों से साक्षात्कार भी किए गए थे (जून 2016, दिसम्बर 2016 एवं जनवरी 2017) एवं उनकी प्रतिक्रिया निष्पादन लेखापरीक्षा में उपयुक्त रूप से सम्मिलित की गई हैं।

लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा को संचालित करने के लिए विभाग द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए आभार प्रकट करती है।

2.2.6 सीखे गए सबक एवं त्रुटि संकेतों के प्रति संवेदनशीलता

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. पर 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान निष्पादन लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिका 1.3 के रूप में प्रतिवेदित किया गया था। मुख्य कमियां एवं लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) को शासन के उत्तर का विवरण तालिका 2.2.1 में दिया गया है।

तालिका 2.2.1: पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित की गई मुख्य कमियां एवं पी.ए.सी. को शासन के उत्तर

कंडिका का विवरण	विभाग का उत्तर
प्रतिबद्धता प्रभारों के लिए परिहार्य देयता	योजना आधुनिकीकरण आयोजना (एस.एम.पी.), परामर्शदाता का नियोजन एवं सामग्री क्रय के लिए अनापत्ति देने में विश्व बैंक ने अधिक समय लिया। प्रतिबद्धता प्रभारों के भुगतान से छूट चाही गई।

³⁷ जल संसाधन संभाग— बालाघाट, भिण्ड, देवास, गोहद, जौरा, राजगढ़, रायसेन, सागर, सतना, सबलगढ़, शाजापुर, श्योपुरकलां एवं मुरैना

कंडिका का विवरण	विभाग का उत्तर
लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी	एस.एम.पी. को स्वीकृत करने में विश्व बैंक से 6 माह से 12 माहों तक का विलंब था। इसलिए, क्रय आयोजना के अनुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी थी। बाद में, विश्व बैंक ने अनुमोदन की प्रक्रिया में छूट दी। बहुत से कार्य, कार्यों में प्रगति प्राप्त नहीं होने के कारण रद्द किए गए थे।
सिंचाई क्षमता को सृजित करने में विफलता	प्राथमिकता के आधार पर चम्बल, हरसी एवं मध्यम परियोजनाओं के कार्यों के माध्यम से सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए प्रयास किए गए थे।
ठेकेदार को अदेय वित्तीय लाभ	कार्य की पूर्णता होने तक असंतुलित मदों की राशि को रोकने के अनुदेश जारी किए गए थे।
क्षतिपूर्ति राशि की वसूली में विफलता	माइलस्टोन प्राप्त न करने के लिए क्षतिपूर्ति राशि की वसूली अनुबंध के अनुसार की जा रही थी।
चूककर्ता ठेकेदार से वसूली नहीं करने के कारण हानि	समान ठेकेदार के अन्य कार्यों से शेष वसूली की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी।

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. की 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान की निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पूर्व के प्रतिवेदन में इंगित की गई अधिकतर कमियां विद्यमान रहीं, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा आपत्तियां

2.2.7 आयोजना एवं कार्यान्वयन

2.2.7.1 एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत परिसंपत्ती आधुनिकीकरण के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. में राज्य के पांच नदी कछारों (चम्बल, सिंध, बेतवा, केन एवं टोंस) की 654 सिंचाई योजनाओं का आधुनिकीकरण करना लक्षित था। जीर्ण नहरों के कारण सृजित सिंचाई क्षमता एवं उपयोगी क्षमता के मध्य अधिक अंतर होने से, इन सिंचाई योजनाओं का पुनरुद्धार चिन्हित किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि परियोजना कार्यान्वयन के दौरान आयोजना बद्ध कार्यक्षेत्र में निरंतर बदलावों के कारण एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. ने अपना केन्द्रीय लक्ष्य खो दिया, इससे इन सिंचाई योजनाओं की आधुनिकीकरण आयोजना एवं इनके हितग्राही किसान प्रभावित हुए, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

• परियोजना कार्यक्षेत्र से सिंचाई योजनाओं को बड़ी संख्या में छोड़ा जाना

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के प्रारंभिक कार्यक्षेत्र में 6.18 लाख हेक्टेयर के सी.सी.ए. को आच्छादित करने वाली 654 सिंचाई योजनाओं का पुनरुद्धार करना सम्मिलित था। इसमें, गुरुत्वीय सिंचाई वितरण प्रणालियां एवं उद्वहन सिंचाई योजनाएं (एल.आई.एस.) दोनो को सम्मिलित करते हुए 5 वृहद, 33 मध्यम एवं 616 लघु सिंचाई योजनाएं सम्मिलित थीं। परियोजना को मार्च 2011 तक पूर्ण करना आयोजनाबद्ध था।

जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) में इंगित किया गया था, जल संसाधन विभाग ने छह वर्ष की परियोजना अवधि के विरुद्ध पांच वर्ष में मात्र 100 योजनाएं (15 प्रतिशत) प्रारंभ की एवं मात्र नौ योजनाएं पूर्ण की थीं। सलाहकारों की नियुक्ति में विलंबों से परिणामों में अनुवर्ती विलंब के परिणामस्वरूप परियोजना में विलंब हुआ।

परियोजना के धीमे निष्पादन के कारण, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. का कार्यक्षेत्र जून 2012 में पुनर्गठित किया गया एवं एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कार्य क्षेत्र में से 362 सिंचाई योजनाएं छोड़ दी गईं। यद्यपि, जल संसाधन विभाग परियोजना के अंत तक पुनर्गठित

पी.आई.पी. के धीमे कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, 362 सिंचाई योजनाओं को एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत आधुनिकीकरण के कार्यक्षेत्र से छोड़ दिया गया।

आयोजना की 292 योजनाओं के विरुद्ध वास्तव में 228 सिंचाई योजनाओं पुनर्स्थापित कर पाया। आयोजनाबद्ध एवं क्रियान्वित योजनाओं का योजनावार विवरण तालिका 2.2.2 में दिया गया है:

तालिका 2.2.2: योजनाओं के पुनरीक्षण की स्थिति

योजना का प्रकार	वृहद	मध्यम	लघु	योग
2004 में मूल पी.आई.पी. में चिन्हित योजनाएं	5	33	616	654
कमान क्षेत्र हे. में (पी.आई.पी. के अनुसार)	2,97,150	90,063	2,31,548	6,18,761
2012 में पुनरीक्षित आयोजना के अनुसार योजनाएं	4	23	265	292
कमान क्षेत्र हे. में (2012 में पुनरीक्षण के अनुसार)	3,29,949	82,337	76,093	4,88,379
वास्तव में क्रियान्वित योजनाएं	5	21	202	228
कमान क्षेत्र हे. में (क्रियान्वयन के अनुसार)	5,22,736	70,413	57,785	6,50,934

(स्रोत: पाइकू द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

इंगित किए जाने पर पाइकू ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि एक वृहद योजना, एक मध्यम योजना एवं 215 लघु योजनाओं के साथ 217 सिंचाई योजनाएं, मरम्मत, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार (आर.आर.आर.) योजना एवं बुंदेलखण्ड सूखा शमन पैकेज के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता का उपयोग करने के लिए एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कार्य क्षेत्र से छोड़ दी गई थीं। यह भी सूचित किया गया कि 148 योजनाएं छोड़ दी गई थीं क्योंकि शहरीकरण एवं जलीय समस्याओं के कारण जलग्रहण क्षेत्र एवं कमान क्षेत्र में कमी के कारण पुनर्स्थापन के लिए अव्यवहार्य पाई गई थीं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 362 योजनाओं को एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कार्यक्षेत्र से निकाला जाना सुविचारित आयोजना का परिणाम नहीं था, किन्तु यह चिन्हित की गई सिंचाई परिसंपत्तियों के पुनर्स्थापन में विलंब के कारण था। बुंदेलखण्ड सूखा शमन पैकेज³⁸, भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 2009 में अनुमोदित किया गया था, जिस समय तक बेतवा नदी कछार की 250 योजनाओं में से 248 एवं केन नदी कछार की 118 योजनाओं में से 117 सिंचाई योजनाओं को एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत चरणों में लिए जाने के लिए आयोजनाबद्ध किया गया था। इस प्रकार, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. से 79 सिंचाई योजनाओं का बुंदेलखण्ड सूखा शमन पैकेज में विस्थापन, इन सिंचाई परिसंपत्तियों के नियत समय सूची के अनुसार आधुनिकीकरण करने में जल संसाधन विभाग की विफलता को इंगित करता था। इसके अतिरिक्त, इन विलंबों ने बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सूखे की स्थिति को और खराब किया था। आगे, विभाग ने, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के पुनर्गठित कार्यक्षेत्र से 64 योजनाओं को छोड़ने के कारणों को स्पष्ट नहीं कर सका।

इस प्रकार, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत परिसंपत्तियों के आधुनिकीकरण का कार्यक्षेत्र, कार्यान्वयन के अवस्था में बड़े बदलाव के अधीन था। आगे, परियोजना के विलंबित कार्यान्वयन से 148 योजनाएं (चिन्हित कुल योजनाओं का 22 प्रतिशत) अव्यवहार्य हुईं।

- **आसान क्रियान्वयन के कारण चंबल नहर प्रणाली के पुनर्स्थापन पर अधिक महत्व**

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. की परियोजना कार्यान्वयन आयोजना के अंतर्गत, वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं पर कमान क्षेत्र के पदों में 48 प्रतिशत, 15 प्रतिशत एवं 37 प्रतिशत महत्व था। यद्यपि, जैसा कि तालिका 2.2.2 में दर्शाया गया है, पुनर्स्थापित की

³⁸ बुंदेलखण्ड पैकेज केवल बेतवा एवं केन नदी कछारों के लिए लागू था।

विभाग ने एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर. पी. की समय सीमा को प्राप्त करने के लिए चंबल नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण को महत्व देते हुए वर्ष 2012 के बाद सी.सी. लाईनिंग के ₹ 606.24 करोड़ के कार्य हेतु अनुबंध किए।

गई वृहद योजनाओं का कमान क्षेत्र 5.22 लाख हेक्टेयर था जो एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत प्राप्त किए गए 6.50 लाख हेक्टेयर के कुल कमान क्षेत्र के 80 प्रतिशत से अधिक था। इस प्रकार, जल संसाधन विभाग ने लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं की तुलना में वृहद योजनाओं के क्रियान्वयन पर अधिक महत्व दिया था। यद्यपि, विभाग जानकारी नहीं प्रदान कर सका कि क्या छोड़ी गई सभी लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं को सिंचाई परिसंपत्तियों के लिए किसी अन्य पुनर्स्थापन योजना में वास्तव में लिया गया।

आगे संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जल संसाधन विभाग ने चंबल नहर प्रणाली जो सिंध नदी कछार के अंतर्गत एक वृहद सिंचाई योजना थी, पर अधिक बल दिया। चंबल नहर प्रणाली का पुनर्स्थापित कमान क्षेत्र 3.62 लाख हेक्टेयर था जो एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत पुनर्स्थापन किए गए कुल कमान क्षेत्र का 56 प्रतिशत था। यह चंबल नहर प्रणाली के मूल पी.आई.पी. में आयोजनाबद्ध 1.86 लाख हेक्टेयर एवं एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के पुनर्गठित कार्यक्षेत्र के 2.12 लाख हेक्टेयर से महत्वपूर्ण रूप से अधिक था।


चंबल नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण पर व्यय ₹ 1,156.33 करोड़ था, जो एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. पर कुल व्यय ₹ 2,515.65 करोड़ का 46 प्रतिशत था। यह, चंबल नहर प्रणाली के लिए चिन्हित ₹ 276.05 करोड़ के पी.आई.पी. के प्रारंभिक आयोजनाबद्ध आवंटन, जो कि संपूर्ण परियोजना के मूल ₹ 1,919 करोड़ के मूल प्रशासनिक अनुमोदन का 14 प्रतिशत था, से बिल्कुल विपथित था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि चंबल नहर प्रणाली के लिए 2012-13 से 2013-14 के दौरान ₹ 606.24 करोड़ (एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत कुल व्यय का 24 प्रतिशत) के मूल्य के कार्य प्रारंभ किए गए थे। इनमें से, चंबल नहर प्रणाली के लिए 2012-14 के दौरान सौंपे गए कार्यों का ₹ 571.65 करोड़ (94.29 प्रतिशत) का भाग सी.सी. लाईनिंग का था, जो कि अधिक व्यय के साथ कम समय अवधि में आसानी से क्रियान्वित की जा सकती थी।

इस प्रकार, चंबल नहर प्रणाली के आसान क्रियान्वयन ने जल संसाधन विभाग को जून 2012 में परियोजना के पुनर्गठन के बाद इस पर अधिक बल देने के लिए उद्यत किया, जब विश्व बैंक ने परियोजना की समापन तिथि जून 2015 नियत की थी। चंबल नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण पर अधिक महत्व ने परियोजना की पूर्णता के लिए पुनरीक्षित लक्षित तिथि के भीतर परियोजना की समाप्ति के लिए आवश्यक वित्तीय प्रगति को प्राप्त करने में सहायता प्रदान की। विभाग की हड़बड़ी एवं चंबल नहर प्रणाली के कार्यों के क्रियान्वयन में अन्य अनियमितताओं को प्रतिवेदन की कंडिका 2.2.8.3 के अंतर्गत पुनः मुख्यांकित किया गया है।

• पुनर्स्थापन में कछार वार असंतुलन एवं हितग्राहियों पर इसका प्रभाव

चंबल नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण पर अधिक महत्व देने के साथ साथ एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कार्यक्षेत्र से बड़ी संख्या में योजनाओं को छोड़े जाने के परिणामस्वरूप आयोजनाबद्ध एवं क्रियान्वित योजनाओं की कुल संख्या में कछार वार असंतुलन हुआ, जैसा कि चार्ट 2.2.1 में विवरण दिया गया है।

चार्ट 2.2.1



चंबल नहर प्रणाली एवं वैनगंगा नहर प्रणाली (जो एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत पुनर्स्थापन के लिए मूल रूप से आयोजनाबद्ध नहीं थी) को छोड़कर उपलब्धि के कमान क्षेत्र का कच्चार वार विवरण तालिका 2.2.3 में दिया गया है।

तालिका 2.2.3: चंबल नहर प्रणाली एवं वैनगंगा नहर प्रणाली को छोड़कर उपलब्धि के कमान क्षेत्र का कच्चार वार विवरण

कच्चार का नाम	बेतवा	चंबल	केन	सिंध	टोंस	महायोग
कुल आयोजनाबद्ध योजनाएं	250	137	118	53	95	653
कुल ली गई योजनाएं	70	89	21	13	33	226
छोड़ी गई योजनाओं का प्रतिशत	72	35.04	82.20	75.47	65.26	65.39
आच्छादित किए जाने वाला सी.सी.ए. हे. में.	1,63,489	54,389	60,996	96,524	59,331	4,34,729
वास्तव में आच्छादित सी.सी.ए.	85,820	39,269	15,367	80,295	24,946	2,45,697
आच्छादित किए जाने वाले क्षेत्र में कमी प्रतिशत में	47.51	27.80	74.81	16.81	57.95	43.48

(स्रोत: पाइकू द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

इस प्रकार, सभी पांच कच्चारों में आच्छादित किए जाने वाले मध्यम एवं लघु योजनाओं की उपलब्धि के सी.सी.ए. में महत्वपूर्ण कमी थी। संयोगवश, जल संसाधन विभाग ने चंबल कच्चार जिसका 28 प्रतिशत आयोजनाबद्ध सी.सी.ए. छोड़ दिया गया था, के लिए उसके नदी कच्चार आयोजना (2015) में स्वीकार किया कि किसानों को एकमात्र भूजल स्रोत पर निर्भर रहना था एवं सतत विदोहन से भविष्य उजड़ सकता है, यदि वे एकमात्र स्रोत को खो देते हैं।

एक वृहद योजना पर महत्व देने के कारण समस्त पांच कच्चारों से बड़ी संख्या में लघु योजनाएं छोड़ी गई थी।



रिक्त बमुलिया भाटी जलाशय का दृश्य (दिसम्बर 2016 की स्थिति में)

चंबल नदी कच्चार में लघु सिंचाई योजनाओं के हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान (दिसम्बर 2016), बमुलिया भाटी एवं भौरी जलाशय लघु सिंचाई योजनाओं के 15 में से 12 हितग्राहियों ने नहरों में पानी की उपलब्धता का अभाव होना एवं 10 हितग्राहियों ने कम उत्पादन होना प्रतिवेदित किया।

प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग ने निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में बताया कि विभाग ने कमान क्षेत्र वार


संपूर्ण उपलब्धि को आंकलित किया था। शासन ने उसके लिखित उत्तर में बताया (नवम्बर 2016) कि बुंदेलखण्ड क्षेत्र के लिए अनुदान की भांति उपलब्ध निधियों का उपयोग करने के लिए योजनाओं की संख्या में बदलाव किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक आयोजना में सम्मिलित कुछ उद्वहन सिंचाई योजनाओं को भी हटाया गया था। 4,95,000 हेक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध अंतिम परियोजना परिणाम में 6,51,000 हेक्टेयर की उपलब्धि को दर्शाया गया था, इस प्रकार योजना के अनुसार उद्देश्य प्राप्त हुआ। आगे यह भी बताया गया कि ऋण अनुबंध में संशोधन के माध्यम से वैनगंगा कछार को कार्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परियोजना के अंतर्गत आयोजनाबद्ध परिणामों की तुलना में कछार वार वास्तविक परिणाम प्रभावी रूप से भिन्न थे। आगे, पी.आई.पी. के अनुसार योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने में विभाग की विफलता के परिणामतः एम.पी. डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कार्यक्षेत्र से 362 योजनाएं निकाल दी गई थीं। आगे, विभाग ने परियोजना के लिए जून 2015 की पूर्णता तिथि से पहले उपलब्ध निधियों को उपयोग करने के लिए केवल वृहद परियोजना के आधुनिकीकरण के कार्यों पर महत्व दिया। केवल एक वृहद सिंचाई योजना के आधुनिकीकरण पर अधिक महत्व देने एवं छोड़ी हुई योजनाओं की बड़ी संख्या के परिणामस्वरूप, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी., चयनित पांच कछारों में परिसंपत्तियों आधुनिकीकरण के अपेक्षित उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका एवं इसने छोड़ी गई योजनाओं के परिकल्पित हितग्राहियों की खेत स्तरीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया।

2.2.7.2 एस.एम.पी. के अनुमोदन के पश्चात कार्य प्रारंभ करने में विलंब

एस.एम.पी. के अनुमोदन के पश्चात भी 135 कार्य विलंब से प्रारंभ किए गए थे, जिनमें से 104 कार्य क्रियान्वयन के दौरान विलंबित हुए थे।

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. की पी.आई.पी. में सिंचाई योजनाओं को छह समूहों में उनके सी.सी.ए. के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। इनके वर्गीकरण के आधार पर, परिसंपत्ति आधुनिकीकरण की ये सिंचाई योजनाएं, उनके प्रारंभ होने से एक से चार वर्षों की अवधि के भीतर चरणबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु आयोजनाबद्ध थीं। विश्व बैंक से एस.एम.पी. के अनुमोदन से दो माह के भीतर कार्य प्रारंभ किए जाने थे।



अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 1.42 लाख हेक्टेयर के कमान क्षेत्र वाले 228 कार्यों में से 135 कार्य विश्व बैंक से एस.एम.पी. के अनुमोदन की तिथि से सात माह से 68 माह तक के विलंबों से प्रारंभ हुए थे। कार्यों को प्रारंभ करने में विलंबों का विवरण चार्ट 2.2.2 में दर्शाया गया है। कार्यों को प्रारंभ करने के साथ साथ कार्यान्वयन स्तर पर विलंबों के परिणामस्वरूप 135 कार्यों में से 104 कार्य एक माह से 54 माह तक के विलंब से पूर्ण हुए थे (जैसा कि परिशिष्ट 2.22 में विवरण दिया गया है)।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि विलंब, निविदा दस्तावेज बनाने में सलाहकारों के भाग पर थे। ऐसे विलंबों से बचने के लिए, पाइकू में केन्द्रीकृत क्रय

प्रक्रिया सफलतापूर्वक अपनाई गई थी एवं क्रय प्रक्रिया को गति दी गई थी।

तथ्य वहीं रहता है कि कार्यों की प्रगति के परिवीक्षण एवं प्रकरणों में, जहां पर सलाहकारों द्वारा निविदा दस्तावेजों को तैयार करने में विलंब हुए थे, समय से सुधारात्मक कार्रवाई करने में पाइकू की विफलता के परिणामस्वरूप एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत परिसंपत्ति आधुनिकीकरण की पूर्णता में विलंब हुए थे।

2.2.7.3 माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के कार्य

माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एवं नहर स्वचालन के लिए चिन्हित ₹ 205.52 करोड़ अन्य कार्यों में व्ययवर्तित किए गए थे।

सिंचाई योजनाओं की एस.एम.पी. में माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का कार्य, जिसमें वाटर कोर्स के कार्य, फील्ड चैनल के निकासी बिंदु पर वितरण बाक्स, खेत सड़क में पुलियों एवं समन्वयनीय आनुपातिक माड्यूल (ए.पी.एम.)³⁹ का निर्माण करना परिकल्पित था। नहर स्वचालन को, परियोजना प्रचालन केन्द्र (पी.ओ.सी.) एवं सुदूर परिवीक्षण इकाई (आर.एम.यू.) तथा नहरों की नियंत्रण संरचनाओं पर संचालकों के साथ संचार के लिए स्काडा⁴⁰ अनुप्रयोग के उपयोग करते हुए स्थापित किया जाना था।

चंबल नहर प्रणाली के अंतर्गत माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एवं नहर स्वचालन के निर्माण के लिए प्रावधान तालिका 2.2.4 में दिए गए विवरण के अनुसार थे।

तालिका 2.2.4: चंबल नहर प्रणाली में माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एवं नहर स्वचालन के लिए प्रावधान

(₹ करोड़ में)

नहर का नाम	दूरियों का विवरण	कमान क्षेत्र में माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का प्रावधान	नहर स्वचालन	योग
चंबल दायीं तट मुख्य नहर	कि.मी. 0 से कि.मी. 120	47.77	2.32	50.09
लोअर मेन कैनाल	कि.मी. 120 से कि.मी. 169	7.57	0.94	8.51
अम्बाह शाखा नहर	कि.मी. 0 से कि.मी. 50	33.31	1.50	34.81
मुर्ना शाखा नहर	कि.मी. 0 से कि.मी. 83.90	34.69	1.66	36.35
मुर्ना शाखा नहर	कि.मी. 83.90 से कि.मी. 143.40	22.63	1.41	24.04
मुर्ना शाखा नहर	कि.मी. 0 से कि.मी. 36.60	50.53	1.19	51.72
योग		196.50	9.02	205.52

(स्रोत: चंबल नहर प्रणाली के लिए एस.एम.पी.)

अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एवं नहर स्वचालन के कार्य क्रियान्वित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एवं नहर स्वचालन के लिए चिन्हित ₹ 205.52 करोड़ के प्रावधान को अन्य उद्देश्यों के लिए व्ययवर्तित किया गया था।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि पूर्व की परियोजना में कमान क्षेत्र विकास के कार्य अलग से लिए गए थे। बाद में विभाग ने केन्द्रीय सहायता के साथ बड़े पैमाने पर कमान क्षेत्र विकास के लिए एक वृहद योजना बनाई थी। तदनुसार, कमान क्षेत्र के अलग शाखा का सुदृढीकरण किया गया था एवं केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए थे। इसलिए, सी.ए.डी. कार्यों में विश्व बैंक ऋण का भाग उपयोग नहीं किया गया था। यद्यपि, चंबल नहर प्रणाली में पूर्ण सिंचाई प्रदान की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि औचित्यपूर्ण आधार पर नियंत्रित जल आपूर्ति के प्रति आश्वस्त होने के उद्देश्य के लिए एस.एम.पी. में माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एवं नहर स्वचालन के लिए प्रावधान थे। आगे, केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता मुख्य रूप से चंबल नहर प्रणाली की मुख्य नहर एवं वितरिकाओं में लाईनिंग कार्य के क्रियान्वयन में अधिक व्यय के कारण थी, जैसा कि कंडिका 2.2.8.3 में चर्चा की गई है।

³⁹ ए.पी.एम. किसानों में न्यायसंगत जल वितरण करने हेतु एक संरचना है, जिसे जल संसाधन विभाग ने प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा जारी (25-11-91) तकनीकी परिपत्र 34 से अपनाया था।

⁴⁰ पर्यवेक्षणात्मक नियंत्रण एवं डाटा अर्जन प्रणाली

2.2.7.4 सिंचाई परिसंपत्तियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए लाइन विभागों के साथ सहयोग

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत पी.आई.पी. में उन्नत कृषि सहायता सेवाओं, शोधकर्ताओं-विस्तारकों-कृषक-बाजार कंड़ियों का सुदृढीकरण, म.प्र. शासन के लाइन विभागों (जल संसाधन विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जे.एन.के.वी.वी. जबलपुर) के प्रभावी सहयोग के माध्यम से कृषि सघनीकरण एवं विविधीकरण परिकल्पित था। यह अपेक्षा की गई थी कि परियोजना से फसल सघनता में वृद्धि, तिलहन, दालों एवं अनाज फसलों उन्नत उत्पादकता, सब्जियों, फलों, फूलों मसालों एवं अन्य उच्च मूल्य की फसलों की क्षेत्र तथा उत्पादकता में वृद्धि होगी।

2004-05 से 2015-16 के दौरान लाइन विभाग वार मूल प्रावधान, पुनर्गठित प्रावधान एवं व्यय के विवरण तालिका 2.2.5 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.2.5: लाइन विभाग वार प्रावधान एवं किया गया व्यय

लाइन विभाग का नाम	पी.आई.पी. के अनुसार मूल प्रावधान	पुनर्गठित प्राक्कलित प्रावधान	कुल व्यय (₹ लाख में)
किसान कल्याण एवं कृषि विकास	4,907	2,846	2,763
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	2,384	2,423	2,382
पशुपालन	2,415	2,415	3,415
मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास	3,445	1,902	1,902
कृषि विश्वविद्यालय	1,310	1,064	1,042
योग	14,461	10,650	11,504

(स्रोत: पाइकू द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है, कुल व्यय ₹ 115.04 करोड़ था, जो कि प्राक्कलित प्रावधान का 79.55 प्रतिशत एवं परियोजना के अंतर्गत कुल व्यय का 4.61 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्न प्रकट हुआ:

• कृषि सघनीकरण एवं विविधीकरण

पी.आई.पी. के अनुसार, असिंचित क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र में परिवर्तन कृषि सघनीकरण के लिए मानदण्ड के रूप में लिया गया था। चंबल नहर प्रणाली एवं वैनगंगा नहर प्रणाली का सी.सी.ए. 4,05,238 हेक्टेयर था, जो एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कुल आच्छादित क्षेत्र का 62 प्रतिशत था। चंबल नहर प्रणाली से आच्छादित भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर जिलों में असिंचित क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र में परिवर्तन में वृद्धि अल्प थी, जैसा कि तालिका 2.2.6 में विवरण दिया गया है।

तालिका 2.2.6: चंबल नहर प्रणाली के भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर जिलों में समस्त फसलों का कुल क्षेत्रफल एवं कुल सिंचित क्षेत्रफल

वर्ष	समस्त फसलों का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कुल सिंचित क्षेत्रफल हेक्टेयर में	सिंचित क्षेत्रफल का फसलों के क्षेत्रफल से प्रतिशत
2010-11	9,88,228	4,59,174	46.46
2011-12	9,85,960	4,90,335	49.73
2012-13	9,94,808	5,13,944	51.66
2013-14	10,39,768	5,43,757	52.30

जल उपभोक्ता संस्थाओं का प्रशिक्षण एवं असिंचित क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र में परिवर्तन अपर्याप्त था।

वर्ष	समस्त फसलों का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कुल सिंचित क्षेत्रफल हेक्टेयर में	सिंचित क्षेत्रफल का फसलों के क्षेत्रफल से प्रतिशत
2014-15	10,52,208	5,93,733	56.43

(स्रोत: म.प्र. भू अभिलेख की वेबसाइट से आंकड़े)

इस प्रकार, सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ ही कुल फसलों का क्षेत्रफल बढ़ा था। आगे, बालाघाट जिले में वैनगंगा नहर प्रणाली के कमान क्षेत्र के प्रकरण में धान बुआई क्षेत्रफल वर्ष 2011-12 में 2,55,517 हेक्टेयर था जो वर्ष 2015-16 में 2,59,790 हेक्टेयर रहा।

कृषि सघनीकरण एवं विविधीकरण, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र में उपलब्धि में वृद्धि के समतुल्य नहीं था। चना, अरहर एवं सरसों के बुआई क्षेत्र को पी.आई.पी. में कृषि सघनीकरण के एक संकेतक भांति लिया गया था। 10 नमूना जांच किए गए जिलों में 2011-12 से 2015-16 के दौरान चना, अरहर एवं सरसों के बुआई क्षेत्र तालिका 2.2.7 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.2.7: नमूना जांच किए गए जिलों में चना, अरहर एवं सरसों के बुआई क्षेत्र का विवरण

वर्ष	(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)				
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
चना	7,47,245	7,60,213	7,24,888	6,45,410	5,99,155
अरहर	1,29,879	1,05,050	73,924	69,546	84,244
सरसों	उपलब्ध नहीं	3,89,129	3,88,173	3,20,348	3,13,730

(स्रोत: म.प्र. भू अभिलेख वेबसाइट से आंकड़े)

इस प्रकार, चने का बुआई क्षेत्र 2011-12 में 7.47 लाख हेक्टेयर से 2015-16 में 5.99 लाख हेक्टेयर (19.81 प्रतिशत) तक कम हुआ एवं अरहर का बुआई क्षेत्र 2011-12 में 1.29 लाख हेक्टेयर से 2015-16 में 0.84 लाख हेक्टेयर (35.14 प्रतिशत) तक कम हुआ था। आगे, सरसों का बुआई क्षेत्र 2012-13 में 3.89 लाख हेक्टेयर से घटकर 2015-16 में 3.13 लाख हेक्टेयर (19.38 प्रतिशत) तक कम हुआ था। इस प्रकार, उत्पादन माडल के अनुसार, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के पश्चात कृषि सघनीकरण ऋणात्मक था।

• पी.आई.पी. के अनुसार, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को जल संसाधनों एवं भूमि के सतत उपयोग के लिए किसानों/जल उपभोक्ता संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना था। जे.एन.के.वी.वी. ने 2006-07 से 2015-16 के दौरान जल उपभोक्ता संस्थाओं के लिए क्षमता विकास⁴¹ की गतिविधि के रूप में 275 प्रशिक्षण के लक्ष्य के विरुद्ध 196 प्रशिक्षण आयोजित किए थे जो लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी का सूचक था। हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान 334 किसानों में से 133 (40 प्रतिशत) ने किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना प्रतिवेदित किया था। इस प्रकार, फसल विविधीकरण के लाभ के बारे में किसानों के मध्य जागरूकता को पैदा करने में संस्थागत स्तर पर प्रयास का अभाव था।

10 जिलों के 96 गांवों के 75 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों (आर.ए.ई.ओ.) से साक्षात्कार के दौरान उत्पादन के विवरण से यह अवलोकन किया गया कि 64 आर.ए.ई.ओ. के 74 ग्रामों (77 प्रतिशत) में कृषि विविधीकरण नहीं हुआ था। कृषि विविधीकरण

⁴¹ क्षमता निर्माण में, मैदानी अधिकारियों का प्रशिक्षण, कृषि विकास केन्द्रों में जल उपभोक्ता संस्थाओं को प्रशिक्षण एवं कृषि विकास केन्द्रों में कार्यशाला तथा सेमिनारों का आयोजन समाविष्ट है।

के बारे में पूछे जाने पर, 53 प्रतिशत किसानों ने या तो मना किया या कोई उत्तर नहीं दिया था।

उद्यानिकी फसलों के माध्यम से विविधीकरण

पी.आई.पी. के अनुसार, विविधीकरण विश्लेषण राज्य स्तर आच्छादन के नौ प्रतिशत की तुलना में परियोजना क्षेत्र में रूपांकित सिंचित क्षेत्रफल के 21 प्रतिशत में फल, सब्जियों एवं मसालों को बोया जाना था।

उद्यानिकी फसलों के माध्यम से 21 प्रतिशत का लक्षित विविधीकरण प्राप्त नहीं किया गया था।

चंबल नहर प्रणाली के कमान क्षेत्र में फलों, सब्जियों एवं मसालों के पौधरोपण का क्षेत्रफल 2.90 प्रतिशत से 7.31 प्रतिशत तक कम रहा जैसा कि तालिका 2.2.8 में विवरण दिया गया है।

तालिका 2.2.8: चंबल नहर प्रणाली के भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर जिलों में बोए गए फल, सब्जियों एवं मसालों की स्थिति

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

वर्ष	फल	सब्जियां	मसाले	कुल क्षेत्रफल	चंबल नहर प्रणाली के कमान क्षेत्र के संदर्भ में प्रतिशत
2011-12	112	8,092	4,852	13,056	3.61
2012-13	85	6,828	3,581	10,494	2.90
2013-14	82	6,782	3,701	10,565	2.92
2014-15	160	7,483	13,522	21,165	5.85
2015-16	349	8,622	17,490	26,461	7.31

(स्रोत: म.प्र. भू अभिलेख वेबसाइट से आंकड़े)

जैसा कि उपर विवरण दिया गया है, यद्यपि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में फलों एवं मसालों का क्षेत्र बढ़ा था किन्तु सब्जियों के प्रकरण में यह स्थिर रहा, जो अपर्याप्त विविधीकरण को इंगित करता है।

संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2016) कि नर्सरियों के सुदृढीकरण एवं कृषि यंत्रीकरण के लिए किसानों को पॉली शेड प्रदाय किए गए थे। तथापि, मांगे जाने पर आठ जिलों के 42 ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारियों (आर.एच.ई.ओ.) में से 39 (93 प्रतिशत) ने पॉली हाउस के उपयोग के कोई विवरण प्रदान नहीं किए। भिण्ड जिले में दो आर.एच.ई.ओ. में बताया (जनवरी 2017) कि 2010-11 से 2015-16 तक उद्यानिकी से संबंधित गतिविधियां प्रारंभ नहीं की गई थीं। इस प्रकार, पॉली शेड के अल्प उपयोग एवं चंबल नहर प्रणाली के संपूर्ण कमान क्षेत्र में कम एकीकरण से उद्यानिकी फसलों के माध्यम से विविधीकरण प्रभावित हुआ था।

सर्वेक्षण किए गए 334 किसानों में से केवल 101 (30 प्रतिशत) किसानों ने नहरों से खेतों में पर्याप्त जल आपूर्ति होना प्रतिवेदित किया था। आगे, सागर में बीला तालाब के जल उपभोक्ता संस्थाओं के 12 सदस्यों ने पानी की अपर्याप्त उपलब्धता एवं नहरों से आपूर्ति के कम दिवसों को प्रतिवेदित किया था।

मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के माध्यम से विस्तार गतिविधियां

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. का उद्देश्य विद्यमान जल संसाधनों से मत्स्य बीज उत्पादन को बढ़ाना था। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग ने 170 तालाबों के अंतर्गत 26,931 हेक्टेयर में मत्स्य उत्पादन को विकसित किया। यद्यपि, पांच जिलों⁴² के 46 मत्स्य अधिकारियों में से 21 (46 प्रतिशत) ने तालाबों से पानी छोड़े जाने के कारण उत्पादन पर प्रभाव पड़ना प्रतिवेदित किया था।

⁴² देवास, मुरैना, रायसेन, सतना एवं श्योपुर

मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग ने फिश फार्म पौंडी में डोरमेट्री सह विश्रामगृह के निर्माण के लिए जल संसाधन संभाग सतना को ₹ 84.33 लाख प्रदान किए (सितम्बर 2010)। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग द्वारा दरों के अनुमोदन में विलंब के कारण कार्य पूर्ण नहीं हुआ था (जून 2015)। बाद में ₹ 88.42 लाख की राशि परियोजना निदेशक, पाइकू को अनुपयोगित लौटा दी गई। इस प्रकार, निधियों की उपलब्धता के बाद भी अभिष्ट लाभ को प्राप्त नहीं किया जा सका था।

- परियोजना मूल्य निर्धारण दस्तावेज (पी.ए.डी.) के अनुसार, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, नस्ल सुधार, चारा उपयोग में आधिक्य, खेतों में चारा उत्पादन एवं चारा नर्सरियों हेतु कृषि प्रणाली खोज एवं प्रदर्शन के लिए सहायता प्रदान किया जाना था। ये गतिविधियां, अन्य कृषि, उद्यानिकी एवं मत्स्य गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिए जाने के लिए जून 2012 में पुनर्गठन के दौरान छोड़ दी गई थीं।

अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि विभाग ने चिन्हित गतिविधियों पर ₹ 34.15 करोड़ व्यय किए। पुनर्गठित प्राक्कलन में, पशुपालन विभाग (ए.एच.डी.) के लिए ₹ 24.15 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसमें से शिवपुरी में पशुचारा संयंत्र की स्थापना के लिए ₹ 20.54 करोड़ म.प्र. डेयरी फेडरेशन लिमिटेड को अंतरित किए गए थे (2013-16), जो जनवरी 2017 तक ₹ 19.29 करोड़ का व्यय किए जाने के पश्चात भी प्रारंभ नहीं हुए थे।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में प्रमुख सचिव ने ए.एच.डी. द्वारा कार्य की अपूर्णता पर चिंता व्यक्त की एवं परियोजना निदेशक, पाइकू को प्रकरण में ध्यान देने हेतु निर्देशित किया। शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि लाइन विभागों से उत्तर मांगे गए हैं।

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. का कार्य जून 2015 में समाप्त हो गया था, यद्यपि विभाग लाइन विभागों द्वारा किए गए कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से भिन्न नहीं था।

2.2.8 निधि प्रवाह एवं व्यय

योजना आयोग ने एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. हेतु 2011-12 मूल्य स्तर पर ₹ 1,919 करोड़ के लिए निवेश अनापत्ति प्रदान की (जुलाई 2004)। राज्य शासन ने ₹ 1,918.57 करोड़ (अगस्त 2004) के प्रशासनिक अनुमोदन को ₹ 2,498 करोड़ तक पुनरीक्षित किया (अप्रैल 2015)। विश्व बैंक के माध्यम से निधि का प्रवाह, पात्र व्यय पर आधारित था, जो प्रतिपूर्ति के योग्य था। विश्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संधारित किए गए परियोजना के खाते में धन को जमा करते हुए निधियों को प्रदान किया।

परियोजना की निधि राज्य बजट के माध्यम से होकर थी। तदनुसार, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. योजना के अंतर्गत जल संसाधन विभाग को आवंटन दिए गये थे। जल संसाधन संभागों एवं लाइन विभागों को निधियां परियोजना निदेशक, पाइकू, भोपाल के माध्यम से प्रदान की गई थीं। परियोजना की समाप्ति के पश्चात मार्च 2016 तक किया गया कुल व्यय ₹ 2,515.65 करोड़ था। 2015-16 के अंत तक विगत छह वर्षों के लिए निधियों के प्रतिबद्ध वितरण, पाइकू को आवंटन एवं एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत व्यय की स्थिति का विवरण तालिका 2.2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.2.9: परियोजना की मार्च 2016 तक वित्तीय उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	निधियों का प्रतिबद्ध वितरण ⁴³	पाइकू को आवंटन	व्यय
2010-11	128.60	310.10	277.77
2011-12	320.00	200.00	171.28
2012-13	200.67	218.38	208.04
2013-14	300.00	336.43	328.67

⁴³ परियोजना निदेशक, पाइकू द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी के अनुसार

वित्तीय वर्ष	निधियों का प्रतिबद्ध वितरण ⁴³	पाइकू को आवंटन	व्यय
2014-15	404.60	457.95	436.62
2015-16	295.76	377.00	375.42 ⁴⁴
योग	1,649.63	1,899.86	1,797.80

(स्रोत : पाइकू द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

निधि प्रवाह एवं व्यय की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्न प्रकट हुआ:

2.2.8.1 प्रतिबद्धता प्रभारों की परिहार्य देयता

विश्व बैंक के साथ ऋण अनुबंध के अनुच्छेद-11 के खण्ड 2.05 के अनुसार, ऋणी को सहमत अनुसूची के अनुसार आहरित न किए गए ऋण की मूल राशि पर एक प्रतिशत के 3/4 भाग प्रति वर्ष की दर से प्रतिबद्धता प्रभारों का भुगतान करना था।

विश्व बैंक ऋण के विलंबित उपयोग के कारण ₹ 1.12 करोड़ के प्रतिबद्धता प्रभारों की परिहार्य देयता निर्मित हुई थी।

जैसा कि तालिका 2.2.9 से स्पष्ट है, विभाग ने वर्ष 2011-12 में ₹ 320 करोड़ की निधि के प्रतिबद्ध वितरण के विरुद्ध ₹ 171.28 करोड़ का व्यय किया था। ₹ 148.72 करोड़ (46.48 प्रतिशत) के कम उपयोग के परिणामस्वरूप ₹ 1.12 करोड़ के प्रतिबद्धता प्रभारों की देयता संचित हुई। 2005-10 के दौरान निधियों का कम उपयोग होने के कारण ₹ 8.26 करोड़ के प्रतिबद्धता प्रभारों की देयता के संचित होने को पूर्व के 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) में पहले ही प्रतिवेदित किया गया था। प्रतिबद्धता प्रभारों की परिहार्य देयता, जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई परिसंपत्तियों के आधुनिकीकरण में धीमी गति एवं लाइन विभागों द्वारा निधियों का कम उपयोग के कारण थी, जैसा कि कंडिकाओं 2.2.7.1 एवं 2.2.7.4 में चर्चा की गई है।

शासन ने निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में बताया कि राज्य शासन प्रतिबद्धता प्रभारों की देयता के बारे में अवगत नहीं था क्योंकि ऋण अनुबंध भारत सरकार एवं विश्व बैंक के मध्य निष्पादित हुआ था। आगे यह बताया गया (नवम्बर 2016) कि विभाग द्वारा प्रतिबद्धता प्रभारों के लिए कभी कोई प्रावधान नहीं किया गया था, न ही राज्य शासन द्वारा कोई भुगतान किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऋण अनुबंध के अंतर्गत निधियों के कम उपयोग के कारण प्रतिबद्धता प्रभारों के भुगतान का प्रावधान था एवं विश्व बैंक की इस शर्त के अधित्याग के बारे में विभाग कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सका।

2.2.8.2 कछार वार आवंटन एवं व्यय

पी.आई.पी. के अनुसार, 654 सिंचाई योजनाओं के आधुनिकीकरण एवं पुर्नगठन के लिए विश्व बैंक ऋण के माध्यम से विभाग ने निधियों का आवंटन कछार वार किया था। यद्यपि, पूर्व के आवंटन (2004), पुनरीक्षित आवंटन (2012) एवं व्यय (जून 2015) में असामान्य भिन्नता थी, जैसा कि तालिका 2.2.10 में विवरण दिया गया है।

⁴⁴ वित्तीय वर्ष 2015-16 का, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. की समाप्ति तक व्यय ₹ 357.29 करोड़ था एवं वित्तीय वर्ष की बकाया अवधि में ₹ 18.13 करोड़ था, जो प्रतिपूर्ति योग्य नहीं था।

तालिका 2.2.10: एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत निधियों की कछार वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

कछार का नाम	मूल पी.ए. डी. (2004) के अनुसार आवंटन	2012 में पुनरीक्षित आवंटन	2012 के मूल्य स्तर ⁴⁵ पर 2004 का आवंटन	2012 के मूल्य स्तर पर आवंटन में भिन्नता	प्रतिशत भिन्नता	जून 2015 तक व्यय
1	2	3	4	5 = (3-4)	6=5/4*100	7
चंबल	478.51	120	562.95	-442.95	-78.68	111.50
सिंध	202.06	1,400	237.72	1,162.28	488.93	1,360.90
बेतवा	402.50	230	473.53	-243.53	-51.43	229.62
केन	159.07	70	187.14	-117.14	-62.59	66.93
टोंस	161.30	50	189.41	-139.41	-73.60	44.35
वैनगंगा ⁴⁶	0	0	0	0	0	127.99
योग	1,403.14	1,870	1,650.75	219.25		1,941.29

(स्रोत: पाइकू, डब्ल्यू.बी.पी. द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

विभाग ने सिंध कछार को छोड़कर, जहां पर चंबल नहर प्रणाली पर अत्यधिक आवंटन के कारण आवंटन को 488.93 प्रतिशत तक बढ़ाया था, सभी कछारों में निधियों का आवंटन 51.43 प्रतिशत से 78.68 प्रतिशत तक कम किया था।

पी.ए.डी. (2004) में, जल संसाधन विभाग ने त्रुटिपूर्ण रूप से चंबल नहर प्रणाली को चंबल कछार में सम्मिलित किया जिसे बाद में 2012 में पुनरीक्षित आवंटन के समय सिंध कछार में विचारित किया। जैसा कि तालिका 2.2.10 में स्पष्ट है, ₹ 442.95 करोड़ की राशि को चंबल कछार के आवंटन से वापिस किया गया है। यद्यपि, सिंध कछार में समान राशि के आवंटन को बढ़ाने के स्थान पर विभाग ने ₹ 1,400 करोड़ का आवंटन किया, जो 105.70 प्रतिशत⁴⁷ अधिक था। जैसा कि कंडिका 2.2.8.3 में चर्चा की गई है, कम समय सीमा में आसान क्रियान्वयन की दृष्टि से चंबल नहर प्रणाली के अंतर्गत कार्यों के लिए अधिक प्रावधान किया गया ताकि परियोजना को जून 2015 तक पूर्ण किया जाए।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी., योजनाओं की संख्या या कछार वार क्षेत्रफल पर निर्भर किए बिना कुल 4,95,000 हेक्टेयर सिंचाई को प्राप्त करने के लिए लक्षित था। इसके अलावा, चंबल नहर प्रणाली के माध्यम से पानी को चंबल कछार से सिंचाई लिए सिंध कछार में स्थानांतरित किया गया था। पी.आई.पी. में चंबल नहर प्रणाली की आयोजना को त्रुटिवश सिंध कछार के स्थान पर चंबल कछार में दर्शाया गया था। इसलिए चंबल नहर प्रणाली का व्यय जो चंबल कछार में दर्शाया गया था, सिंध कछार का व्यय था एवं सिंध कछार में प्रतिवेदित व्यय वास्तव में केवल सिंध कछार के व्यय से संबद्ध था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परियोजना विकास का उद्देश्य 654 चिन्हित योजनाओं के माध्यम से राज्य के सभी चयनित नदी कछारों में जल की उत्पादकता बढ़ाने का

⁴⁵ यू.एस. डालर के मूल्य क्रमशः ₹ 43.86 एवं ₹ 51.60 के आधार पर 2004 के मूल्य स्तर को 2012 में परिवर्तित करने के लिए 1.18 गुणांक का उपयोग किया गया, जैसा कि एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा प्रभाग, वित्त मंत्रालय (<http://aaad.gov.in>) द्वारा संधारित लोन लेजर में उल्लेखित किया गया है।

⁴⁶ वैनगंगा कछार में कोई आवंटन नहीं किया गया था क्योंकि वैनगंगा कछार में कार्य का क्रियान्वयन, यू.एस. डालर की तुलना में भारतीय रूपए के अवमूल्यन के कारण हुई बचत से किया गया।

⁴⁷ ₹ 442.95 करोड़ + ₹ 237.72 करोड़ = ₹ 680.67 करोड़
(1400-680.67/680.67)* 100 = 105.70 प्रतिशत

था। आगे, विभाग ने पी.ए.डी. (2004) में चंबल नहर प्रणाली के लिए ₹ 276.05 करोड़ का आवंटन किया था, जो 2012 मूल्य स्तर पर ₹ 325.74 करोड़ संगणित होता था। जिसके विरुद्ध 2012 के पुनरीक्षित आवंटन में चंबल नहर प्रणाली पर ₹ 917.95 करोड़ आवंटित किए गए थे, जो 182 प्रतिशत अधिक था एवं वास्तविक व्यय (₹ 1,156.33 करोड़) और भी अधिक था। चंबल नहर प्रणाली को अत्यधिक महत्व दिए जाने के कारण समस्त कछारों में आवंटन 42.86 प्रतिशत से 74.92 प्रतिशत तक कम हुआ था जो परियोजना विकास उद्देश्यों के प्रतिकूल था।

2.2.8.3 योजना आधुनिकीकरण आयोजनाओं के कार्यक्षेत्र से परे कार्यों पर व्यय

सलाहकारों द्वारा विभाग के अधिकारियों एवं सलाहकार के संयुक्त पारगमन के आधार पर योजना आधुनिकीकरण आयोजनाएं (एस.एम.पी.) तैयार की गई थीं एवं विभाग तथा विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित की गई थीं। एस.एम.पी. में सिंध कछार की चंबल नहर प्रणाली की चयनित दूरियों में लाइनिंग का प्रावधान था।

एस.एम.पी. के कार्यक्षेत्र से परे अधिक मात्राओं एवं लम्बाई में क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप ₹ 263.85 करोड़ का अनुचित व्यय हुआ।

तीन जल संसाधन संभागों (मुरैना, सबलगढ़ एवं श्योपुर) की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि छह नमूना जांच किए गए कार्यों में सी.सी. लाइनिंग के लिए विशिष्ट दूरियां पहचानी गई थी एवं एस.एम.पी. में 5,15,295.85 घन मीटर की सी. सी. लाइनिंग की मात्रा प्रावधानित की गई थी। अन्य दो कार्यों⁴⁸ में 28,737 मीटर में सी.सी. लाइनिंग की लंबाई प्रावधानित की गई थी। यद्यपि, विभाग ने छह कार्यों में 11,02,935.02 घन मीटर एवं अन्य दो कार्यों में 71,441 मीटर की संपूर्ण लम्बाई में सी.सी. लाइनिंग का कार्य को क्रियान्वित किया। सी.सी. लाइनिंग का अधिक क्रियान्वित आवश्यकता के किसी निर्धारण के बिना था, जिससे एस.एम.पी., जिन्हें संयुक्त पारगमन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया था, से विचलन हुआ। इस प्रकार, सी.सी. लाइनिंग के 5.88 लाख घनमीटर एवं 42,704 मीटर में अधिक मात्राओं के परिणामस्वरूप ₹ 263.85 करोड़ का अनुचित व्यय हुआ। (परिशिष्ट 2.23)

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2016) में विभाग ने बताया कि पूर्व में लाइनिंग को टुकड़ों में किया जाना था, किन्तु बाद में यह समझा गया कि लाइनिंग की आवश्यकता नहरों की संपूर्ण लंबाई में थी। शासन ने उसके लिखित उत्तर में बताया (नवम्बर 2016) कि वर्षा एवं सिंचाई के पश्चात जल आप्लवन की समस्या को ध्यान में रखते हुए पानी के दक्ष उपयोग के लिए सभी संभावित दूरियों में लाइनिंग कार्य प्रारंभ करने का निश्चय किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों एवं सलाहकारों के संयुक्त पारगमन के माध्यम से एस.एम.पी. में चयनित दूरियों में सी.सी. लाइनिंग की आवश्यकता को निर्धारित किया गया था। सी.सी. लाइनिंग के लिए दूरियां नहर के पानी के सीपेज एवं जल आप्लवन के जोखिम को ध्यान में रखते हुए पहचानी गई थीं। तथापि, जल संसाधन संभाग, जौरा ने सी.सी. लाइनिंग के प्रावधान जिनका विवरण एस.एम.पी. में दिया गया था, का पालन किया था, अन्य संभाग, सी.सी.लाइनिंग के अधिक क्रियान्वयन के लिए आवश्यकता का निर्धारण किए बिना एस.एम.पी. से विचलित हुए थे।

2.2.9 ठेका प्रबंधन एवं कार्य का क्रियान्वयन

ठेका प्रबंधन, व्यवस्थित एवं दक्षतापूर्वक ठेका सृजन प्रबंधन, प्रचालन एवं वित्तीय निष्पादन के उद्देश्य से, विश्लेषण और क्रियान्वयन करने तथा लागत वृद्धि तथा समयावधि वृद्धि के जोखिम को कम करने की प्रक्रिया है। प्राक्कलन, निविदाकरण तथा

⁴⁸ निचली मुख्य नहर की वितरिका 1 एल से 4 आर.सी. एवं 6 एल. से 16 एल. तथा 5 एल वितरिका

क्रियान्वयन में कमियां थीं, जिनके परिणामस्वरूप नहरों और तालाबों के आधुनिकीकरण एवं पुनर्गठन के 71 ठेकों में ₹ 204.10 करोड़ मूल्य के अतिरिक्त लागत/अधिक भुगतान/अदेय लाभ/अस्वीकार्य भुगतान/ठेकेदारों को बढ़े हुए भुगतान हुए थे।

2.2.9.1 सी.सी.लाइनिंग का अनियमित क्रियान्वयन

नहर लाइनिंग के लिए उच्चतर विशिष्टि को अपनाने के कारण ₹ 47.70 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

तकनीकी परिपत्र (टी.सी.) क्रमांक 1/84⁴⁹ के प्रावधान के अनुसार, 0.3 क्यूमेक से 3 क्यूमेक एवं अधिक का जल प्रवाह ले जानी वाली नहरों के लिए एम-10⁵⁰ श्रेणी में सी.सी. लाइनिंग प्रावधानित किया जाना है। विभाग ने टी.सी. संख्या 47 के द्वारा एम-10 श्रेणी में सी.सी. लाइनिंग को प्रावधानित करने के लिए प्रावधान की पुनः पुष्टि की (मार्च 2003)।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि सात जल संसाधन संभागों⁵¹ के अंतर्गत नहरों के पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण के 30 कार्यों के प्रकरण में विभाग ने एम-15 श्रेणी की सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग के 10,63,440 घन मीटर को प्रावधानित एवं क्रियान्वित किया। एम-15 श्रेणी की सी.सी. लाइनिंग का प्रावधान एवं क्रियान्वयन टी.सी. के प्रावधानों एवं एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. कार्यों के लिए मानदण्डों के विपरीत था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 47.70 करोड़ के सी.सी. लाइनिंग का अनियमित क्रियान्वयन हुआ, जैसा कि परिशिष्ट 2.24 में विवरण दिया गया है।

शासन में बताया (नवम्बर 2016) कि सी.सी. लाइनिंग का कार्य एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. कार्यों के लिए जारी तकनीकी विशिष्टियों के विस्तृत दिशा निर्देशों एवं विशिष्टियों के अनुसार क्रियान्वित किया गया था। ये विशिष्टियां अनुबंध का भाग थीं। यह उल्लेख किया गया था कि कांक्रीट सामान्यतः आई.एस. 456-2000 द्वारा संचालित होगा, जिसमें एम-15 को कांक्रीट की न्यूनतम श्रेणी की भांति प्रावधानित किया गया था। 84-85 का तकनीकी परिपत्र 1 एक बहुत पुरानी टी.सी. थी एवं लम्बे समय से पुनरीक्षण के अधीन थी। आगे, निदेशक (नहरें), बोधी ने सूचित किया (फरवरी 2017) कि टी.सी. 1/84 को अधिक्रमित करते हुए नहर लाइनिंग के लिए पुनरीक्षित दिशा निर्देश जारी किए गए थे (दिसम्बर 2016)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आई.एस. 456: 2000 एम-15 को कांक्रीट की न्यूनतम श्रेणी प्रावधानित नहीं करता है एवं 10 न्यूटन प्रति वर्ग मि.मी. की लाक्षणिक क्षमता वाले एम-10 श्रेणी का प्रावधान भी कांक्रीट की श्रेणियों में सम्मिलित था। आगे, तथ्य वही रहता है कि क्रियान्वयन की अवधि के दौरान टी.सी. 1/84 लागू थी एवं इसलिए इसका पालन किया जाना था तथा प्राधिकार के बिना परिपत्र का उल्लंघन करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना आवश्यक था।

2.2.9.2 मिट्टी कार्य की ट्रिमिंग के लिए अवांछित प्रावधान के कारण अतिरिक्त लागत

मिट्टी कार्य की ट्रिमिंग के लिए अवांछित प्रावधान के कारण ₹ 17.73 करोड़ की अतिरिक्त लागत हुई।

राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदाकरण (एन.सी.बी.) दस्तावेज के साथ संलग्न नहर लाइनिंग के लिए विशिष्टियों के अध्याय-111 की शर्त 7 के अनुसार, नहर लाइनिंग के नीचे नहर सेक्शन में कांक्रीट को बिछाने के लिए सबग्रेड को अंतिम रूप से तैयार करने में ट्रिमिंग के कार्य का प्रावधान एवं कांक्रीट बिछाने के लिए सबग्रेड को तैयार करने में प्राइड सेक्शन⁵² को हटाना सम्मिलित था। लाइनिंग के नीचे ढलानों एवं तल में लाइनिंग की मोटाई के बराबर प्राइड सेक्शन को बिना खुदा हुआ छोड़ा जाना था। कांक्रीट लाइनिंग को बिछाने के लिए एम्बेकमेंट को प्रदाय करने एवं लगाने में सबग्रेड

⁴⁹ प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा जारी तकनीकी परिपत्र (टी.सी.) क्र. 1/84

⁵⁰ यह सीमेंट, रेत एवं कोर्स एग्रीगेट का मिश्रण 1:3:6 के अनुपात में दर्शाता है।

⁵¹ बालाघाट, भिण्ड, जौरा, मुरैना, सबलगाढ़, सतना एवं श्योपुर

⁵² नहर का सेक्शन जिसमें असमतल सतहें हों।

को अंतिम रूप से तैयार करने की लागत सम्मिलित थी एवं इसके लिए अलग से कोई भुगतान किया जाना अनुमत नहीं था।

सात जल संसाधन संभागों⁵³ में 37 कार्यों⁵⁴ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मिट्टी कार्य की मद को, स्ट्रिपिंग, खुदाई (हाउसिंग), एम्बेकमेंट के लिए मिट्टी कार्य, वाटरिंग एवं कम्पेक्शन की मदों को सम्मिलित करते हुए तैयार किया गया था। यह अवलोकित किया गया कि एन.सी.बी. की मदों की अनुसूची में ट्रिमिंग की एक अलग मद प्रावधानित की गई थी एवं 178.78 लाख वर्ग मीटर के क्रियान्वयन के लिए ₹ 17.73 करोड़ की राशि भुगतान की गई थी। जैसा कि कांक्रीट को बिछाने के लिए सबग्रेड को अंतिम रूप से तैयार करने की मद में ट्रिमिंग का प्रावधान एवं क्रियान्वयन पहले से ही सम्मिलित था, ट्रिमिंग को एक अलग मद के रूप में सम्मिलित करना एवं इसका भुगतान एन.सी.बी. के प्रावधानों के प्रतिकूल था। इसके परिणामस्वरूप मिट्टी कार्य की ट्रिमिंग के लिए अवांछित प्रावधान के कारण ₹ 17.73 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई, जैसा कि **परिशिष्ट 2.25** में विवरण दिया गया है।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि यू.एस.आर. में प्रावधानित मद के अनुसार मेकेनाइज्ड ट्रिमिंग की मद को सम्मिलित किया गया था। लाइनिंग की मोटाई को एकरूप रखने के लिए सब ग्रेड को ट्रिम करना आवश्यक था एवं कम्पेक्शन के बाद भी सबग्रेड में यहां वहां छोटे उतार चढ़ाव थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एन.सी.बी. दस्तावेज में संलग्न नहर लाइनिंग की विशिष्टियों में प्रावधानित था कि सबग्रेड को अंतिम रूप से तैयार करने में ट्रिमिंग का कार्य सम्मिलित था। इसलिए ट्रिमिंग के लिए अलग भुगतान अस्वीकार्य था एवं इस मद को प्राक्कलनों में त्रुटिपूर्ण सम्मिलित करने एवं टी.एस में इसे अनुमोदित करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना आवश्यक था।

2.2.9.3 ब्लेक ट्रेप गिट्टी की लीड/ दर को सम्मिलित करने के कारण अधिक भुगतान

बी.टी. मेटल की लीड/दरों को सम्मिलित करने के कारण ₹ 16.43 करोड़ का अधिक भुगतान

प्राक्कलन के दौरान नहर लाइनिंग में सी.सी. कार्य के लिए गिट्टी के प्रकार का चयन करते समय, के दौरान कार्य के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में कोर्स एग्रीगेट के प्रकार की उपलब्धता मुख्य नियंत्रक कारक है। ब्लेक ट्रेप (बी.टी.), बेसाल्ट या लोकल गिट्टी को कोर्स एग्रीगेट की भांति उपयोग करने के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश नहीं हैं।

छह जल संसाधन संभागों⁵⁵ में 18 कार्यों के प्रकरणों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि सी.सी. लाइनिंग के लिए प्राक्कलनों में बी.टी. मेटल के उपयोग के लिए 220 कि.मी. तक के लीड प्रभारों को सम्मिलित करते हुए अतिरिक्त दर का प्रावधान सम्मिलित किया गया, जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 2.26** में दिया गया है। आगे संवीक्षा में प्रकट हुआ कि बी.टी. मेटल के उपयोग करने के आधार पर, 83 कि.मी. तक की समीप की उपलब्ध खदान से गिट्टी का उपयोग नहीं किया था। बी.टी. मेटल की अधिक लीड का प्रावधान अवांछित था क्योंकि सी.सी. लाइनिंग के कार्य के लिए पास के क्षेत्र में उपलब्ध कोर्स एग्रीगेट उपयोग की जा सकती थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में आगे प्रकट हुआ कि सी.सी. लाइनिंग के कार्यों के लिए बी.टी. मेटल का उपयोग करते हुए मिक्स डिज़ाईन तैयार किया जाना प्रतिवेदित किया गया

⁵³ बालाघाट, भिण्ड, गोहद, जौरा, मुरैना, सबलगढ़ एवं श्योपुर

⁵⁴ जल संसाधन विभाग भिण्ड संभाग एवं जल संसाधन विभाग गोहद संभाग

⁵⁵ भिण्ड, गोहद, जौरा, मुरैना, सबलगढ़ एवं श्योपुर

था। यद्यपि, मिक्स डिजाईन में कोर्स एग्रीगेट की विशिष्ट घनत्व⁵⁶ को 2.65 तक मापा गया था। चूंकि बी.टी. मेटल का विशिष्ट घनत्व 2.8 से 3.0 तक होता है, कांक्रीट के मिक्स डिजाईन में एवं इसलिए सी.सी. लाइनिंग के कार्य में वास्तव में बी.टी. मेटल उपयोग नहीं की गई थी। इस प्रकार, वास्तविक उपयोग के बिना बी.टी. मेटल की लीड के लिए भुगतान के परिणामस्वरूप 18 कार्यों में ₹ 16.43 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि सी.सी. लाइनिंग की मोटाई 7.5 से.मी. से 10 से.मी. तक प्रदाय की गई थी। क्रशर से प्राप्त की गई 20 मि.मी. गिट्टी को सी.सी. लाइनिंग में उपयोग किया गया था। क्रशर में गिट्टी बनाने के लिए बी.टी./ग्रेनाइट/बेसाल्ट चट्टानों का उपयोग किया गया। बी.टी./ग्रेनाइट/बेसाल्ट मेटल के लिए लीड की यू.एस.आर. दरें समान थीं। इसलिए, बी.टी./ग्रेनाइट/बेसाल्ट गिट्टी के लिए लीड को जोड़ा गया था। जहां तक मिक्स डिजाईन में कोर्स एग्रीगेट के विशिष्ट गुरुत्व का प्रश्न है, मेटल ग्रेनाइट हो सकता था, जिसका विशिष्ट घनत्व 2.6 से 2.7 तक की सीमा में था। इस प्रकार बी.टी. मेटल की लीड/दर के कारण कोई अधिक भुगतान नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यक्षेत्र के समीप के क्षेत्र में उपलब्ध कोर्स एग्रीगेट को उपयोग नहीं किया गया था। आगे, सी.सी. लाइनिंग के प्राक्कलनों में अतिरिक्त लीड के साथ बी.टी. मेटल को सम्मिलित करने के बावजूद भी, कार्यपालन यंत्रि ने कार्य में बी.टी. मेटल का उपयोग सुनिश्चित नहीं किया था। इस प्रकार, स्थल की परिस्थिति के आधार पर बी.टी. मेटल की लीड के कारण ₹ 16.43 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान वांछनीय नहीं था।

2.2.9.4 कार्य की निरर्थक मद के कारण अतिरिक्त लागत

सी.सी. लाइनिंग की मद में एयर एन्ट्रेनिंग एजेन्ट की निरर्थक मद लिए जाने के कारण ₹ 5.46 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

विशिष्टियों के अध्याय-III नहर लाइनिंग की शर्त 9.2 के अनुसार, एयर एन्ट्रेनिंग एजेन्ट (ए.ई.ए.) को एक एडमिक्सचर की रूप में सारे कांक्रीट में एडमिक्सचर के समान वितरण को सुनिश्चित करने के ढंग से डाला जाना चाहिए। आगे, विशिष्टियों के अध्याय-II की शर्त 7 प्रावधानित करती है कि प्रभारी अभियंता के अनुमोदन के पश्चात ही ए.ई.ए. को डाला जाना चाहिए। लगाए जाने वाले एडमिक्सचर को कांक्रीट की इकाई दर सम्मिलित करेगी।

दो जल संसाधन संभागों, जौरा एवं मुरैना में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ (मई एवं जून 2016) कि सी.सी. कार्य के मिक्स डिजाईन में ए.ई.ए. जोड़े जाने का प्रावधान सम्मिलित नहीं था, यद्यपि, विभाग ने ए.ई.ए. के बिना सी.सी. लाइनिंग का उपयोग करने के तथ्य को अनदेखा करते हुए ए.ई.ए. का उपयोग किया जाना अनुमत्य किया, जैसा कि विवरण तालिका 2.2.11 में दिया गया है।

तालिका 2.2.11: ए.ई.ए की लागत का विवरण

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	ए.ई.ए. की मात्रा लीटर में	दर ₹ प्रति लीटर में	₹ लाख में
1	ज.सं. संभाग जौरा	01/2007-08	48,134.99	304	146.33
2	ज.सं. संभाग मुरैना	01/2007-08	1,25,199.03	319	399.46
कुल			1,73,334.02		545.79

(स्रोत: कार्यों के क्लबिंग स्टेटमेंट)

जैसा कि उपर विवरण दिया गया है, विभाग ने अनुबंध के साथ संलग्न सी.सी. लाइनिंग की विशिष्टियों के प्रावधानों को अनदेखा करते हुए कुल 1.73 लाख लीटर ए.ई.ए. का

⁵⁶ ठोस के विशिष्ट घनत्व को, पदार्थ के घनत्व से जल के घनत्व से अनुपात में मापरहित इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है।

उपयोग किया एवं ठेकेदारों को ₹ 5.46 करोड़ का भुगतान किया। अनुमोदित मिक्स डिज़ाईन को ध्यान में रखते हुए ए.ई.ए. का उपयोग परिहार्य था। इसलिए, क्लबिंग स्टेटमेंट में ए.ई.ए. की लागत को जोड़ना एवं इसका भुगतान अनुमत्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 5.46 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि ए.ई.ए. जल-सीमेंट अनुपात में अधिक वृद्धि के बिना कांक्रीट की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। कांक्रीट की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कांक्रीट की कार्यक्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है इसलिए नहर लाइनिंग में ए.ई.ए. का उपयोग किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यों के लिए डिज़ाईन मिक्स का उपयोग किए गए थे, जिनमें जल-सीमेंट अनुपात को अनुमोदित एवं अनुशंसित किया गया था। आगे, एम.पी. डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत सी.सी. लाइनिंग के अन्य कार्यों में ए.ई.ए. उपयोग नहीं किया गया था। अध्याय-11 की शर्त 7 के पदों में ए.ई.ए. की अतिरिक्त दर अनुमत्य नहीं थी क्योंकि यू.एस.आर. में सी.सी. लाइनिंग की इकाई दर ए.ई.ए. को सम्मिलित करते हुए थी। चूंकि ठेके को शासित करने वाली विशिष्टि के पदों में मिक्स डिज़ाईन में ए.ई.ए. का कोई प्रावधान नहीं था, यह स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं था एवं अनुबंध के पदों के लिए के प्रति निष्ठा को सुनिश्चित करने में सक्षम प्राधिकारी के भाग पर लापरवाही को दर्शाता है।

2.2.9.5 एम्बेकमेंट की दर को त्रुटिपूर्ण अपनाए जाने के कारण अतिरिक्त लागत

एम्बेकमेंट की त्रुटिपूर्ण दर को अपनाने के कारण ₹ 5.21 करोड़ की अतिरिक्त लागत व्यय की गई।

जल संसाधन विभाग के यू.एस.आर. (2009) में नये कार्य एवं संधारण एवं मरम्मत कार्यों के लिए मिट्टी कार्य की दो अलग मद सम्मिलित थी। नये कार्यों के लिए मिट्टी कार्य की मद की दरों में विभिन्न दूरियों के लिए (₹ 43 प्रति घनमीटर से ₹ 64 प्रति घनमीटर के मध्य की) लीड के साथ दरों का प्रावधान सम्मिलित था जबकि संधारण एवं मरम्मत के लिए मिट्टी कार्य की दर में लीड की दर का प्रावधान सम्मिलित नहीं था एवं समस्त लीड के साथ ₹ 38 प्रति घनमीटर की सम्मिश्र दर नियत थी।

पांच जल संसाधन संभागों⁵⁷ में पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण के 16 कार्यों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मरम्मत एवं संधारण के लिए ₹ 38 प्रति घनमीटर के स्थान पर त्रुटिपूर्ण रूप से नये कार्य के लिए मिट्टी कार्य की दर सम्मिलित की गई थी। मिट्टी कार्य के लिए उच्चतर दर अपनाए जाने के परिणामस्वरूप 24.76 लाख घनमीटर के मिट्टी कार्य के क्रियान्वयन के लिए ₹ 5.21 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई, जैसा कि **परिशिष्ट 2.27** में विवरण दिया गया है।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि पुनर्गठन का कार्य एक नया कार्य है मरम्मत एवं संधारण का सामान्य कार्य नहीं है जिसके लिए दर ₹ 36 प्रति घनमीटर थी। आगे, यह बताया गया कि मदों के प्राक्कलन एवं क्लबिंग निविदा दस्तावेज के भाग नहीं थे। इस प्रकार, खुली प्रतिस्पर्धात्मक दरों में निविदत्त दरों पर कार्य क्रियान्वित कराया गया था।

उत्तर व्याख्या नहीं करता है कि यू.एस.आर. के प्रावधानों के विपरीत त्रुटिपूर्ण दरों के आधार पर तकनीकी स्वीकृति क्यों प्रदान की गई थी। यू.एस.आर. को अलग करने के लिए स्पष्ट नामावली के अभाव में ₹ 5.21 करोड़ की राशि त्रुटिपूर्ण ढंग से भुगतान की गई थी एवं वसूल किया जाना आवश्यक थी। इसलिए, त्रुटिपूर्ण दरों के आधार पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना था।

⁵⁷ बालाघाट, राजगढ़, सागर, श्योपुर एवं शाजापुर

2.2.9.6 लाइनिंग की अधिक मोटाई का अवांछित क्रियान्वयन

सी.सी. लाइनिंग की अवांछित अधिक मोटाई के लिए ₹ 4.82 करोड़ की अतिरिक्त लागत व्यय की गई।

जल संसाधन विभाग द्वारा सी.सी. लाइनिंग के लिए जारी विशिष्टियों की कंडिका 25.6.3.2 के अनुसार, पानी गहराई 2.5 मीटर से कम तथा पांच से 50 क्यूमेक क्षमता वाली नहरों के लिए अधिकतम 75 मि.मी. मोटी स्थल पर ढलित लाइनिंग को प्रावधानित किया जाना था।

जौरा जल संसाधन संभाग में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2016) में प्रकट हुआ कि मुरैना शाखा नहर का शीर्ष प्रवाह 14.16 क्यूमेक एवं पानी की गहराई 1.45 मीटर थे, इसलिए मुरैना शाखा नहर के कि.मी. 0 से कि.मी. 36.10 में लाइनिंग के लिए 75 मि.मी. की मोटाई की लाइनिंग को अपनाया जाना था। यद्यपि, विभाग ने एम.15 श्रेणी की कांक्रिट का उपयोग करते हुए 100 मि.मी. की मोटाई को अपनाया। इसलिए मुरैना शाखा नहर में आवश्यक मोटाई से आधिक्य में लाइनिंग का क्रियान्वयन विशिष्टियों के प्रावधानों के विपरीत था एवं परिणामस्वरूप ₹ 4.82 करोड़⁵⁸ की अतिरिक्त लागत आई। विभाग नहर लाइनिंग की अधिक मोटाई को अपनाने के कारणों को बताने में विफल रहा।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि एक विशिष्ट प्रवाह या पानी की गहराई के लिए लाइनिंग की मोटाई निर्धारित न्यूनतम मोटाई से कम नहीं होनी चाहिए। यह स्थल परिस्थितियों एवं आवश्यकता के अनुसार अधिक हो सकती है। तदनुसार एम.पी. डब्ल्यू. एस. आर.पी. के लिए विशिष्टियां आरेखित की गई थी एवं निविदा दस्तावेज/अनुबंध के साथ संलग्न की गई थीं। तदनुसार कार्य को क्रियान्वित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आई.एस. कोड आई.एस.: 3872, 1993 की कंडिका 5.2 की विशिष्टियों के अनुसार 5 क्यूमेक से 50 क्यूमेक के प्रवाह वाली नहर के लिए पानी की गहराई 2.5 मीटर से कम होनी चाहिए एवं पूर्ण पानी की गहराई 2.5 मीटर तक होनी चाहिए, नहर लाइनिंग की मोटाई 60–75 मि.मी. होनी चाहिए। अधिक गहरी नहरों के लिए एवं बर्फीली परिस्थितियों में सतह की विकृति संभावित हो तो मोटाई को बढ़ाया जा सकता है। आई.एस. कोड के प्रावधानों के विपरीत विभाग ने इस विचलन के लिए किसी औचित्य के बिना सी.सी. लाइनिंग की उच्चतर मोटाई को अपनाया था। इसप्रकार, विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रावधान एवं सिंचाई विशिष्टियों के विरुद्ध प्राक्कलन एवं नहर लाइनिंग की उच्चतर मोटाई की 100 मि.मी. की मोटाई में क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप, ₹ 4.82 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

2.2.9.7 ब्लास्टिंग की अस्वीकार्य मद को सम्मिलित करने के कारण अतिरिक्त लागत

सी.सी. लाइनिंग में ब्लास्टिंग की मद को सम्मिलित करने के कारण ₹ 85.72 लाख की अतिरिक्त लागत आई।

जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किए गए यू.एस.आर. की मद 2512 के अनुसार, सी.सी. लाइनिंग की मद की दर सीमेंट कांक्रिट को सभी सामग्री यथा सीमेंट, रेत, गिट्टी एवं पानी को सम्मिलित करते हुए एक पूर्ण मद थी। इसके अतिरिक्त सी.सी. लाइनिंग की मद के लिए क्लबिंग में सामग्री यथा सीमेंट, गिट्टी एवं रेत की दुलाई के लिए लीड का सम्मिलित किया गया था जो कि भुगतान योग्य थीं।

जल संसाधन संभाग बालाघाट में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि विभाग ने सी.सी. लाइनिंग की सम्मिश्र मद के लिए दर की गणना, नहर तल, पार्श्व ढलानों में सी.सी. लाइनिंग, लीड एवं ब्लास्टिंग की दरों को मिलाते⁵⁹ हुए की थी। यद्यपि, सी.सी. लाइनिंग के लिए सामग्री को प्रदाय करने एवं लगाने का उत्तरदायित्व

⁵⁸ (₹ 3,645 प्रति घन मी * 52,919.19 घन मी = 19,28,90,447) का 25 प्रतिशत = ₹ 4,82,22,611

⁵⁹ कार्य के लिए क्लबिंग स्टेटमेंट, सम्मिश्र मद की दर की गणना हेतु यू.एस.आर. की विभिन्न मदों की दरों को सम्मिलित करते हुए तैयार किया जाता है।

ठेकेदार का था, पत्थर की ब्लास्टिंग के लिए अलग प्रावधान को सम्मिलित किया जाना स्वीकार्य नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 85.72 लाख की अतिरिक्त लागत आई जैसा कि विवरण तालिका 2.2.12 में दिया गया है।

तालिका 2.2.12: सी.सी. लाइनिंग के क्रियान्वयन में ब्लास्टिंग की अतिरिक्त लागत का विवरण

स. क्र.	कार्य का नाम	कार्यान्वित मात्रा घन मीटर में	ब्लास्टिंग के लिए अतिरिक्त दर ₹ प्रति घनमीटर	अतिरिक्त लागत ₹ में
1.	वैनगंगा मुख्य नहर चेन 0 से चेन 963	47,916.170	74.80	45,84,129
2.	मेंढकी शाखा नहर चेन 0 से चेन 1181, वारासिवनी शाखा नहर चेन 0 से चेन 330	31,827.292	74.80	23,80,681
3.	वैनगंगा मुख्य नहर चेन 963 से चेन 1356	18,043.375	74.80	16,08,026
कुल		97,786.837		85,72,836

(स्रोत: कार्यों के अंतिम देयक एवं क्लबिंग स्टेटमेंट)

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि वास्तव में यू.एस.आर. अध्याय 25—नहर लाइनिंग की टिप्पणी 3 (बी) स्पष्ट रूप से उल्लिखित करती है कि कांक्रीट मर्दों के लिए उपयोग की गई गिट्टी की आवश्यक मात्रा के लिए ब्लास्टिंग प्रभार मद 514 के अनुसार भुगतान योग्य थे। और आगे, सभी अध्यायों में जहां पर कांक्रीट कार्य सम्मिलित हैं टिप्पणी में यह उल्लेख किया गया है कि गिट्टी की ब्लास्टिंग की मद के प्रभार भुगतान योग्य हैं। इसलिए ब्लास्टिंग को सम्मिलित किया जाना अनुमत था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार को यू.एस.आर. के मर्दों में प्लेन सीमेंट कांक्रीट की संपूर्ण मद को प्रदाय करना था। आगे, सामग्री के पद में गिट्टी सम्मिलित था न कि पत्थर। कार्य के लिए उपयोग होने वाली समस्त सामग्री का ठेकेदार द्वारा प्रबन्ध किया जाना था एवं सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग कार्य के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सामग्री (गिट्टी, रेत, सीमेंट एवं पानी) की लागत यू.एस.आर. की लाइनिंग की सम्बद्ध मद में इकाई लागत में सम्मिलित थे। एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत नहर लाइनिंग के अन्य कार्यों में ब्लास्टिंग की मद अनुमत नहीं थी। इसप्रकार, ब्लास्टिंग की दर को त्रुटिपूर्ण रूप से मिलाए जाने के परिणामस्वरूप सी.सी. लाइनिंग के 97,787 घनमीटर के क्रियान्वयन के लिए ₹ 85.72 लाख की अतिरिक्त लागत आई।

2.2.9.8 कार्य के क्षेत्र से परे अतिरिक्त कार्यों का अनियमित सौंपा जाना

सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना ₹ 35.80 करोड़ के अतिरिक्त कार्यों को अनियमित रूप से सौंपा गया था।

म.प्र. निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 2.125 के अनुसार, उच्चतर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत रूपांकनों में उस प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। एन.सी.बी. की शर्त 34.1 के अनुसार, सफल निविदाकार स्वीकृति के पत्र की पावती के 21 दिवस के भीतर, निष्पादन प्रतिभूति के लिए नियोजक को ठेका मूल्य के पांच प्रतिशत के तुल्य राशि सौंपेगा। आगे, एन.सी.बी. की शर्त 38.2 के अनुसार, नियोजक यथा परियोजना निदेशक, पाइकू से पूर्व अनुमोदन को छोड़कर, यदि प्रारंभिक ठेका मूल्य 15 प्रतिशत से अधिक बढ़ता है तो अभियंता मात्रा में परिवर्तन से दरों को समायोजित नहीं करेगा।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि चंबल नहर प्रणाली के पुनर्गठन के लिए विभाग ने एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत तीन कार्य सौंपे, जैसा कि विवरण तालिका 2.2.13 में दिया गया है।

तालिका 2.2.13: अतिरिक्त कार्यों के सौंपे जाने के विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	संभाग	कार्य का नाम	ठेका राशि	सौंपा गया अतिरिक्त कार्य	अतिरिक्त कार्य का प्रतिशत	ठेकेदार से प्राप्त न की गई निष्पादन प्रतिभूति
1	ज.सं. संभाग गोहद	मौ शाखा नहर की बांयी टेल वितरिका कि.मी. 0 से कि.मी. 27.90	2,660.87	2232.36	83.90	90.90
2	ज.सं. संभाग मुरैना	33 आर/ अम्बाह शाखा नहर एवं इसकी माइनर सब माइनर का पुनरुद्धार	3,161.13	943.30	29.84	47.17
3	ज.सं. संभाग मुरैना	अम्बाह शाखा नहर आर.डी. कि. मी. 147.279 से कि.मी. 162.637 एवं अम्बाह शाखा नहर की 60 आर एवं 61 आर वितरिकाएं	1,240.43	404.10	32.58	20.01
कुल			7,062.43	3,579.76		158.08

(स्रोत: जल संसाधन संभागों के अभिलेख)

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, ₹ 31.66 करोड़ के सौंपे गए (मार्च 2015) अतिरिक्त कार्य ठेका राशि के 29.84 प्रतिशत से 68.32 प्रतिशत के मध्य तक थे। यद्यपि, अतिरिक्त कार्य 15 प्रतिशत से अधिक थे, परियोजना निदेशक पाइकू का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार, अतिरिक्त कार्यों के कारण व्यय अनियमित था। आगे, विभाग ने क्रियान्वयन एवं त्रुटि देयता अवधि के दौरान शासन के हित को सुरक्षित करने के लिए ठेकेदारों से ₹ 1.58 करोड़ की निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त नहीं की। इसके परिणामस्वरूप इस सीमा तक ठेकेदार को अदेय लाभ हुआ।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. एक समय बद्ध कार्यक्रम था जो 30 जून 2015 से पूर्व पूर्ण किए जाने के लिए नियत था एवं निविदाएं आमंत्रित करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं था, इसलिए समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए, ये कार्य उन्हीं ठेकेदारों को उनके विद्यमान कार्यों की अनुबंधित दरों पर सौंपे गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यों को नियत समय के भीतर पूर्ण करने के लिए कार्यों की आवश्यकताओं का आंकलन पहले से ही एस.एम.पी. में किया गया था। अतिरिक्त समय को अनुमत न किया जाकर अतिरिक्त कार्यों को सौंपा जाना भी अनियमित था एवं इसके परिणामस्वरूप निम्न विशिष्ट कार्य हुए थे जैसा कि कंडिका 2.2.10.3 में चर्चा की गई है। कार्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि ने ठेके के मूल्य एवं अधिकार क्षेत्र को अत्यधिक बदला था एवं नयी निविदा को आमंत्रित न किए जाने से पारदर्शिता एवं उत्तरदेयता मानदण्डों का उल्लंघन हुआ था।

2.2.9.9 कार्यों की असंतुलित मदों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा जमा

15 कार्यों में ₹ 27.49 करोड़ की अतिरिक्त सुरक्षा जमा प्राप्त नहीं की गई थी।

ठेके के एन.सी.बी. दस्तावेज खण्ड-1 की शर्त 29.5 एवं 34.1 तथा ठेके की शर्तें खण्ड-3 की शर्त 52 के अनुसार यदि सफल निविदाकार की निविदा ठेके के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले कार्य की लागत, प्राक्कलन के संबंध में अत्यधिक रूप से असंतुलित है तो सफल निविदाकार चूक की दशा में नियोजक को वित्तीय हानि से बचाने के लिए, स्वीकृति के पत्र की प्राप्ति के 21 दिवसों के भीतर पर्याप्त स्तर तक अतिरिक्त सुरक्षा जमा को जमा करेगा।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ (अक्टूबर 2015 से जुलाई 2016) कि सात जल संसाधन संभागों⁶⁰ के 15 कार्यों में (परिशिष्ट 2.28) विभाग ने अनुबंध के पदों के अनुसार ₹ 27.49 करोड़ की राशि की अतिरिक्त सुरक्षा जमा प्राप्त नहीं की थी। विभाग द्वारा भुगतान में विलंब के लिए 12 प्रतिशत की दर से ब्याज के भुगतान के लिए एन.सी.बी.के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ए.एस.डी. पर ब्याज की गणना ₹ 14.12 करोड़ हुई। इसप्रकार ए.एस.डी. को प्राप्त करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 41.61 करोड़ की अदेय सहायता हुई।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि विश्व बैंक दिशा निर्देशों के अंतर्गत मानक प्रथा के अनुसार पांच प्रतिशत तक की असंतुलित निविदाएं संपूर्ण ठेका राशि के विरुद्ध पांच प्रतिशत सुरक्षा राशि के अतिरिक्त पांच प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति से सुरक्षित की गई थीं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक चल देयक से छह प्रतिशत अवरोधन राशि भी काटी गई थी। आगे यह बताया गया कि जब भी यह अनुभव किया गया कि विभाग को शासन के हित/जोखिम से सुरक्षित रखना है तो ठेकेदार से अतिरिक्त सुरक्षा जमा प्राप्त की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यपालन यंत्रि ने अतिरिक्त सुरक्षा जमा की कटौती के अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया। यदि ठेकेदार को यह लाभ प्रदान किया गया था, तो दरों के लिए समझौता किया जा सकता था।

2.2.9.10 कार्यों के क्रियान्वयन में विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति राशियां

कार्यों के क्रियान्वयन में विलंब के लिए ₹ 16.11 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशियां नहीं/कम वसूल की गई थीं।

ठेकों की शर्तों के अनुसार, ठेकेदारों के भाग पर कार्यों के क्रियान्वयन में विलम्ब के लिए अंतिम ठेका मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत के अध्ययधीन कान्ट्रेक्ट डाटा⁶¹ में उल्लेख की गई दरों के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि को वसूल किया जाना आवश्यक था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि पांच जल संसाधन संभागों⁶² के अंतर्गत नौ कार्यों में ठेकेदारों के भाग पर 15 माह से 48 माह के विलम्ब थे एवं ठेकेदार एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. की पूर्णता तिथि (जून 2015) तक कार्यों को पूर्ण करने में विफल रहे थे। यद्यपि, विभाग ने अनुबंध में उद्धृत दर पर क्षतिपूर्ति राशि वसूल नहीं की एवं वसूली योग्य ₹ 17.10 करोड़ के विरुद्ध तीन कार्यों के प्रकरण में ₹ 99.90 लाख की कटौती की थी। इसके परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि की ₹ 16.11 करोड़ की कम वसूली हुई थी, जैसा कि **परिशिष्ट 2.29** में विवरण दिया गया है।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि अनुबंध के अनुसार, मुख्य अभियंता नियोजक थे एवं क्षतिपूर्ति घटना को निर्धारित करते थे। एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कार्य, जुलाई-सितम्बर वर्षा ऋतु होने से एवं अक्टूबर-मार्च में रबी मौसम के लिए नहर का उपयोग किए जाने से, अप्रैल-जून की सीमित कार्य अवधि के भीतर क्रियान्वित किए गए थे। इस बाध्यता के कारण नियोजक ने माइलस्टोन को पुनरीक्षित किया एवं इसलिए क्षतिपूर्ति राशि अनुमत्य नहीं थी। आगे यह बताया गया कि भिण्ड मुख्य नहर चेन 902 से चेन 2565 एवं इसकी वितरिकाओं एवं माइनरों का कार्य विशेष मरम्मत के अंतर्गत किया गया था, जिसकी पूर्णता अवधि छह माह थी एवं अनुबंध की शर्त के अंतर्गत समय वृद्धि प्रदान की गई थी। चंबल दायीं मुख्य नहर (सी.आर.एम.सी.) कि.मी. 0 से कि.मी. 60 में, क्षतिपूर्ति राशि आरोपित की गई थी किन्तु प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में निर्णय हेतु लंबित था। 6 एल से 15 एल के कार्य में समय वृद्धि प्रदान की

⁶⁰ जौरा, मुरैना, रायसेन, राजगढ़, सागर, शाजापुर एवं श्योपुर

⁶¹ कान्ट्रेक्ट डाटा, अनुबंध के साथ संलग्न होता है जिसमें अनुबंध में दी गई विभिन्न शर्तों में प्रयुक्त आंकड़ों को दर्शाया जाता है।

⁶² बालाघाट, भिण्ड, रायसेन, सतना एवं श्योपुर

गई थी एवं नियोजक द्वारा माइल स्टोन पुनरीक्षित किए गए थे इसलिए क्षतिपूर्ति राशि अनुमत्य नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य के क्रियान्वयन के लिए अवधि को वर्षाकाल सहित अनुमत किया गया था। आगे, माइल स्टोन के पुनरीक्षण के प्रकरण में विलंब के लिए शास्ति के आरोपण के प्रावधान में छूट देने के लिए अनुबंध में कोई प्रावधान नहीं था।

2.2.9.11 मिनरल के उपयोग के विरुद्ध रायल्टी प्रभारों का संग्रहण

खनिज विभाग के लघु खनिज अधिनियम के अनुसार, कार्य में लघु खनिज के उपयोग के लिए ठेकेदार के देयक से निर्धारित दर पर रायल्टी प्रभारों की कटौती की जाएगी। खनिज विभाग द्वारा जारी (मार्च 2013) संशोधन के अनुसार निर्माण कार्य में संलग्न खदान अनुमति धारक/ ठेकेदार, निर्माण कार्यों में उपयोग किए गए खनिज के लिए रायल्टी के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए खनिज देयता न होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। आगे, खनिज विभाग ने पुनः ठेकेदारों के अंतिम देयक का भुगतान करने से पूर्व लघु खनिज के उपयोग के लिए कलेक्टर से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अनुबंधों में शर्त को सम्मिलित करने हेतु निर्देश जारी किए (दिसम्बर 2006)।

चार जल संसाधन संभागों⁶³ के अंतर्गत आठ कार्यों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि विभाग ने अनुबंधों में ठेकेदारों से अंतिम देयकों के भुगतान से पहले अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विशेष शर्त 45.1 (सी) सम्मिलित की थी। यद्यपि, कार्यों में लघु खनिज के उपयोग के लिए ठेकेदारों ने न तो खनिज देयता न होने के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए, न ही विभाग ने ठेकेदारों के अंतिम देयकों के भुगतान को रोका। आगे, विभाग ने ₹ 6.23 करोड़ की राशि के रायल्टी प्रभारों (परिशिष्ट 2.30) के लिए कलेक्टर से अदेयता प्रमाण पत्र को सुनिश्चित किए बिना ₹ 4.16 करोड़ की सावधि जमा रसीदों (एफ.डी.आर.) को रखते हुए ठेकेदारों के अंतिम देयकों का अनियमित रूप से भुगतान कर दिया।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि निविदा दस्तावेज/अनुबंध में खनिज रायल्टी प्रभारों की वसूली/कटौती के बारे में कोई प्रावधान नहीं था। निर्माण कार्य के लिए रायल्टी प्रभारों का संग्रहण करना खनिज विभाग की जिम्मेदारी है। यद्यपि, विभाग ने अतिरिक्त सावधानी की उपाय के रूप में ठेकेदारों से सावधि जमा रसीदों के रूप में राशि को रखा था ताकि ठेकेदारों से रायल्टी वसूल करने की आवश्यकता पड़ने पर इसे उपयोग किया जाए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यों के अनुबंध में शर्त 45.1 (सी) को प्रावधानित किया गया था। विभाग को इसलिए कलेक्टर से अदेयता प्रमाण पत्र के अभाव में अंतिम देयकों का भुगतान रोकना आवश्यक था। विभाग में सामग्री के क्रय के विरुद्ध रायल्टी प्रभारों के संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए उचित तंत्र होना चाहिए। आगे, ठेकेदारों से वसूली योग्य रायल्टी के विरुद्ध सावधि जमा रसीदों को प्राप्त करना लघु खनिज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था।

2.2.9.12 कार्यों के लिए बीमा कवरेज

ठेके की शर्त में धारा 13 के अनुसार, ठेकेदार को ठेके में विभिन्न जोखिमों को कवर करने हेतु निर्धारित राशियों के लिए, ठेके के प्रारम्भ दिनांक से त्रुटि देयता⁶⁴ अवधि के अंत तक बीमा कवर प्रदान करना आवश्यक था।

⁶³ भिण्ड, गोहद, मुरैना एवं सबलगढ़

⁶⁴ त्रुटि दायित्व अवधि, कार्य पूर्ण होने की तिथि से एक वर्ष की वह अवधि है जिसमें ठेकेदार, इस अवधि के दौरान नियोजक द्वारा अवलोकित की गई समस्त त्रुटियों को उसकी लागत पर सुधारेगा।

एक वृहद, एक मध्यम एवं तीन लघु सिंचाई योजनाओं के नमूना जांच किए गए अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 29 अनुबंधों में संविदागत आवश्यकता होने के बावजूद भी 12 जल संसाधन संभागों⁶⁵ में जिनका विवरण परिशिष्ट 2.31 में दिया गया है, विभाग ने कार्यों को बीमित नहीं किया था। विभाग ने स्वयं के द्वारा कार्यों को बीमित कराने के लिए बीमा प्रीमियम के लिए ठेकेदारों से ₹ 4.79 करोड़ की राशि वसूल नहीं की।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि विभाग में उपलब्ध ठेकेदार की राशियों से बीमा कवरेज के लिए राशि को वसूल करने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे थे।

2.2.9.13 बढ़ी हुई मापों के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान

वास्तव में क्रियान्वित न की गई मात्राओं के लिए ठेकेदार को ₹ 13.10 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

म.प्र. निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों के लिए माप पुस्तिकाएं (एम.बी.) संधारित की जाती हैं। ठेकेदारों को चलित देयक एवं अंतिम देयक एम.बी. में अभिलिखित किए गए वास्तविक मापों के आधार पर भुगतान किए जाते हैं।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि चम्बल दांयी मुख्य नहर कि.मी. 0 से कि.मी. 60 का कार्य नवम्बर 2007 में प्रारम्भ हुआ एवं जून 2013 में पूर्ण हुआ। ठेकेदार को ₹ 155.77 करोड़ के कुल मूल्य का 61वां देयक पूर्व देयक की भांति भुगतान किया गया (जून 2013)। ₹ 142.67 करोड़ के भुगतान के लिए अंतिम देयक तैयार किया जिसे जुलाई 2016 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था। इससे इंगित हुआ कि 61वें चल देयक में ठेकेदार को भुगतान किए गए कार्य की मदों की मात्राएं अंतिम रूप से मापी गई मात्राओं से अधिक थीं। भुगतान की गई अधिक मात्राओं का मूल्य ₹ 13.10 करोड़ था। ठेकेदार से देय राशि को वसूल करने का कोई स्रोत नहीं था।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि मुख्य अभियंता, यमुना कछार ग्वालियर ने प्रतिवेदित किया कि त्रुटि देयता अवधि में ठेकेदार द्वारा सुधार कार्य का अनुपालन न करने के कारण ₹ 13.13 करोड़ की राशि कम की गई थी। प्रकरण तथापि न्यायाधिकरण के कोर्ट के अंतर्गत निर्णय के अधीन था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सुधार कार्य को किए जाने में विफलता के लिए कटौती को देयकों में अलग से दर्शाया जाना था एवं यह अंतिम देयक में किए गए कुल कार्य को प्रभावित नहीं करता। अंतिम देयक में किए गए कार्य का कुल मूल्य पहले के देयक से कम था। इस प्रकार विभाग ने क्रियान्वित न की गई मात्राओं के लिए ₹ 13.10 करोड़ का अधिक भुगतान किया था।

2.2.9.14 श्रींकेज एलाउन्स की कटौती न किए जाने के कारण अधिक भुगतान

जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किए गए यू.एस.आर. 2009 के अध्याय 4 की सामान्य टिप्पणी के अनुसार, लाइट रोलिंग⁶⁶ से दबाई एवं जल सिंचित किए गए मिट्टी कार्य के लिए 10 प्रतिशत अनुच्छेदीय मापों की कटौती किया जाना था। पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण कार्यों के प्राक्कलनों में मिट्टी कार्य के लाइट रोलिंग का प्रावधान सम्मिलित किया गया था।

⁶⁵ भिण्ड, देवास, गोहद, जौरा, मुरैना, रायसेन, राजगढ़, सबलगढ़, सागर, सतना, शाजापुर एवं श्योपुर

⁶⁶ नान-पावर्ड रोलर/ हैण्ड रेमिंग द्वारा कम्पेक्शन

श्रीकेज एलाउन्स की कटौती न किए जाने के कारण ठेकेदारों को ₹ 1.52 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि गोहद जल संसाधन संभाग में पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण के पांच कार्यों के प्रकरण में विभाग ने 25,94,278.77 घन मीटर का मिट्टी कार्य क्रियान्वित किया जिसके लिए 10 प्रतिशत की दर से अनुच्छेदीय माप से कटौती नहीं की गई थी, यद्यपि कम्पेक्शन को लाइट रोलिंग से क्रियान्वित किया गया था। मिट्टी कार्य के जांच परिणामों से भी 90 प्रतिशत का अधिकतम शुष्क घनत्व इंगित हुआ। श्रीकेज एलाउन्स की कटौती में विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 1.52 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ था जैसा कि **परिशिष्ट 2.32** में विवरण दिया गया है।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि ठेकेदारों को कोई अधिक भुगतान नहीं हुआ था क्योंकि मिट्टी कार्य विद्यमान नहर खण्डों पर किया गया था। यह एक नया कार्य नहीं था। यह भी बताया गया कि मिट्टी कार्य में श्रीकेज उंचाई को जोड़ा गया था एवं श्रीकेज के लिए कोई कटौती नहीं की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उल्लिखित किए गए पुनरुद्धार के कार्य में नया मिट्टी कार्य सम्मिलित था जिसके लिए श्रीकेज एलाउन्स की कटौती की जानी थी। इसलिए, विभाग को यू.एस.आर. के प्रावधान के अनुसार मापों में से 10 प्रतिशत मात्रा की कटौती करना थी, जो नहीं किया गया। ₹ 1.52 करोड़ की राशि इस प्रकार ठेकेदार से वसूली योग्य थी।

2.2.10 निगरानी एवं गुणवत्ता नियंत्रण

पी.आई.पी. के अनुसार, परियोजना उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी निगरानी प्रणाली एवं बेंचमार्क परियोजना के प्रारंभिक चरण में क्रियान्वित किया जाने चाहिए। समस्त निर्माण कार्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदाकरण के माध्यम से चयनित प्रतिष्ठित कम्पनी द्वारा पक्षतर पर्यवेक्षण के अध्यक्षीन होंगे। कार्यों के क्रियान्वयन में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। परियोजना क्रियान्वयन के वास्तविक प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए पुनरुद्धार किए गए सिंचित क्षेत्र के निष्पादन संकेतक को एम. पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के पुनर्गठन अभिलेख में सम्मिलित किया गया था।

नीचे चर्चा किए गए निगरानी एवं गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित मुद्दे अवलोकित किए गए:

2.2.10.1 राज्य जल दर/अधिकार नियामक आयोग का गठन

परियोजना मूल्य निर्धारण दस्तावेज (पी.ए.डी.) के अनुसार जल क्षेत्र लागत का परिवीक्षण एवं समीक्षा करने तथा युक्तियुक्त एवं थोक जल उपयोगकर्ता फीस हेतु दिसम्बर 2005 तक यथा एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के प्रारंभिक चरण में क्षेत्र संस्थानों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने में समर्थ करने के लिए एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के घटक ए के अंतर्गत एक केन्द्रीकृत स्वायत्त एजेंसी राज्य जल दर/ अधिकार नियामक आयोग (स्वाट्रेक) की स्थापना किया जाना था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि विश्व बैंक ने "इन्स्टीट्यूशंस एवं इन्स्ट्रुमेंट्स" घटक के अंतर्गत धीमे जल क्षेत्र सुधारों के लिए बाध्यता विश्लेषण संचालित किया एवं प्रतिवेदित रूप से उल्लेख किया कि "इन्स्टीट्यूशंस एवं इन्स्ट्रुमेंट्स" को ठीक प्रकार से समझा नहीं गया था एवं प्रस्तावित किया कि केन्द्रीकृत स्वायत्त एजेंसी स्वाट्रेक एवं राज्य जल संसाधन डाटा एवं विश्लेषण केन्द्र (स्वारडेक) के अधिदेश को एक संस्थान में समग्र अधिदेश के साथ विलय किया जाना था। यद्यपि, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. की समाप्ति (जून 2015) के बाद भी दिसम्बर 2015 तक ऐसे नियामक प्राधिकरण की भूमिका पर चर्चा जारी थी। इस प्रकार, क्षेत्र संस्थानों को वित्तीय रूप से आत्म निर्भर बनाने हेतु समर्थ करने का उद्देश्य विफल हुआ था।

शासन ने बताया कि (नवम्बर 2016) कि विधायिका की सम्प्रभुता में यह घटक उल्लंघन पाया गया एवं इसलिए जब परियोजना का पुनर्गठन किया गया, विश्व बैंक ने परियोजना से इस घटक को छोड़ दिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जल लागत एवं राजस्व के निगरानी के लिए एक केन्द्रीकृत स्वायत्त एजेंसी को स्थापित किया जाना था, जो नहीं किया जा सका।

2.2.10.2 कार्यों का पक्षेतर पर्यवेक्षण

समस्त निर्माण कार्य, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदाकरण के माध्यम से चयनित एक प्रतिष्ठित कंपनी द्वारा पक्षेतर पर्यवेक्षण के अध्यक्षीन होंगे।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि विभाग को जुलाई 2005 तक एम. पी. डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों के पक्षेतर पर्यवेक्षण/ तकनीकी परीक्षण के लिए एन.सी.बी. के माध्यम से सलाहकार सेवाओं का नियोजन करना था, जो नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने तथ्यों से सहमत होते हुए बताया (अक्टूबर 2016) कि विभाग ने कार्य के लिए किसी सलाहकार को काम में नहीं लगाया था एवं पर्यवेक्षण का कार्य विभागीय रूप से संचालित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पी.आई.पी. में स्वतंत्र गुणवत्ता पर्यवेक्षण/आश्वासन परिकल्पित था, जिसका पालन नहीं किया गया था।

2.2.10.3 कार्यों के क्रियान्वयन में गुणवत्ता नियंत्रण

ठेका अनुबंध (अध्याय-3) की शर्त 14 प्रावधानित करती है कि संबद्ध दूरियों में बिछाई कांक्रीट लाइनिंग की मोटाई, घनत्व, गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए कोर टेस्ट⁶⁷ संचालित किया जाना अनिवार्य था। कोर को कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए भी टेस्ट किया जाना था। यदि कोर की औसत स्ट्रेंथ, क्यूब स्ट्रेंथ के कम से कम 85 प्रतिशत के तुल्य होती है तो कोर टेस्ट को स्वीकार्य समझा जाएगा। कांक्रीट लाइनिंग का अंतिम भुगतान, अभियंता को स्वीकार्य संतोषजनक कोर टेस्ट परिणामों के पश्चात किया जाएगा। आगे, शर्त 16 के अनुसार, चलित भुगतान स्वीकृत इकाई दर के 80 प्रतिशत तक किया जाना था एवं 100 प्रतिशत दर का अंतिम भुगतान, कोर के टेस्ट परिणामों को प्राप्त होने के पश्चात किया जाना था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्न प्रकट हुआ:

कार्यों के कोर टेस्ट सुनिश्चित नहीं किए गए थे एवं ठेकेदारों को अदेय वित्तीय सहायता दी गई थी।

- आठ संभागों⁶⁸ के अंतर्गत 12 कार्यों के प्रकरण में संबंधित दूरियों में बिछाई गई कांक्रीट लाइनिंग की गुणवत्ता, घनत्व, मोटाई एवं कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य टेस्ट संचालित नहीं किए गए थे। यद्यपि, अनुबंधित दर के 80 प्रतिशत की दर से भुगतान करने के स्थान पर ठेकेदारों को सी.सी. लाइनिंग की पूर्ण दरों पर भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 20.47 करोड़ की अदेय वित्तीय सहायता हुई, जैसा कि परिशिष्ट 2.33 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त इन कार्यों की गुणवत्ता की अभिपुष्टि नहीं हो सकी।

- पांच जल संसाधन संभागों⁶⁹ के नौ कार्यों के प्रकरण में, कार्यों के लिए सी.सी. लाइनिंग हेतु मिक्स डिजाइन तैयार किए गए थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि क्यूब टेस्ट के कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के परिणाम एवं कोर टेस्ट के कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के परिणाम मिक्स डिजाइन की आवश्यक स्ट्रेंथ से मेल नहीं खाते थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा

⁶⁷ कोर टेस्ट पद का उपयोग, सी.सी. लाइनिंग के जांच के लिए, 28 दिनों के पश्चात लाइनिंग के कार्य के टुकड़ों को लेकर, लाइनिंग की मोटाई, घनत्व, स्ट्रेंथ एवं गुणवत्ता की जांच के लिए किया जाता है।

⁶⁸ बालाघाट, देवास, गोहद, रायसेन, राजगढ़, सबलगढ़, सतना एवं शाजापुर

⁶⁹ बालाघाट, गोहद, जौरा, सबलगढ़ एवं श्योपुर

में आगे प्रकट हुआ कि कोर टेस्ट की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, क्यूब टेस्ट की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ से अधिक थी जो औसत तुल्य स्ट्रेंथ के प्रावधानों के विपरीत था एवं जो संभव नहीं था। इससे टेस्ट परिणामों की वैधता दूषित हुई। आगे, सी.सी. लाइनिंग की मद का ठेकेदारों को पूर्ण राशि का भुगतान किया गया था। टेस्ट परिणामों के मिक्स डिजाइन के अनुसार नहीं होने के कारण सी.सी. लाइनिंग की राशि का 20 प्रतिशत रोकने में संभागों की विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 37.17 करोड़ (परिशिष्ट 2.34) की अदेय वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक टेस्ट के लिए विभाग में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं। सी.सी. लाइनिंग कार्यों के लिए क्यूब टेस्ट एवं कोर टेस्ट, जब भी आवश्यक थे, विभागीय प्रयोगशालाओं में निष्पादित किए गए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह कोर टेस्ट को निष्पादित किए बिना एवं कोर टेस्ट के स्वीकार्य मापदण्डों को सुनिश्चित किए बिना सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग के विरुद्ध पूर्ण भुगतान की छूट के लिए कारण की व्याख्या नहीं करता है।

2.2.10.4 चंबल नहर प्रणाली में सिंचाई क्षमता को अधिक प्रतिवेदित करना

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. राज्य के छह नदी कछारों में सिंचाई परिसंपत्तियों का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण करने हेतु उद्देश्यित था। तदनुसार, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के पुनर्गठन अभिलेख में पुनरुद्धार किए गए सिंचाई क्षेत्र के निष्पादन संकेतक सम्मिलित किए गए थे। प्रस्तावित रबी फसलों के लिए पानी की आवश्यकता को 170 हेक्टेयर प्रति मिलियन क्यूबिक मीटर (एम.सी.एम.) प्राक्कलित किया गया था एवं भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर जिलों में चंबल नहर प्रणाली की एस.एम.पी. में तदनुसार प्रावधानित किया गया था।

चंबल नहर प्रणाली के प्रकरण में सिंचाई क्षमता को अधिक प्रतिवेदित किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि विभाग ने पानी की उपलब्धता के आधार पर चंबल नहर प्रणाली की एस.एम.पी. में चिन्हित 2.73 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध सिंध कछार में 4.42 लाख हेक्टेयर के कमान को सृजित करने के लिए कार्यों को प्रतिवेदित किया। विभाग ने प्रतिवेदन के दौरान केवल नहर नेटवर्क के माध्यम से सिंचाई कवरेज के स्थान पर चंबल नहर प्रणाली के माध्यम से सिंचित कमान क्षेत्र में समस्त स्रोतों से सिंचाई को सम्मिलित करते हुए सिंचाई उपलब्धि को विचारित किया। वर्षवार पानी की उपलब्धता⁷⁰, प्रतिवेदित सिंचाई, उपलब्ध पानी से मापदण्डों के अनुसार सिंचाई एवं अधिक प्रतिवेदन करना तालिका 2.2.14 में इंगित किया गया है।

तालिका 2.2.14 पानी की उपलब्धता एवं प्रतिवेदित सिंचाई के विवरण


वर्ष	पानी का कुल आपूर्ति (एम.सी.एम. में)	प्रतिवेदित की गई कुल सिंचाई (हेक्टेयर में)	उपलब्ध पानी के साथ मापदण्ड के अनुसार सिंचाई	सिंचाई का अधिक प्रतिवेदन किया जाना (हेक्टेयर)
2010-2011	451.46	1,12,534	76,748	35,786
2011-2012	1,045.97	2,58,161	1,77,815	80,346
2012-2013	1,080.72	2,96,047	1,83,722	1,12,325
2013-2014	883.47	3,08,453	1,50,190	1,58,263
2014-2015	1,073.91	3,23,784	1,82,565	1,41,219
2015-2016	1,334.36	3,65,327	2,26,841	1,38,486

(स्रोत : जल संसाधन संभागों के अभिलेख)

⁷⁰ पार्वती एक्वाडक्ट, जो राज्य में चंबल नहर प्रणाली में जल की आपूर्ति करता है, पर जल की उपलब्धता।

जैसा कि तालिका 2.2.14 में इंगित किया गया है, चंबल नहर प्रणाली में 2010-16 के दौरान उपलब्ध पानी से सिंचाई क्षेत्र (आई.ए.) का अधिक प्रतिवेदन 35786 हेक्टेयर से 1,58,263 हेक्टेयर तक था। यद्यपि वर्ष 2013-14 में विभाग ने आई.ए. का 105 प्रतिशत अधिक प्रतिवेदन किया था जबकि विभाग ने जैसा कि कंडिका 2.2.7.3 में उल्लेख किया गया है पानी के उपयोग को इष्टतम करने के लिए माइक्रो डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क के कार्यों को क्रियान्वित नहीं किया था। संभावित सिंचाई, चंबल नहर प्रणाली से प्रतिवेदित सिंचाई एवं चंबल नहर प्रणाली से सिंचाई किए जा रहे भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर जिलों में मंडी आवक का विवरण चार्ट 2.2.3 में दिया गया है।

चार्ट 2.2.3



उपरोक्त चार्ट इंगित करता है कि उपलब्ध पानी से संभव सिंचाई का रेखा प्रतिरूप, मंडी आवकों के रेखा प्रतिरूप के समरूप था। इसप्रकार, मंडी आवक, उपलब्ध पानी से मेल खाते थे न कि प्रतिवेदित सिंचाई के साथ। इससे इंगित हुआ कि विभाग ने सिंचाई उपलब्धियों को प्रतिवेदित करते समय अन्य स्रोतों (ट्यूब वेल, कुएं, नदी से साइफनिंग इत्यादि) से सिंचित क्षेत्र को हिसाब में लिया था। इसके परिणामस्वरूप विभाग ने सिंचित क्षेत्र का निष्पादन संकेतक नहीं परखा एवं चंबल नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं पुनर्गठन का वास्तविक प्रभाव मापने में विफल रहा।

शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि पानी की आवश्यकता फसल प्रतिरूप पर निर्भर करती है। क्षेत्र में अधिकतर फसल प्रतिरूप तिलहन एवं सरसों के उत्पादन का था, जिसके लिए पानी की आवश्यकता गेहूं से कम थी। इसलिए कमान क्षेत्र में उपलब्धि ठीक थी। प्रणाली की एस.एम.पी. 170 हेक्टेयर प्रति एम.सी.एम. के अनुभव सिद्ध नियम पर आधारित थी, जो सही नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चंबल नहर प्रणाली के क्षेत्र में गेहूं मुख्य रबी फसल थी एवं चंबल नहर प्रणाली में फसल पद्धति के साथ साथ फसल विविधीकरण में कोई बदलाव अवलोकित नहीं किया गया था। रबी की 170 हेक्टेयर प्रति एम.सी.एम. पानी की आवश्यकता को विचारित करते हुए एस.एम.पी. तैयार की गई थी जो कि प्रमुख अभियंता द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित था। एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत वास्तविक सृजित सिंचाई क्षमता की गणना एस.एम.पी. में अपनाए गए समान आधार पर की जानी चाहिए थी ताकि योजना के प्रभाव को ठीक ढंग से मापा जाए।

2.2.10.5 एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत कार्यों के क्रियान्वयन पर अपर्याप्त निगरानी

पी.ए.डी. के अनुसार, दिन प्रतिदिन परियोजना क्रियान्वयन, समन्वय का कार्य पाइकू के अधीन था जिसे परियोजना समन्वय, क्रय प्रबंधन, वित्तीय नियंत्रण एवं प्रतिवेदन तथा निगरानी और मूल्यांकन करना होगा। परियोजना में परिकल्पित पर्याप्त गुणवत्ता

नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक योजना के तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक एवं वित्तीय पहलुओं से पाइकू को अवगत होना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि योजनाओं के चयन में पाइकू द्वारा सुदृढ़ आयोजना के अभाव एवं विलंबित क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कार्यक्षेत्र से अत्यधिक सिंचाई योजनाओं को छोड़ा गया। विभाग ने एक और वैनगंगा कछार को मार्च 2008 में इस परियोजना में जोड़ा। यद्यपि वैनगंगा योजना की एस.एम.पी. विश्व बैंक को मार्च 2013 में यथा एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. की प्रारंभिक पूर्ण करने की तिथि (मार्च 2011) के दो वर्षों के बाद प्रस्तुत की गई थी।

लेखापरीक्षा के दौरान, प्राक्कलन, निविदाकरण में विसंगतियां एवं टेका शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अतिरिक्त/अधिक भुगतान/अदेय लाभ/अस्वीकार्य भुगतान इत्यादि अवलोकित किए गए थे। एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. सिंचाई परिसंपत्तियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए लाइन विभागों के साथ अपर्याप्त एकीकरण के कारण सारभूत फसल विविधीकरण को नहीं दर्शा सका जिसके चलते परियोजना का समग्र उद्देश्य एवं निष्पादन प्रभावित हुआ। इससे पाइकू के स्तर पर कार्यों के क्रियान्वयन में आंतरिक नियंत्रण में कमी एवं अपर्याप्त परीक्षण इंगित हुआ।

2.2.11 निष्कर्ष

एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. को जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू.आर.डी.) द्वारा विश्व बैंक की सहायता से छह कछारों में सिंचाई परिसंपत्तियों के पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण तथा लाइन विभागों द्वारा विभिन्न गतिविधियों को आरंभ करने हेतु प्रारंभ किया गया था। आयोजना में बार-बार होने वाले परिवर्तनों के कारण, परियोजना अवधि 2004-15 के दौरान ₹ 2,498 करोड़ का व्यय करने के बाद भी परियोजना के कार्यान्वयन में उद्देश्यित सभी नदी कछारों में वृहद, मध्यम एवं लघु योजनाओं के पुनरुद्धार के माध्यम से संतुलित एवं संधारणीय विकास के लक्ष्य को नहीं पाया जा सका।

परियोजना, इन पांच नदी कछारों की 6.18 लाख हेक्टेयर के कुल कृषि योग्य कमान क्षेत्र की 654 विद्यमान सिंचाई योजनाओं का पुनरुद्धार एवं नवीनीकरण करने हेतु उद्देश्यित थी। परियोजना के धीमे निष्पादन के परिणामस्वरूप, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कार्यक्षेत्र को जून 2012 में पुनर्गठित किया गया एवं इसके कार्यक्षेत्र से 362 सिंचाई योजनाओं को छोड़ दिया गया। जल संसाधन विभाग शेष 292 योजनाओं में से परियोजना के अंत तक 228 सिंचाई योजनाओं को पुनरुद्धार कर सका।

विभाग ने 2012-14 के दौरान एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के कुल व्यय का 24 प्रतिशत चंबल नहर प्रणाली के क्रियान्वयन पर व्यय किया। अत्यधिक बल दिए जाने के कारण सिंचाई योजनाओं में कछार वार असंतुलन हुआ एवं इसके साथ आधुनिकीकरण आयोजना के कार्यान्वयन में विलंब के कारण परियोजना से 362 लघु योजनाओं का अपवर्जन हुआ। सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग, जो कि क्रियान्वयन के लिए आसान थी, 2012-14 के दौरान चंबल नहर प्रणाली पर होने वाले व्यय का 94 प्रतिशत भाग थी। इसके कारण छोड़ी गई योजनाओं के परिकल्पित हितग्राहियों के कृषि स्तर की आर्थिकी पर भी प्रभाव पड़ा।

परियोजना कार्यान्वयन योजना (पी.आई.पी.) में लाईन विभागों के लिए ₹ 144.61 करोड़ के प्राक्कलित प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 115.04 करोड़ था। यद्यपि, लाईन विभागों के कमजोर एकीकरण, कृषकों को सतत जल प्रदाय के अभाव एवं जल उपभोक्ता संस्थाओं को प्रशिक्षण की अपर्याप्तता ने फसल विविधता को प्रभावित किया।

कृषि सघनीकरण एवं विविधीकरण, एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र की उपलब्धि में वृद्धि के अनुरूप नहीं था। पी.आई.पी. में कृषि सघनीकरण के लिए चना, अरहर एवं सरसों के बुआई क्षेत्र के प्रभाव को एक संकेतक के रूप में लिया गया था।

लेखापरीक्षा संविधा में पता चला कि 2011-12 की तुलना में 2014-15 के दौरान चने एवं अरहर के बुआई क्षेत्र में क्रमशः 20 एवं 35 प्रतिशत की कमी हुई थी। आगे, सरसों का बुआई क्षेत्र 2012-13 की तुलना में 2014-15 में 19 प्रतिशत से कम हुआ था। फलों, सब्जियों एवं मसालों के पौधारोपण का क्षेत्रफल, पी.आई.पी में परिकल्पित सिंचित क्षेत्रफल के 21 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध, 2.90 प्रतिशत से 7.31 प्रतिशत तक कम रहा एवं यह नौ प्रतिशत के राज्य औसत से भी कम था।

तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय मुख्य अभियंता द्वारा एन.सी.बी. के संलग्न विशिष्टियों के प्रावधान अनदेखे किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी कार्य की ट्रिमिंग एवं नहरों की सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग के कार्यों में ₹ 65.18 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ, इसके अतिरिक्त कार्यों का गुणवत्ता नियंत्रण अपर्याप्त था।

कार्यपालन यंत्रियों द्वारा अनुबंधों के प्रावधानों का अनुसरण सुनिश्चित नहीं किया गया इसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त सुरक्षा जमा, क्षतिपूरक वसूलियों, रायल्टी प्रभारों एवं कार्यों के बीमा कवरेज पर ठेकेदारों को ₹ 68.74 करोड़ के अदेय वित्तीय लाभ हुए थे।

दरों की अनुसूची के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था, यथा गिट्टी की त्रुटिपूर्ण लीड, मिट्टी भराई की त्रुटिपूर्ण दर एवं ब्लास्टिंग की अस्वीकार्य मद को सम्मिलित किया जाना तथा श्रीकेज एलाउन्स पर अधिक भुगतान के कारण ₹ 24.02 करोड़ की अतिरिक्त लागत के दृष्टांत अवलोकित किए गए थे।

परियोजना का गुणवत्ता नियंत्रण एवं निगरानी अपर्याप्त था जैसा कि कार्यों के कोर परीक्षण सुनिश्चित नहीं करने, सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग के निम्न विशिष्टि कार्य क्रियान्वित करने से ठेकेदारों को अदेय लाभ को अवलोकित किया गया था।

2.2.12 अनुशंसाएं

शासन को प्रतिबद्धता प्रभारों की देयता का टालने के लिए उपलब्ध ऋण के समय पर उपयोग के लिए ठोस आयोजना एवं समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया बनाना चाहिए।

विभाग लेखापरीक्षा द्वारा सुझाई गई अनुशंसा से सहमत हुआ।

शासन को योजना के कवरेज में चूक एवं निष्पादन में विलंब से बचने के लिए परियोजना के दौरान योजनाओं के चयन एवं निधियों के वितरण में मूर्त मानदण्ड को अपनाना चाहिए।

विभाग लेखापरीक्षा द्वारा सुझाई गई अनुशंसा से सहमत हुआ।

विभाग को अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा पानी के इष्टतम उपयोग के लिए मुख्य नहर के आधुनिकीकरण कार्य के साथ साथ माइक्रो वितरण नेटवर्क के क्रियान्वयन के लिए एस.एम.पी. के प्रावधानों का कड़ा अनुसरण सुनिश्चित करना चाहिए।

विभाग लेखापरीक्षा द्वारा सुझाई गई अनुशंसा से सहमत हुआ।

शासन को अपने हित की सुरक्षा के लिए चूककर्ता ठेकेदारों से अतिरिक्त लागत/अधिक भुगतान, विलंब के लिए शास्ति, अतिरिक्त सुरक्षा निधि की कटौती एवं कार्यों के बीमा कवरेज की वसूली करने के लिए आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था को सुदृढ़ कर ठेका प्रबंधन के पूर्णतः अनुपालन को सुनिश्चित करना चाहिए।

विभाग लेखापरीक्षा द्वारा सुझाई गई अनुशंसा से सहमत हुआ।

शासन को स्थापित विशिष्टियों के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कार्यों के पक्षेतर पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए समुचित व्यवस्था बनाने हेतु विचार करना चाहिए।

विभाग लेखापरीक्षा द्वारा सुझाई गई अनुशंसा से सहमत हुआ।